

प्रकाशक—

सन्मति ज्ञान-पीठ,

लोहामण्डी, आगरा ।

प्रथम पदार्पण

जनवरी सन् १९५८

मूल्य १ रु० ५० नए पैसे

प्रकाशक—
सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा ।

द्रव्य सहयोग दाता

धर्मशीला, माता श्री गौरां देवी जी
लुधियाना (पंजाब)



सहस्र हर्ष धन्य वा द

समर्पण ३५

उस प्रकाश-पुञ्ज को—

जिन के अमृतमय वात्सल्य का,
सरस, शुभंकर और मधुर एवं सतेज,
विचार-स्फुलिंग पाकर ही मैं,
अहिंसा और अनेकान्त की,
संजीवनी शक्ति पा सका हूँ ।

जिनके पवित्र कर कमलों से,
आचार की दीक्षा और विचार की
ज्योति पाकर मैं धन्य-धन्य हो गया,
उन परम-श्रद्धेय, पूज्य-चरण
'गुरु देव श्री खजानचन्द्र जी महाराज को'

सविनय

सभक्ति

समर्पित

— फूल मुनि "श्रमण"

प्रस्तावना

दार्शनिक जगत् में अनेकान्त-वाद को एक स्वतन्त्र-वाद के रूप में विकसित एवं प्रतिष्ठित करने का सम्पूर्ण श्रेय जैनाचार्यों को है। 'अनुयोग द्वार' आदि जैन आगमों में अनेकान्तवाद की मात्र प्राथमिक भूमि का देखी जाती है, किन्तु उसे दार्शनिक धरा-तल पर लाने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन और आचार्य मल्लवादी को है। सिद्धसेन ने 'सन्मति तर्क' में अनेकान्त-दृष्टि के जीवातु-भूत एवं मूलाधार नयवाद का विशद विवेचन किया है, तथा मल्लवादी ने 'नयचक्र' में यह दिखलाने का सफल प्रयत्न किया है, कि दार्शनिक विचारों में विविध नय किस प्रकार सन्निहित हैं ?

आचार्य समन्त भद्र ने 'आप्त-मीमांसा' में स्याद्वाद पर पंजी दृष्टि से विवेचन किया है, कि विभिन्न दर्शनों में स्याद्वाद के बिना किस प्रकार विचारों की असंगति रहती है। आचार्य अकलक और विद्यानन्द ने 'आप्त-मीमांसा' पर पाण्डित्यपूर्ण विवरण लिखकर समन्तभद्र के गम्भीर विचारों की सत्यता सिद्ध की है।

आचार्य हरिभद्र ने 'अनेकान्त जय पताका' में तत्कालीन दार्शनिकों के एकान्तवादी विचारों की सूक्ष्म-समीक्षा करके अनेकान्तवाद की स्थापना की। इसी प्रकार उत्तर कालीन जैन-दार्शनिकों ने अपने युग में अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और नय-वाद पर संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में अनेकान्तक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की सृष्टि की।

विक्रम संवत् की १७ वीं शती के परम विद्वान् और विशद दार्शनिक उपाध्याय यशो विजय ने अपने 'अनेकान्तव्यवस्था' 'नय प्रदीप', 'नयोपदेश' और अष्टसहस्री विवृति आदि गौरवपूर्ण ग्रन्थों में भारतीय दर्शनों के १७ वीं शती तक के विकास को अनेकान्तवाद में आत्म सीत

कर दार्शनिक साहित्य के भण्डार को एक महत्त्वपूर्ण देन दी है।

आज का यह अणुयुग एव स्पूतनिक युग भले ही भौतिक विकास की ओर तीव्रगति से गतिमान हो, परन्तु उसके समक्ष एक प्रश्न अड़ा खड़ा है, कि वह मानव-कल्याण के लिए क्या कुंछ दे रहा है, या दे सकता है? निःसन्देह यह कहने के लिए मैं वाध्य हूँ, कि जब तक मानव समाज की अनेकान्तदृष्टि से विचार शुद्धि एव स्याद्वाद से भाषा शुद्धि नहीं होगी, तब तक मानव जीवन के कल्याण की दिशा स्थिर न हो सकेगी। अस्तु, पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारों को भी अनेकान्त के समन्वय मूलक साँचे में ढालने का आज शुभावसर आ चुका है। परन्तु यह शुभानुष्ठान किसी समर्थ विद्वान की राह देख रहा है।

आज हिन्दी राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। अतएव हिन्दी भाषा में भी अनेकान्तवाद के जनोपयोगी विविध साहित्य की सृष्टि अत्यावश्यक हो गई है। अस्तु इधर हिन्दी भाषा में अनेकान्त-दृष्टि, स्याद्वाद और नयवाद पर पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य का 'जैन-दर्शन एक महत्व पूर्ण ग्रन्थ है। मुनिराज श्री न्याय विजय जी का 'जैन-दर्शन भी सामान्य परिचयात्मक एक अच्छा ग्रन्थ है।

मुनि श्री फूलचन्द्र जी 'श्रमण' का प्रस्तुत पुस्तक 'नय-वाद' जिज्ञासुओं को अनेकान्तवाद में प्रवेश करने के लिए एक सरल एव सुवोध साधन सिद्ध होगा, इसमें सन्देह नहीं है। सवाद-शैली में विषय को सुगम करने का प्रयत्न स्तुत्य है। अहिंसा आदि पंच-सवर पर सप्त नयों की अवतारणा किस प्रकार हो सकती है? यह परिशिष्ट में देकर मुनि श्री ने नयों की विवेचना का विस्तृत क्षेत्र विद्वानों के समक्ष उपस्थित किया है। कहीं-कहीं विचारों में अप्रष्टता होते हुए भी पुस्तक उपयोगी है।

हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

ता० ३-१-५८

— दलसुख, मालवणिया

प्रकाशकीय

सन्मति ज्ञान-पीठ के चमकते-दमकते और जीवन विकास के लिए सत्प्रेरणा देने वाले सुन्दर प्रकाशनो की लढी की एक कडी 'नय-वाद' भी विचार-प्रवण अध्येताओ के कर कमलो मे आ पहुँचा है ।

जैन-दर्शन के प्राण अनेकान्त-दृष्टि और स्याद्वाद के गम्भीर एव विराट् रहस्य को समझाने के लिए 'नय-वाद' आवश्यक ही नही, बल्कि अनिवार्य भी है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने 'नय-वाद' जैसे गुरु गम्भीर विषय को सरल और सुबोध रूप मे पाठको के सम्मुख रखकर साहित्य-जगत् की अनुपम सेवा की है ।

एक बात—जिसे भूलना भी भूल होगी, वह यह है कि पुस्तक के प्रकाशन में द्रव्य-दान देने वाले व्यक्ति को भुलाया नही जा सकता । लुधियाना जैन समाज के प्रमुख व्यक्ति स्वर्गीय लाला नौहरियामल जी को कौन नही जानता ? सन्तों की सेवा और समाज की सेवा मे आपकी विशेष अभिरुचि थी । तन, मन और धन से आपने सदा धर्म की सेवा की थी ।

आपकी धर्मपत्नी धर्मशीला श्रीमती गौरा देवी जी भी सन्त-भक्ति, समाज सेवा और धर्म अस्युदय में आप के समान ही सदा अग्रसर रहती हैं । प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में श्रीमती गौरा देवी ने एक सहस्र का दान देकर साहित्य की सुन्दर सेवा की है । सन्मति ज्ञान-पीठ आः के इस धर्ममय अर्थ-सहयोग का धन्यवाद करता है ।

श्रीमती गौरादेवी जी के तीन पुत्र रत्न हैं—श्री रामप्रसाद जी, श्री गोवर्धनदास जी और श्री केदारनाथ जी । तीनों भाई धर्म-प्रेमी, समाज-सेवी और विनय-विनम्र हैं । मुझे आशा ही नही, पूरा

विश्वास है, कि आप तीनों भाई भी अपने महान् पिता के तुल्य ही सन्त-भक्ति, समाज-सेवा और धर्म-विकास के सर्कार्यों में अभिरुचि लेते रहेंगे ।

आशा है, प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन समाज के लिए शुभकर एवं हितकर रहेगा ।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में श्री लक्ष्मीनारायण जी यादव ने सुन्दर छापवाने में उदारता का परिचय दिया है । श्रीयुत बाबूराम जी शर्मा का सहयोग स्मरणीय रहेगा । शर्मा जी के सहयोग के बिना पुस्तक इतनी सुन्दर नहीं बन सकती थी ।

मन्त्री

विजयसिंह दूगड

दिशा-संकेत

दृष्टि-कोण—मानव का स्वस्थ एव व्यापक दृष्टि-कोण ही उसे सत्य की ओर ले जाता है। सत्य—विशाल, व्यापक, अनन्त और अखण्ड होता है। परन्तु सामान्यतः मानव का परिमित ज्ञान उसे सम्पूर्ण रूप में जान नहीं पाता। खण्ड रूप में अथवा अनेक अंशों में ही वह वस्तु का परिचय कर पाता है। सत्य के परिज्ञान के लिए, किंवा ज्ञात सत्य को जीवन के समतल पर उतारने के लिए, व्यापक दृष्टि-कोण की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी है।

व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी—जीवन विकास की यह क्रम-पद्धति है। जैन-दर्शन की सत्योन्मुखी अनेकान्त दृष्टि, जैन-धर्म का सर्व सहिष्णु अहिंसा सिद्धान्त, और जैन परम्परा का चिरागत समन्वयवाद—ये तीनों मिल कर एक ही कार्य करते हैं। और वह यह है, कि व्यष्टि अपनी क्षुद्र सीमा में कैद न हो जाए, समष्टि व्यक्ति के विकास मार्ग में चट्टान बन कर उसके विकास को अवरुद्ध न करे, अपितु एक-दूसरे से समझौता कर के दोनों परमेष्ठी के रूप में परिणत हो जाएँ, परम ज्योति बन जाएँ।

वस्तु-तत्त्व—इस शुभकर एव सर्व हितकर विशाल दृष्टि-कोण को जीवन में ढालने से पूर्व वस्तु-तत्त्व के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। चैतन-अचेतन भेद इस जगत् की प्रत्येक वस्तु से है, साक्षित है, अनन्त है। प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण-धर्मों का अखण्ड पिण्ड है। वह कभी नहीं रही—यह नहीं कहा जा सकता। वह कभी नहीं रहेगी—यह नहीं कहा जा सकता। वह नहीं है—यह भी नहीं कहा जा सकता। कहा यह जाएगा कि—“वह थी, है, और रहेगी।” वृत्त, वर्तमान और वतिष्यमाण—इन तीनों कालों में कभी भी उसको अभाव नहीं होता।

हाँ तो, वस्तु सत् है, शाश्वत है, नित्य है—परन्तु कूटस्थ नित्य नहीं,—परिणामी नित्य है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण पूर्व पर्याय का विगम, उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है।

अस्तु, द्रव्य-दृष्टि से वस्तु नित्य है, विगम और उत्पाद की दृष्टि से; अर्थात्—पर्याय-दृष्टि से परिणामी-प्रतिक्षण बदलने वाली भी है। कनक के कगन को तोड़ कर उसका मुकुट बनवा डाला। हुआ क्या? आकृति बदल गई, परन्तु उसका कनकत्व नहीं बदला। वह तो ज्यो का ल्यो है। जैसा पहले था, वैसा अब भी। सिद्धान्त यह रहा कि—“द्रव्यं नित्यं, आकृतिः पुनरनित्या।”

प्रमाण और नय—अनन्त धर्मात्मक वस्तु का सम्यग्ज्ञान दो से होता है—प्रमाण से और नय से। अनन्त धर्मात्मक वस्तु तत्त्व के समग्र धर्मों को अथवा उसके अनेक धर्मों को ग्रहण करने वाला ज्ञान-प्रमाण होता है, और उस वस्तु के किसी एक ही धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान, नय कहा जाता है।

‘अयं घटः’—यह ज्ञान प्रमाण है। क्योंकि इस में घट के रूप, रस, स्पर्श और गन्ध तथा कनिष्ठ-ज्येष्ठ आदि समग्र धर्मों का परिवोध ही जाता है। परन्तु जब यह कहा जाता है,—‘रूपवान् घटः’ तब केवल घट के अनन्त धर्मों में से ‘रूप’ का ही परिज्ञान होना है, उसके अन्य धर्म रस, स्पर्श और गन्ध आदि का नहीं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु के परिज्ञान में अश कल्पना—यही वस्तुतः नय है। अतः अशो के किसी एक अश का ज्ञान ‘नय’ और अनेक अशो का ज्ञान ‘प्रमाण’ होता है।

नय-वाद—‘नय-वाद’ वस्तुतः जैन दर्शन की अपनी एक विशिष्ट और व्यापक विचार-पद्धति है। जैन-दर्शन प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण ‘नय’ से करता है। जैन-दर्शन में एक भी सूत्र और अर्थ ऐसा नहीं है, जो नय-शून्य हो। विशेषावश्यक भाष्य में यह तथ्य इस प्रकार है—

“नित्यं नएहि विहरणं,
सुत्तं अत्यो य जिण-मए किच्चि।”

जैन दार्शनिकों के समक्ष एक प्रश्न बड़ा ही जटिल, साथ ही गम्भीर था कि नय क्या है ? नय प्रमाण है किंवा अप्रमाण ? यदि वह प्रमाण है, तो प्रमाण से भिन्न क्यों ? और यदि वह अप्रमाण है, तो वह मिथ्या ज्ञान होगा । और मिथ्या ज्ञान के लिए विचार जगत् में क्या कही स्थान होता है ?

इन प्रश्नों का मौलिक समाधान जैन दार्शनिकों ने बड़ी गम्भीरता और सतर्कता से किया है । वे अपनी तर्क-शैली में कहते हैं—

“नय न प्रमाण है, और न अप्रमाण । परन्तु प्रमाण का एक अंश है । सिन्धु का एक बिन्दु, न सिन्धु है, और न असिन्धु—अपितु वह सिन्धु का एक अंश है । एक सैनिक को सेना नहीं कह सकते, परन्तु उसे असेना भी तो नहीं कह सकते । क्योंकि वह सेना का एक अंश तो है ही । नय के सम्बन्ध में भी यही सत्य है ।”

प्रमाण का विषय अनेकान्तात्मक वस्तु है, और नय का विषय है, उस वस्तु का एक अंश ।

यदि नय अनन्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक ही अंश (धर्म) को ग्रहण करता है, तो वह मिथ्या ज्ञान ही रहेगा । फिर उस से वस्तु का यथार्थ बोध कैसे होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर भी जैन दार्शनिकों ने अपनी उसी सत्य-मूलक तर्क शैली पर दिया है—

“नय अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक अंश को ही ग्रहण करता है, यह सत्य है । परन्तु इतने मात्र से ही वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता । एक अंश का ज्ञान यदि वस्तु के अन्य अंशों का निषेधक हो जाए, तभी वह मिथ्या होगा । किन्तु जो अंश-ज्ञान, अपने से व्यक्तिरिक्त अंशों का निषेधक न होकर, केवल अपने दृष्टि-कोण को ही व्यक्त करता है, तो वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता ।”

हाँ, जो नय अपने स्वीकृत अंश का प्रतिपादन करते हुए यदि अपने से भिन्न दृष्टि-कोण का निषेध करते हैं, तो निस्सन्देह वे नयाभास किंवा

‘दुर्नय’ कहे जाएँगे। परस्पर निरपेक्ष नय ‘दुर्नय’ हैं, और सापेक्ष मुनय हैं।
 नयो की सख्या—यद्यपि नय अनन्त हैं, क्योंकि वस्तु के अर्थ
 अनन्त हैं, फिर भी नयो के मूल में दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और
 पर्यायार्थिक। अभेदगामिनी दृष्टि को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और
 भेदगामिनी दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। नयो में नंगमादि तीन
 द्रव्यार्थिक हैं, और ऋजुसूत्रादि चार पर्यायार्थिक।

उपसंहार—प्रस्तुत ‘नय-वाद’ पुस्तक में जैन-दर्शन के इसी जीवातु
 भूत ‘नय-तत्त्व’ का विवेचन, विश्लेषण और प्रतिपादन किया गया है।
 पुस्तक की भाषा और शैली यद्यपि पुरातन है, तथापि विचारों के
 प्रस्थापन में प्रामाणिकता से काम लिया गया है। शैली पुरानी होने से
 कहीं-कहीं पर पाठकों को कुछ विषय अस्पष्ट-सा लग सकता है।
 परन्तु यह निःसन्देह कहा जा सकता है, कि सब मिला कर पाठ्य-
 सामग्री पाठकों को अवश्य ही लाभान्वित करेगी। संस्कृत और प्राकृत
 में इस विषय पर पर्वताकार विपुल साहित्य लिखा गया है। परन्तु
 राष्ट्र-भाषा हिन्दी में इस विषय की और इस जैसी कोई स्वतंत्र पुस्तक
 अभी तक मेरे देखने में नहीं आई।

मुनिश्री फूलचन्द जी ‘श्रमण’ मेरे चिर परिचित स्नेही मुनि हैं।
 वे जहाँ एक विचारक हैं, वहाँ साधक भी हैं। इसलिए वे अपने परि-
 चितों में ‘योग निष्ठ’ के नाम से जल्दी पहचाने जाते हैं। मुनिश्री का
 स्वाध्याय विशाल है, और वे सैद्धांतिक विषयों पर सतत चिन्तन-मनन
 करते रहते हैं। उसी प्रशस्त स्वाध्याय श्रम का यह सुन्दर वैचारिक फल
 ‘नय-वाद’ के रूप में हमारे हाथों में है। प्रस्तुत कृति को देखते हुए मैं
 आशा करता हूँ, कि भविष्य में श्रमण जी की ओर से सैद्धांतिक विषय
 पर इससे भी अधिक गम्भीर और स्पष्ट कृति—जिज्ञासुओं की सेवा
 में प्रस्तुत की जाएगी।

जैन-भवन, आगरा।
 १ जनवरी, १९५६

उपाध्याय श्रमण मुनि

सम्पादकीय ।

'नय-वाद' के युक्तम प्रश्न ने मेरी लघुतम सीमा में 'अथ' की भीनासर-में और 'इति' की आगरा में । यह 'अथ से इति' तक की कहानी दो साल की हो चुकी है, कुछ पुरानी-सी । परन्तु सब मिला कर यह कहानी अन्ततः बड़ी ही सुखान्त तथा शुभान्त रही ।

भीनासर सम्मेलन के मधुर एव शुभावसर पर मेरे प्रिय मित्र श्री फूलचन्द जी 'श्रमण' से कितने ही वर्षों बाद मिलन सम्मेलन हुआ । हम एक-दूसरे को भूल गए हों, यह बात तो नहीं, किन्तु यह सत्य है, कि बहुत दिनों की धूमिल स्मृति ताजा हो उठी । हमे एक-दूसरे के विचार विनिमय से बहुत-सी नयी बातें मिली ।

एक दिन बात-चीत के प्रसंग में 'श्रमण जी' ने मुझ से कहा—
विजय जी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा । मैंने विनम्र भाव से कहा—
'बोलिए, क्या आज्ञा है, आपकी !' उन्होंने अपनी बात का क्लिप्तिलता जोड़ते हुए कहा—

'सम्यक्-दर्शन' पत्र में मेरे नय विषयक लेख तो आपने पढ़े होंगे ? मैंने कहा—
'जी, हाँ, देखे तो हैं ।' उन्होंने सकोज की भाषा में कहा—
'उत्त लेखों का सम्पादन एव प्रकाशन व्यवस्थित सिद्ध हो पाया है । अतः मैं चाहता हूँ कि आप उनका सुन्दर पद्धति से सम्पादन कर दें ।

मेरे इत्कार करते रहने पर भी उन्होंने अपनी बात का आग्रह रखा । मैंने इस कार्य के लिए अपने अन्य स्नेही साथियों की योग्यता की ओर स्पष्ट सकेत भी किया, परन्तु श्रमण जी अपने आग्रह पर अडोल रहे । अन्ततः यह कार्य मुझे लेना ही पडा ।

कुचेरा के वर्षा-वास में पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न रहने से मुझे सम्पादन का अवकाश नहीं मिल सका । अतः यह कार्य आगरा

में प्रारम्भ किया, और मुझे प्रसन्नता है कि उसे मैं यथा शक्ति पूर्ण कर सका हूँ ।

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा तथा शैली के सम्बन्ध में मैंने यहाँ से लेखक मुनि जी से पूछा था कि—क्या इसको नया रूप दे दिया जावे ? परन्तु यह बात स्वीकृत न हो सकी । फलतः उन्हीं की भाषा में और बहुत कुछ उन्हीं की शैली में आवश्यक फेर-वदल के साथ पुस्तक को सजा दिया गया है । यद्यपि उनके भावों में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं डाला गया है, फिर भी सहृदय पाठक यदि कभी 'सम्यक्-दर्शन' में पूर्व प्रकाशित लेखों के साथ इस पुस्तक की तुलना करेंगे, तो उन्हें अवश्य ही कुछ आवश्यक अन्तर दीख पड़ेगा । पुस्तक के प्रकाशन में श्री अखिलेश मुनि जी महाराज का दिशा-दर्शन भी मेरे कार्य को सुन्दर बनाने में सहयोगी रहा है ।

पुस्तक के सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ, और कैसे कहूँ ? इसका निर्णय मैं विज्ञ पाठको पर ही छोड़ता हूँ । हाँ इतना कहने की अभिलाषा अवश्य रखता हूँ कि लेखक मुनि जी अपने प्रतिपाद्य विषय के विज्ञ अध्येता हैं । उन्होंने इस दिशा में काफी गहराई तक अभ्यास किया है । वस्तुतः उनका श्रम प्रशंसनीय है । जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने ढग की हिन्दी में यह प्रथम कृति है ।

अस्तु, यदि पाठक प्रस्तुत पुस्तक को मनोयोग से पढ़ेंगे, तो उनके ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, और लेखक मुनि जी का श्रम भी सफल होगा !

जैन-भवन

लोहामडो, आगरा

१ जनवरी १९५८

विजय मुनि

कहाँ क्या है ?

पृष्ठ संख्या

विषय

	५
१. उपक्रम	११
२. नय-स्वरूप	१६
३. प्रमाण और नय	२५
४. पर्याय-स्वरूप	२६
५. स्याद्वाद	३७
६. सप्त-भंगी	४६
७. नैगम-नय	६१
८. सग्रह-नय	७१
९. व्यवहार-नय	८७
१०. ऋजुसूत्र-नय	१०५
११. शब्द-नय	१३७
१२. समभिरूढ-नय	१५७
१३. एवंभूत-नय	१८१
१४. उपसहार	
	परिशिष्ट
	१८६
१५. दृष्टान्त त्रयी	२०१
१६. पञ्च सवर	

इति विविध-भङ्ग-गहने,
 सुदुस्तरे मार्ग-मूढ-दृष्टीनाम् ।
 गुरवो भवन्ति शरणं ;
 प्रबुद्ध नय-चक्र सञ्चारा ॥

— आचार्य अमृतचन्द्र

“अत्यन्त विकट और विविध भग जालों से घनीभूत नय-चक्र वन में, राह भूले मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाने वाले कि सद्गुरु ही शरण-भूत हो सकते हैं, जो नय-चक्र के पारंगत विद्वान हैं ।”

न
य
वा
द



उ प क्र म

जेण विणा लोणस्स वि,
ववहारो सव्वहा न निव्वडइ ।
तस्स भुवणोक्क-गुरुणो ;
णमो अणोगत-वायस्स ॥

— आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।
ततः सर्वं सृषोक्तं स्यात् तदयुक्तं स्व-घाततः ॥

— आचार्य समन्त भद्र

आपकी अनेकान्त-दृष्टि सच्ची है, इसके विपरीत जो एकान्त मत है, वह शून्य है; अर्थात्-असत् है । अतः जो कथन अनेकान्त दृष्टि से रहित है, वह सब मिथ्या है , क्योंकि वह अपना ही घातक है ।

: १ :

उ प क्र म

भारतीय-संस्कृति में, वसन्त-समय को मधु-मास कहा गया है। वसन्त-समय सुन्दर, सुरभित और सरस होता है। जिस समय प्रकृति के प्रागण में वसन्त समवतरित होता है, उस समय सर्वत्र नया जीवन, नयी चेतना और नया जागरण प्रादुर्भूत हो जाता है। प्रकृति के कण-कण में आनन्द, हर्ष और उल्लास प्रकट होने लगता है। अणु से महान् और महान् से अणु समस्त प्रकृति-जगत् अभिनव सौन्दर्य एवं अद्भुत माधुर्य से भर जाता है। मधु-मास, अर्थात् वसन्त आनन्द का प्रतीक माना गया है।

सुरभित वसन्त का सुन्दर समय था। जगती-तल पर चारों ओर हरियाली का प्रसार था। तरु और लताएँ पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होकर आनन्द में भूम रहे थे। अभिनव किसलयों के सौन्दर्य से, सुमनों के सौरभ से और फलों के मधुर रस से तरु और लताएँ मानो, जन-सेवा करने का सौभाग्य संचित कर रही थी।

वसन्त-काल का सुरभित मधु-मास पथिक-जनो के श्रम को अपने अद्भुत सौन्दर्य से, मलय-पवन के शीतल एव मन्द झकोरो से और सुमनो की सुरभि से दूर कर रहा था ।

सहकार-तरुओ पर नाचती-कूदती कोकिले अपनी माधुर्य-पूर्ण स्वर-लहरी से सम्पूर्ण वन-प्रान्त को मुखरित कर रही थी । कोकिल का मधुर कूजन वसन्त के अस्तित्व का जय-घोष कर रहा था ।

कल-कल करती सरिताएँ अपनी शीतल एव निर्मल जल धारा से आतप-तापित शुष्क भूमि को सस्य-व्यामला बनाने के हर्ष मे, अपनी मस्ती मे भूमती वही चली जा रही थी । मानो, वे 'सरिता पति' से मिलने के लिए उतावली होकर भागी चली जा रही हो ?

वागवान अपने वाग को सँवारने-सजाने मे मस्त-था, और किसान अपने खेतो मे आशा-भरे हृदयो से व्यस्त थे । किसान अपने खेत के हर दाने मे अपना आशा पूर्ण भविष्य निरख रहा था, वागवान को अपने वाग के हर पीघे मे भविष्य की सुनहरी आशा दीख रही थी ।

मधु-मास के सुरभित इस वन-प्रान्त के एक भाग मे, हरे-भरे घटादार वृक्ष की सघन छाया मे एक निर्ग्रन्थ योगोराज तपस्वी अपनी ध्यान-मुद्रा मे सलीन था । एकान्त मे मानो वह वाह्य-सृष्टि के सौन्दर्य से भी अति महान् अन्त-सौन्दर्य का दर्शन कर रहा हो ?

संध्या का स्वर्णम-सूर्य अपनी सुवर्णमयी किरणो को तरु शिखरो पर विखेरता हुआ, अस्ताचल की ओर तेज गति

से बढ़ रहा था। खग-कुलो के मधुर कूजन से सम्पूर्ण वन-प्रान्त मुखरित और प्रतिध्वनित हो उठा।

गुरु-कुल का प्रधान अध्यापक अपने सुयोग्य छात्रों के साथ ताजा पवन सेवन के लिए वन-प्रान्त के किसी भाग में निर्मित 'देव-रमण' उद्यान में जा पहुँचा। कतिपय छात्र पहले ही वहाँ जमे बैठे थे, अपनी पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन, मनन और चिन्तन कर रहे थे। परिशीलन के लिए एकान्त स्थल अत्यन्त उपयुक्त होता है।

'देव-रमण' उद्यान में इधर-उधर बिछे शिला-पट्टों पर छात्र और उनका अध्यापक भी यथास्थान बैठ गए थे। बात-चीत के प्रसंग में चर्चा चल पड़ी, कि वस्तु का सम्यग् ज्ञान कैसे होता है? किसी भी वस्तु का सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या-क्या साधन अपेक्षित हैं? बुद्धिमान् मनुष्य जब किसी विषय पर चर्चा-वार्ता करते हैं, तब कोई न कोई तथ्य अवश्य ही निकलता है।

एक छात्र, जो असाधारण बुद्धिमान् था। बोला—
"प्रमाण और नय से वस्तु का सम्यग् ज्ञान होता है। वस्तु कही पर भी, किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उसका परिज्ञान प्रमाण और नय से ही हो सकता है। बिना प्रमाण और नय के किसी भी वस्तु का परिज्ञान सम्भव नहीं है।"

दूसरे छात्र ने बीच में ही प्रतिप्रश्न करते हुए कहा—
"प्रमाण और नय में क्या भेद है? प्रमाण और नय का क्या लक्षण है?"

प्रथम छात्र ने समाधान करते हुए कहा—“प्रमाण और नय दोनो ज्ञान ही है । फिर भी दोनो मे कुछ भेद अवश्य है ।” वह इस प्रकार है—

“जो ज्ञान वस्तु के अनेक या सर्व अशो को ग्रहण करता है, वह प्रमाण है, और जो ज्ञान वस्तु के किसी एक अश को ग्रहण करता है, वह नय है ।”

धीरे-धीरे चर्चा का मोड़ नय-स्वरूप पर आ लगा । नय कितने हैं ? और उनके लक्षण क्या है ?



नय-स्वरूप

नत्थि नएहिं विहुणां,
सुत्तं अत्थो य जिण-मए किंचि ।

—विशेषावश्यक भाष्य

नयांस्तव स्यात्-पदलाञ्छना इमे,
रसोपविद्धा इव लोह-धातवः ।
भवन्त्यभिप्रेतफला यतस्ततो ;
भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः ॥

— आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

“जिस प्रकार स्वर्ण-रस के संयोग से लोह धातु (स्वर्ण वनकर) अभीष्ट फल देने वाले बन जाते हैं, उसी प्रकार आपके नय भी 'स्यात्' शब्द लगने पर अभीष्ट फल देने वाले हो जाते हैं । अतः अपना हित चाहने वाले भक्त-जन आप को सभक्ति नमस्कार करते हैं ।”

: २ :

नय-स्वरूप

प्रथम छात्र

पहला छात्र विनीत स्वर में बोला—प्रिय साथियो ! यद्यपि नय का विषय अत्यन्त विस्तृत और साथ ही अत्यन्त गम्भीर भी है, तथापि इस विषय पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ । मेरे विचार में नय का स्वरूप यह है—

“जिसके द्वारा अनन्त-धर्मात्मक वस्तु के किसी एक पर्याय का निश्चय किया जाए, वह नय है ।”—१

द्वितीय छात्र

दूसरा छात्र बोला—आपने कहा वह भी ठीक है, परन्तु नय का यह लक्षण भी हो सकता है—

“वस्तु-तत्त्व के ज्ञाता का अभिप्राय-विशेष नय कहा जाता है ।”—२

१—“नीयते, परिच्छिद्यते, अनेन इति नय ।” —नय-रहस्य

२—“ज्ञातुरभिप्रायो नय ।” —आलाप-पद्धति

तृतीय छात्र

तीसरा छात्र बोला—आपके कथन से मेरा कोई विरोध नहीं है, फिर भी मेरे विचार मे नय का स्वरूप यह है—

“नाना स्वभावो से अलग कर, किसी एक स्वभाव मे वस्तु का निश्चय करना, यह नय है ।”—१

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने नय-स्वरूप पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा—

“जो वस्तु प्रमाण से, सर्वाङ्गीण रूप से व्यवस्थित हो, उसके अनेक धर्मों मे से किसी एक धर्म का बोध करना, नय है ।”—२

पंचम छात्र

पाँचवे छात्र ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा—
मेरे विचार से नय का लक्षण यह है—

“पर्यायो के अनेक भेद हैं, एक वस्तु के भी अनन्त-पर्याय होते हैं, उनमे से किसी एक विवक्षित पर्याय को जानना, यह नय है ।”—३

१—“नाना-स्वभावेषु व्यावृत्त्य, एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति,
इति नय ।” —विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति ।

२—“प्रमाणेन सगृहीतार्थैकाशो नयः ।” —नय प्रदीप

३—“बहुधा वस्तुन पर्यायाणा सम्भवात् विवक्षित-पर्यायेण नय-
नमधिगमनम्, असौ नय ।”

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने भी विनय के साथ अपना विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा—

“वस्तु अनन्त-धर्मात्मक होती है। वस्तु-गत उन अनन्त-धर्मों में से किसी भी एक धर्म—नित्यत्व या अनित्यत्व—का अवधारण करना, नय है।”—१

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार नय का लक्षण करते हुए कहा—

“श्रुत-ज्ञान के बिना, मति आदि चारों ज्ञानों में नय का अभाव ही है,—श्रुत-ज्ञान में ही नयों का समवतार हो सकता है, इतर में नहीं—अतः श्रुत का विकल्प, नय है।”—२

इस प्रकार सातों छात्रों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार नय का अर्थ बतलाया। अध्यापक ने अपने सभी छात्रों की नय-सम्बन्धी व्याख्या को बड़े ध्यान से सुना। अध्यापक गम्भीर विचार में डूब गया। कुछ क्षणों के बाद अपने छात्रों की ओर स्नेह-भरी दृष्टि से देखते हुए अध्यापक बोला—

अध्यापक

“मेरे प्रिय छात्रों! मैं तुम्हारी ज्ञान-साधना और ज्ञान-चर्चा से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। नय के सम्बन्ध में तुम लोगों

१—“अनन्त-धर्मात्मकस्य वस्तुनो यदेकेन नित्यत्वादिना, अनित्यत्वादिना वा धर्मोऽसावधारणं नयनं प्ररूपणमसौनयः।”

—विशेषावश्यक भाष्य, वृत्ति।

२—“श्रुत-विकल्पो नयः।”

की विशेष रुचि देखकर मुझे भी कुछ कहने का उत्साह उत्पन्न हुआ है । व्याकरण-शास्त्र की दृष्टि से 'नय' शब्द कैसे बना है ? और उसके कितने अर्थ होते हैं ? इस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ ।”

नय—

‘नय’ शब्द ‘णीञ् प्रापणे’ धातु से कृदन्त का ‘अच्’ प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है । ‘नय’ शब्द के मुख्य रूप से इतने अर्थ होते हैं—नीति, गति, विधि और मार्ग आदि ।

नीति—

जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को विकास की ओर ले जाए, अभ्युदय की ओर अग्रसर करे, वह नय या नीति कही जाती है । नीति दो प्रकार की होती है—राज-नीति और धर्म-नीति । राजनीति का अन्तर्भाव साम, दाम, दण्ड और भेद में हो जाता है । धर्म-नीति का अन्तर्भाव सात नयों में होता है ।

गति—

स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना । सामान्य से विशेष की ओर जाना । साधक से सिद्ध की ओर जाना । देह से विदेह की ओर जाना ।

विधि—

प्रकार या तरीका । सिद्धान्त और सिद्धान्ताभास परखने की पद्धति ।

मार्ग—

विचार करने के प्रकार, दृष्टि-कोण । जैसे—उद्यान में जाने के अनेक मार्ग होते हैं, कोई पूर्व से जाता है, कोई उत्तर से, कोई पश्चिम से और कोई दक्षिण से । किन्तु अन्दर जाकर वे सब मार्ग परस्पर मिल जाते हैं, इसी प्रकार एक ही वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टि-कोण हो सकते हैं । परन्तु उनका समन्वय भी हो जाता है । इस समन्वय सिद्धान्त को स्याद्वाद अथवा कथंचिद्वाद कहते हैं । समन्वय-मार्ग को नय-मार्ग भी कहा जाता है ।

स्याद्वाद एवं नय-वाद से ही विभिन्न मतों का, विभिन्न विचारों का समन्वय किया जा सकता है । जो नय एक-दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, वे स्वपरोपकारी सुनय कहे जाते हैं, और जो परस्पर एक-दूसरे का विरोध करते हैं, वे प्रतिद्वन्द्वी हैं, वे स्वपर-प्रणाशी दुर्नय कहे जाते हैं । १

१—य एव नित्य-क्षणिकादयो नया,
मिथोजनपेक्षा. स्व-पर-प्रणाशिनः ।
त एव तत्त्व विमलस्य ते मुने,
परस्परेक्षा स्व-परोपकारिणः ॥

—आचार्य समन्तभद्र, स्वयम्भू-स्तोत्र ।



जीवन की आचार-शुद्धि है,
निर्भर सदा विचार-शुद्धि पर ।
और विचार-शुद्धि की गति भी,
आधारित है नय की मति पर ॥

— उपाध्याय अमर मुनि

प्रमाण और नय

प्रमाण-नयैरधिगमः

— तत्त्वार्थ सूत्र, १-६

अनेकान्तात्मकं वस्तु, गोचरः सर्व-संविदाम् ।
एकदेश-विशिष्टोऽर्थो, नयस्य विषयो मतः ॥

— आचार्य सिद्धमेन दिवाकर

“अनेक-धर्मों से विशिष्ट वस्तु, प्रमाण-स्वरूप ज्ञान का विषय है , और किसी एक धर्म से विशिष्ट वस्तु, नय का विषय माना जाता है ।”

: ३ :

प्रमाण और नय

प्रश्न—क्या प्रमाण और नय परस्पर सर्वथा भिन्न हैं, अथवा सर्वथा अभिन्न हैं ?

(अ) यदि सर्वथा अभिन्न है, तो प्रमाण कौन-से ज्ञान का विषय है, और नय कौन-से ज्ञान का ?

(ब) यदि सर्वथा अभिन्न है, तो प्रमाण से ही कार्य-सिद्धि हो सकती है, नय की आवश्यकता ही क्या ?

(स) यदि दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं, तो प्रमाण—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा उपमान—चार प्रकार का होता है। और नय सात प्रकार का होता है। फिर दोनों एक-दूसरे के पर्याय-वाचक कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रश्न की समस्या का समुचित समाधान स्याद्वाद के द्वारा हो सकता है। अर्थात्—सप्त-भंगी के तीसरे भंग से उक्त समस्या मुलभार्डि जा सकती है। तीसरा भंग है—कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न। जैसे कि शाखा-

प्रगाखाएँ वृक्ष से भिन्न भी हैं, और अभिन्न भी । अर्थात्—गाखाओं को वृक्ष नहीं कह सकते, और न अवृक्ष ; अर्थात्—वृक्ष-भिन्न भी नहीं कह सकते ।

प्रमाण यदि अग है, तो नय उपाग है । प्रमाण यदि समुद्र है, तो नय तरग-निकर । प्रमाण यदि सूर्य है, तो नय रग्मि-जाल । प्रमाण यदि वृक्ष है, तो नय गाखा-समूह । प्रमाण यदि हाथ है, तो नय अगुली । प्रमाण यदि जुलाहे का ताना है, तो नय वाना । प्रमाण यदि व्यापक है, तो नय व्याप्य है । प्रमाण नय मे समाविष्ट नहीं है, वल्कि नय ही प्रमाण मे समाविष्ट है । प्रमाण का सम्बन्ध पाँच प्रकार के ज्ञान से है, जब कि नय का सम्बन्ध केवल श्रुत-ज्ञान से ही है—अन्य से नहीं । अर्थात्—पाँचो ज्ञानो को प्रमाण कहते हैं, और नय, श्रुत-ज्ञान रूप प्रमाण का अश-विशेष है ।

अत नय, प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है । अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु-तत्त्व का निश्चय किया जाए, अर्थात्—सर्वाश-ग्राही वाच को प्रमाण कहते हैं ।

नय का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा अनन्त-धर्मों मे से किसी विवक्षित एक धर्म का निश्चय किया जाए, अर्थात्—अनेक दृष्टि-कोण से परिष्कृत वस्तु-तत्त्व के एकाश-ग्राही ज्ञान को नय कहते हैं ।

अत. नय, प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है ।

प्रमाण नय का वाचक नहीं है, तथैव नय भी प्रमाण का वाचक नहीं है । जैसे समुद्र के पर्याय-वाचक नाम और

है, तथा तरगों के पर्याय-वाचक नाम और है । तरगे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, और समुद्र भी तरगों से भिन्न नहीं हैं, तथैव अभिन्न भी नहीं कह सकते । क्योंकि समुद्र के तथा तरगों के नाम भिन्न-भिन्न हैं, इससे सिद्ध होता है, कि समुद्र और तरगे अभिन्न नहीं हैं ।

समुद्र और तरग के उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, कि 'प्रमाण' और 'नय' का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? नय न तो प्रमाण है, और न अप्रमाण, अपितु प्रमाण का एक अंश है, जैसे कि तरग न समुद्र है, न असमुद्र है, अपितु समुद्र का एक अंश है ।—१

१—न समुद्रोऽसमुद्रो वा, समुद्राशो यथोच्यते ।

नाऽप्रमाणं प्रमाणं वा, प्रमाणांशस्तथा नयः ॥ ९ ॥

— नयोपदेश



प्रमाण

वस्तु-तत्त्व का रूप सर्वत
जिससे होता है परिलक्षित ।
वह प्रमाण है ज्ञान सिन्धु-सम,
दर्शन-जग मे सदा समर्चित ॥

नय

वस्तु-तत्त्व यदि एक अश से,
होता चिन्तन मे प्रतिभासित ।
वह चिति-अश नीति-पथ नय है,
जिन-शासन मे परस्परेक्षित ।

— उपाध्याय अमर मुनि

पर्याय-स्वरूप

वस्तु-मात्र में सतत यथाक्रम,
जो होता है परिवर्तन ।
कहते हैं पर्याय उसी को,
वस्तु-तत्त्व-मर्मज्ञ सुज्ञ जन ॥

— उपाध्याय, अमर मुनि

तद्भावः परिणामः

— तत्त्वार्थ, ५-४१,

उसका होना, अर्थात्—स्वरूप में स्थित रहकर, उत्पन्न तथा नष्ट होना परिणाम है, अर्थात्—पर्याय है।

: ४ :

पर्याय-स्वरूप

प्रश्न—एक ही वस्तु अनन्त-धर्मात्मक कैसे हो सकती है ?

उत्तर—अनन्त-पर्यायो के समुदाय का नाम ही वस्तु है । पर्याय को धर्म भी कहते हैं । पर्याय दो प्रकार की होती है—एक सह-भावी और दूसरी क्रम-भावी ।

रूप, रस आदि पर्याय सह-भावी कहलाती है, और नूतन-पुरातन आदि पर्याय क्रम-भावी कहलाती है । सह-भावी पर्याय गुणों की होती है, तथा क्रम-भावी पर्याय द्रव्य की होती हैं । अथवा—

पर्याय दो प्रकारकी होती हैं—एक स्वभाव-पर्याय, और दूसरी विभाव पर्याय । अथवा—

समस्त पदार्थों की पर्याय दो प्रकार की होती है—पहली शब्द-पर्याय, और दूसरी अर्थ-पर्याय ।

शब्द-पर्याय अनन्त है, उनका अन्तर्भाव केवल श्रुत-ज्ञान में ही हो सकता है—अन्य में नहीं ।

अर्थ-पर्याय अनन्तानन्त है, क्योंकि अर्थ-पर्याय का अन्तर्भाव पाँचों ही ज्ञान में हो जाता है। इस दृष्टि से शब्द-पर्याय की अपेक्षा से अर्थ-पर्याय अनन्त-गुण अधिक है। शब्द-पर्याय के आगे चलकर दो भेद हो जाते हैं, जैसे— कि स्व-पर्याय और पर-पर्याय। शत-क्रतु, इन्द्र, पाक-गासन, ये स्व-पर्याय है। सौधर्माधिपति, अचि-पति ये पर-पर्याय है। जल, वारि, तोय, पानीय—ये स्व-पर्याय है। स्वर्ण घट का पानी, घड़े का पानी, भृङ्गर का पानी—ये सब पर-पर्याय है। आगे चलकर फिर अतीत, वर्तमान, और भविष्यत्, एक-एक पर्याय के साथ लगाने से पुन एक-एक के तीन भेद बन जाते हैं। इस प्रकार शब्द-पर्याय की उत्तरोत्तर अनन्त पर्याय बन जाती है।

अर्थ-पर्याय को भी उपर्युक्त शैली में समझ लेना। अत कहा जाता है कि वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। किसी विवक्षित एक पर्याय को अनेक दृष्टि-कोणों से जो देखा जाए, और जाना जाए, उसे ही नय कहते हैं।



स्याद्वाद

आदीपमाव्योम सम-स्वभावं,
स्याद्वाद-मुद्रानतिभेदि वस्तु ।

— आचार्य हेमचन्द्र

सर्वमस्ति स्वरूपेण,
 पर-रूपेण नास्ति च ।
 अन्यथा सर्व-सत्त्वं स्यात्,
 स्वरूपस्याप्यसम्भवः ॥

— प्रमाण-मीमांसा

“प्रत्येक वस्तु, स्वरूप से विद्यमान है, और पर-स्वरूप से अविद्यमान है । यदि वस्तु को पर-स्वरूप से भी भावरूप स्वीकार किया जाए, तो एक वस्तु के सद्भाव में सम्पूर्ण वस्तुओं का सद्भाव माना जाना चाहिए, और यदि वस्तु को स्वरूप से भी अभाव रूप माना जाए, तो वस्तु को सर्वथा स्वभाव-रहित मानना चाहिए, जो कि वस्तु-स्वरूप से सर्वथा विपरीत है ।”

: ५ :

स्याद्वाद

जैन-दर्शन को चिन्तन-धारा मे स्याद्वाद अपना विशिष्ट स्थान रखता है । यह वह सर्वमान्य सिद्धान्त है, जिसके द्वारा विश्व-शान्ति स्थापित की जा सकती है । धार्मिक अन्ध-विश्वास तथा रूढिवाद की थोथी बक-भक को स्याद्वाद ही दूर कर सकता है । स्याद्वाद का उपयोग दर्शन और दैनिक-व्यवहार दोनो मे किया जा सकता है । वस्तु-परीक्षण के इस उदार एव विशाल सिद्धान्त को यदि व्यावहारिक जीवन का अनिवार्य अंग बना लिया जाए, और मन-वचन-कर्म की एक रूपता के नैतिक पथ पर प्रतिष्ठित कर लिया जाए, तो निश्चय ही हम एक दिन विषम सघर्ष-मूलक परिस्थितियों के प्रतिगामी प्रतिबन्ध को तोड़कर अमर-सत्य प्राप्त कर सकेंगे ।

स्याद्वाद जैन-दर्शन की अद्वितीय आधार-शिला है । जैन-दर्शन का भव्य-भवन इसी पर निर्मित है । इसी के आधार पर जैनो ने विश्व को शान्ति का शुभ सन्देश सुनाया था । धार्मिक असहिष्णुता और मानसिक सकीर्णता जैसे अमानवीय विषाक्त मानसिक विकारो का समूल उन्मूलन करने

वाला स्याद्वाद ही है। परस्पर-स्नेह एव सद्भाव से रहने का सुन्दर पाठ मानव-समाज को स्याद्वाद ने ही पढाया है। अपनी विशिष्टता स्थापित करने के निमित्त स्याद्वाद किसी भी धर्म या सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता, किन्तु अपने औचित्य के अनुरूप भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोण का समन्वय एव एकीकरण करता है।

अस्तु, स्याद्वाद क्या है? उसकी मौलिक परिभाषा क्या है? उसकी उपयोगिता जीवन-व्यापार के लिए किस रूप में है? इन सभी प्रश्नों पर हमें यहाँ संक्षेप में विचार करना होगा।

परिभाषा—

स्याद्वाद का अर्थ है, विभिन्न दृष्टि-कोणों का विना किसी पक्ष-पात के तटस्थ-बुद्धि से समन्वय करना। जो महत्त्वपूर्ण कार्य एक न्यायावोग का होता है, ठीक वही कार्य विभिन्न विचारों के समन्वय के लिए स्याद्वाद का है। जिस प्रकार एक जज, वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के वयान सुनकर, दोनों के वयानों की जाँच-पड़ताल करके निष्पक्ष फैसला देता है, उसी प्रकार स्याद्वाद भी दो विभिन्न विचारों को सुनकर उनमें समन्वय कराता है। यह तो हुआ स्याद्वाद का मौलिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ भी सुन लीजिए।

“स्याद्वाद” इसमें दो शब्दों का मयुक्तीकरण है— ‘स्यान्’ और ‘वाद’। ‘स्यान्’ का अर्थ है—अपेक्षा या दृष्टि-कोण; और ‘वाद’ का अर्थ है—सिद्धान्त या मन्वय। दोनों

शब्दों का समुदित अर्थ होगा “सापेक्ष सिद्धान्त” , अर्थात्—वह सिद्धान्त जो अपेक्षा को लेकर चलता है, और भिन्न-भिन्न विचारों का एकीकरण करता है । अनेकान्तवाद, अपेक्षावाद, कथचिद्वाद और स्याद्वाद इन सब का एक हो अर्थ है । अनेकान्त और स्याद्वाद में थोड़ा-सा अन्तर अवश्य है । और वह अन्तर केवल इतना ही है कि—अनेकान्त एक व्यापक विचार-पद्धति है, और स्याद्वाद उस को अभिव्यक्त करने की एक निर्दोष भाषा-पद्धति है ।

स्याद्वाद-रहस्यविद् आचार्यों ने स्याद्वाद की परिभाषा इन शब्दों में की है—“अपने अथवा दूसरे के विचारों, मन्तव्यों, वचनों तथा कार्यों में तन्मूलक विभिन्न अपेक्षा या दृष्टि-कोण का ध्यान रखना ही “स्याद्वाद” है । इस परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं :-

‘जिस प्रकार ग्वालिन मथन करने की रस्सी के दो छोरों में से कभी एक को और कभी दूसरे को खींचती है, उसी प्रकार अनेकान्त-पद्धति भी कभी वस्तु के एक धर्म को मुख्यता देती है, और कभी दूसरे धर्म को ।’—१

• देखिए, आचार्य ने किस भावमयी एवं कवित्वमयी भाषा में स्याद्वाद की परिभाषा की है ? सुनकर हृदय गद्गद् हो जाता है, और पाठक आचार्य के स्वर में स्वर मिलाकर उल्लास-पूर्ण स्वर में उद्घोष करता है -

१—‘एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तु-तत्त्वमितरेण,
अन्नेन जयति जैनी-नीतिर्मन्यान-नेत्रमिव गोपी ।

—पुरुषार्थ सिद्ध युपाय

“जयति जैनी नीति.’ अर्थात्—‘जिन-भगवान्’ द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त-नीति अर्थात्—स्याद्वाद-सिद्धान्त सदा जयवन्त हो ।”

स्याद्वाद की दार्शनिक परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—

“प्रत्यक्षादिप्रमाणाविरुद्धानेकात्मक-वस्तु-प्रतिपादक श्रुत-स्कन्धात्मक. स्याद्वाद”—१

उपयोगिता—

वस्तु के वास्तविक तथा व्यावहारिक स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वाद का उपयोग परमावश्यक है। स्याद्वाद के बिना किसी भी वस्तु का वास्तविक निर्णय नहीं हो सकता। यदि हम किसी वस्तु के एक ही धर्म को पकड़ ले, और अन्य धर्मों की ओर ध्यान न दे, तो हम निश्चय ही लोक-व्यवहार में अमफल रहेंगे।

मान लीजिए—हम अपने पिता को पिता कहते हैं, क्योंकि वह हमारा जनक है। इसमें हम कोई भूल नहीं करते। पर, क्या हमारा पिता सम्पूर्ण ससार का पिता हो सकता है? कहना होगा, नहीं। क्योंकि हमारा पिता तो हमारी अपनी अपेक्षा ही से पिता है, किसी दूसरे की अपेक्षा से नहीं। हमारी व्यक्तिगत अपेक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे की अपेक्षा से वह मामा भी है, किसी तीसरे की अपेक्षा से वह भाई तथा पुत्र भी हो सकता है। फिर हम यह कैसे कह

सकते हैं, कि—“यह व्यक्ति पिता ही है ।” ऐसा कहना और मानना भारी भूल है । अस्तु, यही एकान्त-वाद है, जिससे ससार में कलह और वैमनस्य का प्रसार होता है । यदि हम ‘ही’ के स्थान पर ‘भी’ का प्रयोग करना सीख ले, तो कलह एवं वैमनस्य की आशंका ही न रहे । ‘भी’ का प्रयोग करते हुए हम कहेंगे कि—“यह ‘पिता’ भी है ।” यही अपेक्षा-वाद है, इसी को हम अनेकान्त-वाद कहते हैं ।

इस सम्बन्ध में अनेक स्याद्वाद-विद् विद्वानों का ऐसा कथन है, कि मानव-जीवन को सफल एवं शान्तिमय बनाने के लिए जीवन में स्याद्वाद का उपयोग करना आवश्यक तथा अनिवार्य है । वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय अशान्ति का मूल कारण ‘ही’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । इस आग्रह और अपनेपन के भाव को मन-मस्तिष्क में स्थान न देना ही स्याद्वाद है । यदि मानव-समाज आज स्याद्वाद की व्यापक एवं उदार-दृष्टि से विचार करना सीख जाए, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सरस, मुन्दर तथा उदात्त बना सकते हैं ।

केवल विचारों की विशद व्याख्याओं और ग्रन्थों के अध्यायों में लिखे सिद्धान्तों के शाब्दिक उपचार से ससार का या मानव-जीवन का कल्याण नहीं हो सकता । मान लीजिए—आपको भूख लगी, तो क्या भोजन का नाम लेने मात्र से क्षुधा शान्त हो जाएगी । नहीं, हमें तदनुकूल अन्य उपाय भी प्रयोग में लाने होंगे । सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्-दर्शन के होने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती, जब तक कि हम

तथा कथित ज्ञान और दर्शन के अनुरूप आचरण नहीं करेंगे ।

रत्न-त्रयात्मक मुक्ति-मार्ग का यही आशय है, कि यथार्थ विचारों को जीवन-व्यापार में व्यावहारिक रूप देकर उनका यथावसर यथोचित उपयोग किया जाए । इसी प्रकार यदि स्याद्वाद को क्रियात्मक रूप में अपना ले, तो गच्छ-वाद एवं सम्प्रदाय-वाद जैसी सकीर्णताओं का नाम भी न रहे, और हम सब एक-तन और एक-मन होकर विश्व-बन्धुत्व का सफल अभिनय कर सकते हैं ।



सप्त-भङ्गी

एकस्मिन् वस्तुनि अविरोधेन,
विधि-प्रतिषेध-कल्पना सप्त-भङ्गी ।

— सप्त-भङ्गी-तरंगिणी

अवरोप्पर-सावेक्खं णय-विसयं अह पमाण-विसयं वा ।
तं सावेक्खं तत्तं णिरवेक्खं ताण विवरीयं ॥

— नय-चक्र

“वस्तु-गत धर्म भले ही नय-विषयक हो, भले ही प्रमाण-विषयक हो, परन्तु वे परस्पर सापेक्ष ही होते हैं । सापेक्षता तत्त्व है, और निरपेक्षता अतत्त्व ।”

: ६ :

सप्त-भङ्गी

जैन-दर्शन में जितना महत्त्व स्याद्वाद का माना गया है, और बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसा उपयोग स्याद्वाद का किया जाता है, उतना ही महत्त्व और उपयोग सप्त-भङ्गी का भी माना गया है। 'सप्त-भङ्गी' एक वह महान् सिद्धान्त है, जो वस्तु के धर्म पर अवलम्बित रहता है। सप्त-भङ्गी-वाद, नय-वाद और प्रमाण-वाद ये सब स्याद्वाद रूपी दुर्ग के सरक्षक हैं। स्याद्वाद रूपी दुर्ग पर अधिकार करने के लिए यह अनिवार्यतः आवश्यक है, कि अधिकार की कामना करने वाला सर्व प्रथम इन तीन प्रवेश-द्वारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले।

अस्तु, किसी प्रश्न के उत्तर में या तो हम 'हाँ' बोलते हैं, या 'नहीं'। इसी 'हाँ' और 'नहीं' के औचित्य को लेकर सप्त-भङ्गी-वाद की रचना हुई है। सप्त-भङ्गी का सामान्य अर्थ है—वचन के सात प्रकारों का एक समुदाय। किसी भी

पदार्थ के लिए अपेक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सात प्रकार से वचनों का प्रयोग किया जा सकता है। वे सात वचन इस प्रकार हैं —

१—है,

२—नहीं,

३—है और नहीं,

४—कहा नहीं जा सकता,

५—है, परन्तु कहा नहीं जा सकता,

६—नहीं है, परन्तु कहा नहीं जा सकता,

७—है, और नहीं, किन्तु कहा नहीं जा सकता।

शास्त्रीय एवं दार्शनिक परिभाषा—

“प्रश्नवशादेकत्र वस्तुनि अविरोधेन विधि-प्रतिषेधकल्पना सप्त-भङ्गी ।”

अर्थात्—प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में विरोध रहित विधि और प्रतिषेध की कल्पना को सप्त-भङ्गी कहते हैं। किसी भी पदार्थ एवं वस्तु के विषय में सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इसीलिए सप्त-भङ्गी कही गई है। सात प्रकार के प्रश्नों का कारण है—सात प्रकार की जिज्ञासा और सात प्रकार की जिज्ञासा का कारण है—सात प्रकार के सशय, तथा सात प्रकार के सशयो का कारण है—उसके विषय रूप वस्तु के धर्मों का सात प्रकार से होना।

अस्तु, इस परिभाषा या लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्त-भङ्गी के सात ‘भङ्ग’ केवल शाब्दिक कल्पना ही

नही है, अपितु वस्तु के धर्म-विशेष पर आश्रित है । इसलिए सप्त-भङ्गी का अध्ययन, मनन और चिन्तन करने-समय इस बात का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है, कि उसके प्रत्येक भङ्ग का स्वरूप वस्तु के धर्म के साथ सम्बद्ध हो । यदि किसी भी पदार्थ का कोई भी धर्म दिखलाया जाना आवश्यक हो, तो उसे इस प्रकार दिखलाना चाहिए, जिससे कि उन धर्मों का स्थान उस वस्तु में से-विलुप्त न हो जाए ।

मान लीजिए, आप घट में नित्यत्व का स्वरूप दिखलाना चाहते हैं, तो आपको घट के नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसा उपयुक्त शब्द प्रयोग करना होगा, जो घट में रहने वाले नित्यत्व धर्म का बोध तो कराए, किन्तु अन्य अनित्यत्व आदि धर्मों का विरोध न करे । यह कार्य सप्त-भङ्गी के द्वारा ही हो सकता है ।

यथा—‘स्याद् नित्य एव घट’ अथवा ‘स्याद् अनित्य एव घट’ अर्थात्—घट ‘नित्य’ भी है और ‘अनित्य’ भी । द्रव्य-दृष्टि से नित्य है, और पर्याय-दृष्टि से ‘अनित्य’ ।

अस्तु, अब इसी उदाहरणीभूत घट पर सप्त-भङ्गी की वचन-प्रयोग शैली इस प्रकार होगी ।

- १—स्याद् नित्य एव घट.,
- २—स्याद् अनित्य एव घट.,
- ३—स्याद् नित्यानित्य एव घट ,
- ४—स्याद् अवक्तव्य एव घट.,
- ५—स्याद् नित्य अवक्तव्य एव घट ,

६—स्याद् अनित्य अवक्तव्य एव घट ,

७—स्याद् नित्य अनित्य अवक्तव्य एव घट ,

किसी भी पदार्थ के विषय में उपर्युक्त सात प्रकार से ही प्रश्न हो सकते हैं, अतः आठवाँ, नवा या दशवाँ भग नहीं बन सकता । इसीलिए "सप्त-भगी" में सप्त-पद विल्कुल सार्थक एव अवधारणात्मक है । अर्थात्—सात ही भग हैं कम या अधिक नहीं । उक्त सात वचन प्रयोगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

१—घट द्रव्य अपेक्षा से नित्य है ।

२—घट पर्याय अपेक्षा से अनित्य है ।

३—घट क्रम विवक्षा से नित्य भी है और अनित्य भी

४—घट अवक्तव्य है, अर्थात् युगपद्-विवक्षा से अवक्तव्य भी है । उपर्युक्त चार वचन प्रयोगों पर से पिछले तीन वचन और बनाये जाते हैं ।

५—द्रव्य अपेक्षा से घट 'नित्य' होने के साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है ।

६—पर्याय अपेक्षा से घट 'अनित्य' होने के साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है ।

७—द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से घट क्रमशः 'नित्य' और 'अनित्य' होने के साथ-साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है । पिछले तीन वचन-प्रयोग, अवक्तव्य रूप चतुर्थ भग के साथ पहला, दूसरा और तीसरा मिलाने से बनते हैं । अतः वास्तव में मुख्य-रूप में तीन या चार ही भग हैं ।

वस्तुतः शब्द की प्रवृत्ति प्रवक्ता के भावो पर आधारित होती है। अर्थात्— प्रत्येक वस्तु मे अनेक (अनन्त) धर्म होते हैं, विभिन्न प्रवक्ता अपने-अपने दृष्टिकोण से उनका उल्लेख करते हैं।

मान लीजिए, दो मनुष्य हैं। दोनो बाजार मे कुछ सौदा खरीदने गए हैं। किसी दुकान पर दोनो पहुँचे और उन्होने अनेक वस्तुएँ देखी। अपनी पसन्द के अनुसार एक किसी वस्तु को अच्छी बतला रहा है, और दूसरा उसी को बुरी बतला रहा है। दोनो मे विवाद खडा हो जाता है। इधर से कोई तटस्थ पथिक भी चला जा रहा है। उसने दोनो को भगडते देखा, और पूछा—‘क्यो भाई, तुम परस्पर क्यो भगड रहे हो?’ दोनो अपनी-अपनी बात कह देते है। समझदार पथिक दोनो की बात सुनकर उनको समझाता है कि देखो—विवादास्पद वस्तु अच्छी भी है और बुरी भी। जो वस्तु तुम्हारी दृष्टि मे अच्छी है, वह इनकी दृष्टि मे बुरी हो सकती है, और इनकी दृष्टि मे जो बुरी है, वह तुम्हारी दृष्टि मे अच्छी हो सकती है। यह तो अपनी-अपनी दृष्टि है। अपना-अपना विचार है। इसमे लडने और भगडने जैसी तो कोई चीज नही है।

देखिए, तीनों व्यक्ति अपनी-अपनी विचार-दृष्टि के अनुसार तीन तरह का वचन प्रयोग करते हैं। पहला विधि-सम्बन्धी, दूसरा निषेध-सम्बन्धी, और तीसरा उभयात्मक ; अर्थात्—विधि और निषेध दोनो से सम्बन्धित। अस्तु, जब हम किसी वस्तु को अच्छी कहते हैं, तो इसका यही तात्पर्य

है कि वह वस्तु हमारी दृष्टि में सुन्दर है, किन्तु दूसरे की दृष्टि में वह बुरी या असुन्दर भी हो सकती है।

सप्त-भगी के विषय में एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है, और वह है—भगो के क्रम में मत-भेद का उत्पन्न होना। कुछ ग्रन्थकार 'अवक्तव्य' को तीसरा, और 'नित्यानित्य' को चतुर्थ भग के रूप में स्वीकार करते हैं। परन्तु अन्य आचार्य 'नित्यानित्य' को तीसरे और 'अवक्तव्य' को चतुर्थ भग के रूप में स्वीकार करते हैं। इस क्रम-भेद में दिगम्बर और श्वेतावर दोनों सम्प्रदायों के आचार्य सम्मिलित हैं। यद्यपि दोनों सम्प्रदायों के आचार्यों ने इस प्रकार अपने-अपने ग्रंथों में भिन्न-भिन्न विकल्प क्रम को स्थान दिया है, परन्तु इस क्रम-भेद से वस्तु-स्थिति में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं दिखलाई देता।

सप्त-भगी का सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ है, और पारस्परिक कलह को दूर करने वाला समस्त वस्तु-स्वरूप का परिचायक शान्त-प्रयोग है। यदि इस सिद्धान्त को हम अपने दैनिक व्यवहार में अपना लें, तो निश्चय ही हमारी साम्प्रदायिक मोह-ममता दूर हो सकती है। जिस भाँति जैनो ने अहिंसा को सक्रिय रूप दे दिया है, उसी भाँति यदि हम 'स्याद्वाद' और 'सप्त-भगी' को भी अपने जीवन-व्यवहार में सक्रिय रूप दे दें, तो हमारा समाज सुसंघटित एवं सुदृढ हो सकता है। हम एक न हो सकेंगे, ऐसी कोई असम्भव बात नहीं है। हाँ, एकता के लिए अपनी-अपनी तथ्य-हीन मान्यताओं और निराधार धारणाओं का परित्याग अवश्य ही करना होगा।

अस्तु, यदि हमें जीवन के अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए, समाज-के कल्याण के लिए, तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए जीवित रहना है, और साथ ही यदि हम ससार में अपने धर्म-सिद्धान्तों का प्रचार एवं प्रसार भी करना चाहते हैं, तो हमें विभिन्न सम्प्रदायों की सकीर्ण मान्यताओं तथा रूढ-परम्पराओं के एकान्त-मूलक गति-रोधक प्रतिबन्धों को तोड़ने के लिए नैतिक-साहस का सहारा लेना होगा।

नैतिक साहस की उपलब्धि के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण विषय-सगत ही होगा कि नैतिक साहस कोई बाह्य एवं कृत्रिम उपाय नहीं, अपितु सत्य के प्रति मन, वचन और कर्म की सत्य-निष्ठ एकरूपता है। और, यह अद्भुत एक रूपता तभी सम्भव है, जब मानव का मन और मस्तिष्क समस्त संकीर्णताओं से मुक्त रह कर विशालता और व्यापकता को अंगीकार कर ले।

अतएव जब हमारा मन और मस्तिष्क अपेक्षित विशालता और व्यापकता के द्वारा नैतिक साहस को प्राप्त कर लेगा, तब हमारे अन्दर सहिष्णुता नामक अलौकिक सुगन्ध का अबाध संचार होगा, जिससे सकीर्णता की दुर्गन्ध दूर होगी, और अपने तथा पराये सत्य के पूर्ण-रूप के प्रति शाश्वत स्नेह का उदय होगा।

सारांश में यह कथन पर्याप्त होगा कि मानव-जीवन में 'स्व-सत्यनिष्ठा' की भाँति 'पर-सत्यनिष्ठा' हो जाने पर ही—

‘पर-मत’ अथवा ‘पर-धर्म’ सम्बन्धी सहिष्णुता की उपलब्धि सम्भव है, और इस सम्भावना को साकार रूप में प्रदर्शित करने के लिए अनेकान्त-वाद और सप्त-भंगी-वाद को जीवन में उतारना होगा ।

सप्त-भंगी पर दृष्टान्त

एक थोक माल का खरीदार गाड़ी से उतर कर, शहर की ओर जाते हुए मार्ग में स्थित किसी परिचित सेठ से पूछता है कि क्या आपकी दुकान पर थोक माल है ?

१ स्यादस्ति एव—कथञ्चित् है, सेठ ने जवाब दिया ।

फिर खरीदार पूछता है—क्या आपके पास विदेशी माल भी है ?

२ स्यात् नास्ति एव—कथञ्चित् नहीं है, सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है—क्या स्व-देशी माल सब प्रकार का उपस्थित है ?

३ स्यादस्ति नास्ति एव—कथञ्चित् है भी, और नहीं भी । सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है कि—किस-किस कम्पनी का माल आप के पास उपस्थित है, मध्येप से मुझे एक ही वाक्य में उत्तर दे ?

४ स्यादवक्तव्यमेव—कथञ्चित् अवक्तव्य है, इस प्रकार सेठ ने मध्येप में ही उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है—क्या अमुक कम्पनी का माल है ? यदि है, तो कौन-कौनसा माल है ? एक ही भग से उत्तर दे ।

५ स्यादस्ति स्यादवक्तव्यमेव— कथञ्चित् है, और कथञ्चित्, अवक्तव्य है, अर्थात् माल तो है, परन्तु कौन-कौनसा है, यह कहा नहीं जा सकता, सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है कि—क्या आपके यहाँ अमुक कम्पनी का माल है ? यदि नहीं है, तो कृपया यह भी बताएँ कि किस-किस कम्पनी का माल नहीं है ? एक ही वाक्य में उत्तर दे ।

६ स्यात्नास्ति स्यादवक्तव्यमेव—कथञ्चित् नहीं है, कथञ्चित् अवक्तव्य है, अर्थात् जिस कम्पनी का नाम आप ले रहे हैं, उसका माल मेरे पास थोक नहीं है । किस-किस कम्पनी का माल मेरे पास नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता । सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर वही आगन्तुक व्यापारी पूछता है, कि क्या अमुक कम्पनी का बना हुआ माल सब प्रकार का है, या नहीं ? यदि है, तो कौन-कौनसा माल है ? यदि नहीं है, तो कौन सा माल नहीं है ? इसका उत्तर एक ही वाक्य में दे ।

७ स्यादस्ति नास्ति स्यादवक्तव्यमेव—कथञ्चित् है, और नहीं भी, कथञ्चित् अवक्तव्य भी है, अर्थात्—उस कम्पनी का माल बहुत कुछ उपस्थित है, बहुत कुछ विक चुका, थोक रूप में नहीं है । उस कम्पनी का माल अब कौन सा है, और कौन-सा नहीं—यह कुछ कहा नहीं जा सकता । अतः यदि एक ही वाक्य में उत्तर देना हो, तो पूर्वोक्त सातवें भंग से ही दिया जा सकता है ।

सम्यग्-दर्शन पर सप्त-भंगी

१—स्याद्अस्तिएव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—

यह भग चतुर्थ गुण स्थान से लेकर पष्ठ गुण-स्थान तक तथा त्रयोदश इन चार गुण स्थानो मे पाया जाता है ।

२—स्यान्नास्तिएव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—

यह भग पहले से तीसरे तक और एकादशवा, इन चार गुण-स्थानो मे पाया जाता है ।

३—स्यादस्तिनास्तिएव क्षायिक सम्यग्दर्शनम्—

यह भग सातव से दशवे गुण-स्थान तक तथा वारहवे और चौदवे इन छह गुण-स्थानो मे पाया जाता है ।

४—स्यादवक्तव्यमेव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—

पूर्वोक्त तीसरे भग मे जो गुण-स्थानो का उल्लेख किया है, उनमे से वर्तमान काल मे किस किस स्थान मे सम्यग्दर्शन का सद्भाव, और किस किस मे असद्भाव है, यह कहना एक समय मे अशक्य है ।

५—स्यादस्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—यह भग प्रथम और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है ।

६—स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्दर्शनम्—यह भग दूसरे और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है ।

७—स्यादस्तिनास्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्दर्शनम्—तीसरे और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है ।



नैगम-नय

देश-समग्र-ग्राही नैगमः

— तत्त्वार्थ भाष्य, १—३५

नैगमो मन्यते वस्तु, तदेतदुभयात्मकम् ।
निर्विशेषं न सामान्यं, विशेषोऽपि न तद् विना ॥

— नय-कर्णिका

“नैगम-नय वस्तु को उभयात्मक, अर्थात् सामान्य-विशेष रूप मानता है । क्योंकि विशेष के विना सामान्य और सामान्य के विना विशेष, किसी भी तरह घटित नहीं हो सकते ।”

: ७ :

नैगम-नय

अध्यापक ने अपना नय विषयक वक्तव्य सक्षेप में ही समाप्त करके सातों छात्रों को नैगम-नय का अर्थ, और उसका सक्षिप्त विवेचन करने की आज्ञा प्रदान की। तदनन्तर छात्रों ने नैगम-नय का अर्थ करते हुए अपने-अपने विचार प्रगट किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा— “अनेक प्रकार के सामान्य एवं विशेष-ग्राहक ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु-तत्त्व का निश्चय किया जाय, उसे ‘नैगम-नय’ कहते हैं।”—१

वैशेषिक दर्शन के अनुसार यदि सामान्य और विशेष का स्वरूप माना जाए, तो ‘अविशुद्ध’ नैगम नय के अन्तर्भूत हो सकता है, क्योंकि वैशेषिक दर्शनकार ने सामान्य

१—गेर्गेहिं माणेहिं मिणइत्ति गेगमस्स य निरुत्ती ।

— अनुयोगद्वार सूत्र टीका

और विशेष को भिन्न-भिन्न पदार्थ माना है, और तदनुसार उनके लक्षण भी भिन्न ही प्रतिपादित किए हैं ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“लोकार्थ निबोध को निगम कहते हैं, उसमें जो कुशल हो उसे नैगम कहते हैं ।”—१

‘लोक’ का आशय लौकिक में है । अर्थ का तात्पर्य है—जीवादि तत्त्व, अर्थात्—लौकिक दर्शनकारों ने जीवादि तत्त्व पर अपनी-अपनी मान्यतानुसार जो विचार धाराएँ व्यक्त की हैं, उसे निगम कहते हैं, उसी को सुव्यवस्थित तथा विशिष्ट-रूपेण बोध कराने वाले ज्ञान को ‘नैगम-नय’ कहते हैं ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“जिसके द्वारा गमन किया जाए, उसे ‘गम’ कहते हैं । जिसके अनेक मार्ग हो, उसे ‘नैक गम’ कहते हैं । निरुक्त त्रिविध में ‘नैक’ शब्द का ककार लुप्त हो जाने पर ‘नैगम’ शब्द बनता है ।”—२

१—“लोगस्य-निबोधा वा निगमा, तेमु कुमनोऽभवोऽयम् ।”

— नय प्रदीप

२—“जे नैगमो, अणोम-पहो, गेगमो, तेण गम्यतेऽनेनेति”
गम = पन्था, न एक-गमा. पन्थानो यस्यामी नैकगम. । निरुक्त-
विधिना ककार-नोपात् नैगम इति ।”

— विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति

हथ्थे की लकड़ी के सकल्प-से कही जाते हुए, यदि किसी को कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं ? तब वह जवाब में कहता है कि मैं कुल्हाड़ी लेने जा रहा हूँ। वास्तव में तो वह कुल्हाड़ी के लिए हथ्थे की लकड़ी लेने ही जा रहा है, तब भी वह ऊपर जैसा ही जवाब देता है, और पूछने वाला भी तत्काल उसके तात्पर्य को समझ लेता है। यह एक तरह की 'लोक-रूढि' है।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“नैकं गच्छतीति निगम., निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगम.,”—लोक-रूढि के अनुसार जिसके अनेको ही मार्ग हो, उसे नैगम कहते हैं। मुख्यतया नैगम नय के तीन भेद हैं—१

- (१) महासामान्य,
- (२) सामान्य,
- (३) विशेष।

पर-सत्ता को महासामान्य कहते हैं। अपर-सत्ता को सामान्य कहते हैं। और जो नित्य द्रव्यो में रहने वाले हैं तथा व्यावर्त्तक हैं, वे विशेष कहलाते हैं। दूसरी शैली से भी इसके तीन भेद बनते हैं, जैसे—(क) अविशुद्ध नैगम (ख) विशुद्धा-विशुद्ध नैगम, और (ग) विशुद्ध नैगम।

१—नैकं गच्छतीति निगम । निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगम।

कथित तीनों भेदों को स्पष्टतया समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे—

कोई व्यक्ति चादर बनाने के लिए बाजार से रूई खरीद रहा है। वही पर किसी आगन्तुक ने पूछा, क्या ले रहा है? उसने उत्तर दिया चादर ले रहा हूँ। वही आगन्तुक व्यक्ति उस रूई को पीज भी रहा है। अतः उससे पूछा गया—क्या बना रहा है? वह उत्तर देता है, मैं चांदर बना रहा हूँ वही व्यक्ति तकली या चर्खे से सूत कात रहा है, किसी ने पूछा—क्या बना रहे हो? उसने उत्तर दिया—मैं चादर बना रहा हूँ। खड़ी में ताना तानत हुए से पूछा, कि क्या बना रहा है? उत्तर दिया, मैं चादर बना रहा हूँ। अर्थात् चादर बनाने के दृढ सकल्प से लेकर रूई खरीदने तक 'अविशुद्ध नैगम' कहलाता है, और सूत कातना आदि क्रिया 'विशुद्धाविशुद्ध नैगम' कहलाता है, ताना तानते हुए उसने जो उत्तर दिया, वह 'विशुद्ध नैगम' है।

पंचम छात्र

पाँचवे छात्र ने कहा—“जब अतीत काल में वर्त्तमान का आरोप किया जाए, तब उसे भूत-नैगम कहते हैं। जैसे आज दीपावली को श्रीवर्द्धमान स्वामी का निर्वाण हुआ। आज अमुक तीर्थङ्कर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ।”

“जब भावि-काल में भूत काल की तरह कथन किया जाता है, तब उसे भावि-नैगम कहते हैं। जैसे कि भव-सिद्धिक जीव सिद्ध ही है, क्योंकि भगवती सूत्र के अट्ठारहवे

शतक मे भगवान् महावीर स्वामी प्रतिपादन करते है, कि—
भव-सिद्धिक जीव एक या अनेक चरम है । अत जो चरम
है, वे अर्हन् ही है, और जो अर्हन् हैं वे सिद्ध ही है । अत
सिद्धत्व परिणाम अचरम है । जब कारण को कार्य-रूप
मे परिणत करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है, तब
कार्य पूरा होने मे भले ही विलम्ब हो, परन्तु वह कार्य
पूर्ण ही कहा जाता है । इस प्रकार के नय को “वर्तमान-
नैगम-नय” कहते हैं ।

उदाहरण के लिए भृगु पुरोहित और उसके दोनो पुत्रो
का सवाद ले लीजिए—

पुरोहित के दोनो पुत्रों ने दीक्षा का दृढ सकल्प तो कर
लिया, परन्तु अभी तक दीक्षा ग्रहण नहीं की थी । फिर भी
पुरोहित ने उन्हे मुनि कहा है ।—१

इसी प्रकार दीक्षा लेने से पहले ही नमिराज को राजर्षि
कहा है । ये उदाहरण ‘वर्तमान नैगम-नय’ के हैं ।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—जो विचार लौकिक रूढि अथवा
लौकिक सस्कार के अन्सरण करने से पैदा होता है, उसे

१—अह तायगो तत्थ मुणीण तेसिं,
तवस्स वाघायकर वयासी ।
इम वय वेयविओ वयन्ति ;
जहा न होइ असुयागा लोगो ॥

नैगम कहते हैं, अर्थात्—लोक रूढियों से पडे हुए सस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगम-नय के अन्तर्भूक्त हो जाते हैं। देश, काल एवं लोक स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण लोक रूढियाँ तथा तज्जन्य सस्कार भी अनेक तरह के होते हैं। उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिलते हैं।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने कहा—जो नय एक गम, अर्थात्—एक विकल्प-रूप ही नहीं हो, किन्तु जो अनेक विकल्पों द्वारा अनेक मान, अनुमान और प्रमाण द्वारा वस्तु-स्वरूप को समझता हो, पदार्थ को सामान्य, विशेष तथा उभयात्मक मानता हो, तीनों काल की बात को स्वीकार करता हो, किसी वस्तु में अज्ञ-मात्र गुण होने पर भी उसे पूर्ण वस्तु मानता हो, चारों निक्षेपों को अङ्गीकार करता हो, वह ज्ञान नैगम-नय कहलाता है। अथवा—

किसी वस्तु में किसी एक पर्याय के होने की योग्यता मात्र देखकर वर्तमान में उस पर्याय के अभाव में भी उस वस्तु को उम पर्याय-युक्त कहना, उसे नैगम-नय कहते हैं।

जैसे वर्तमान में श्रेणिक की आत्मा को नारकीय होते हुए भी तीर्थङ्कर कहना, क्योंकि यह नय, द्रव्य-तीर्थङ्कर को भी तीर्थङ्कर मानता है। द्रव्य-साधु को भी साधु मानता है।

इसके पश्चात् अध्यापक नय और नैगम का अर्थ बतलाते हुए इस प्रकार कहने लगा—

अध्यापक

किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करने वाला विचार 'नय' है"—नयो का निरूपण , अर्थात्—विचारो का वर्गीकरण । जैसे सूत्रकार गिष्प की सुगमता के लिए किसी महान् शास्त्र के रचना काल में अपने अभीष्ट विचारो को पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध, अथवा प्रथम श्रुतस्कन्ध एव द्वितीय श्रुतस्कन्ध , इस प्रकार दो विभागो में विभक्त कर देते हैं । आगे चलकर प्रत्येक श्रुतस्कन्ध में भिन्न-भिन्न विषय पर अध्ययन । प्रत्येक अध्ययन में भिन्न-भिन्न प्रकरण , और प्रत्येक प्रकरण में एक ही विषय को स्पष्ट करने वाले भिन्न-भिन्न विचार । इसी प्रकार नय-शास्त्र में 'नय-वाद' का निरूपण है , अर्थात्—“विचारो की मीमासा” ही 'नय-वाद' है ।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि—जो विचार परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, परन्तु वास्तव में जिनका विरोध नहीं है, ऐसे विचारों के अविरोध के बीज की गवेषणा करना, अर्थात्—परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले विचारो के वास्तविक अविरोध के बीज की गवेषणा करके वैसे विचारो का समन्वय करने वाला शास्त्र 'नय-वाद' कहलाता है । सात नयों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—(क) द्रव्यार्थिक, और (ख) पर्यायार्थिक । वस्तु के सामान्य धर्म को ग्रहण करने वाला नय 'द्रव्यार्थिक' कहा जाता है, और विशेष धर्म को ग्रहण करने वाला नय 'पर्यायार्थिक' कहा जाता है ।

सभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक-सी नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है। इसी को बतलाने के लिए इन दो विचार दृष्टियों के पुनः अनेक भाग किये गए हैं। जैसे कि द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—“नैगम, सग्रह, व्यवहार और पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत। अब ‘द्रव्यार्थिक’ और ‘पर्यायार्थिक’ का स्वरूप उदाहरण के द्वारा समझिए।

पहला उदाहरण—

जैसे किसी मनुष्य ने गाढ-तिमिर में स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हस्त-गत वस्तु को जाना कि यह पुस्तक है। फिर उसका आकार-प्रकार और वजन भी जाना। फिर दूरवर्ती बिजली के प्रकाश से टाईटल की खूबसूरती और कागज का रंग, उसकी चमक, स्निग्धता तथा रूक्षता और मोटाई को भी जाना। ‘द्रव्यार्थिक नय’ का यह सक्षिप्त परिचय है।

अनन्तर उसकी भाषा भी जानी जा सकती है। रचयिता कौन है? भाषा-शैली कैसी है? विषय क्या है? छपाई कैसी है? मूल्य क्या है? कहाँ से मिलती है? इसके अभी तक कितने संस्करण निकल चुके हैं? कौन-से सन् में छपी है? किस प्रेस में छपी है? भूमिका किस की लिखी हुई है? पृष्ठ संख्या और ग्रन्थाग्र कितना है? आदि अनेक प्रश्न हल किए जा सकते हैं, इसी को ‘पर्यायार्थिक नय’ कहते हैं।

दूसरा उदाहरण—

जैसे अवोध बालक किसी विशिष्ट चित्रगत सौन्दर्य को

या उसके आकार-प्रकार को महासामान्य रूप में ही जानता और देखता है। आठ वर्ष का बालक कुछ विशेष रूप से जानता है, और देखता है। चित्र-कला से अनभिज्ञ सोलह वर्ष का बालक भी हो, तब भी वह जो कुछ जानता और देखता है, पहले की अपेक्षा से तो वह विशेष ही जानता है; किन्तु है यह भी सामान्य की कोटि में ही। यहाँ तक 'द्रव्यार्थिक नय' का सम्बन्ध है।

विशिष्ट चित्रकार उसी चित्र को विशेष रूप से जानता है, यही 'पर्यायार्थिक नय' है। जैसे विशेष दृष्टि वाला मनुष्य अनघड सुवर्ण में भी भूषण आदि अनन्त पर्यायों की कल्पना कर सकता है, और कल्पित को भी जान सकता है, इसी प्रकार उन अनन्त पर्यायों में से किसी भी एक में, सामान्य दृष्टि द्वारा वही मनुष्य स्वर्णत्व को भी जान सकता है। द्रव्य दृष्टि में विशेष-पर्याय, और पर्याय दृष्टि में द्रव्य-सामान्य आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह दृष्टि विभाग तो केवल गौण और प्रधान भाव की अपेक्षा से ही समझना चाहिए।

नैगम-नय का आधार —लोक-रूढि है, जो आरोप पर आश्रित है। और आरोप होता है—सामान्य-तत्त्वाश्रयी। ऐसा होने से 'नैगम-नय' सामान्य-ग्राही होता है।

नैगम-नय का विषय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि वह सामान्य और विशेष दोनों का ही लोक-रूढि के अनुसार कभी तो गौण रूप से और कभी मुख्य रूप से अवलंबन करता है।

जैसे--गुरा और गुणी, अवयव और अवयवी, जाति और

जातिमान्, क्रिया और कारक आदि उपक्रमो मे भेद और अभेद की विवक्षा करना ही नैगम-नय है ।

गुण और गुणी कभी भिन्न है और कभी अभिन्न । जिस समय कर्त्ता की विवक्षा भेद की ओर होती है, उस समय अभेद गौण हो जाता है, और जिस समय अभेद की विवक्षा की जाती है, उस समय भेद की गौणता स्पष्ट हो जाती है । साराश मे यह कथन पर्याप्त है कि भेद और अभेद को—गौण और प्रधान , दोनो भाव से ग्रहण करना ही 'नैगम-नय' का विषय है ।

यदि एकान्त भेद को ही ग्रहण करे और अभेद की विल्कुल नास्ति ही कर दे, या अभेद को ही मान्यता की कोटि मे रखे, और भेद की पूर्णतया उपेक्षा करे, तो इसी को नाम 'नैगमाभास' है ।

वस्तुतः नैगमाभास नय नहीं, बल्कि-दुर्नय, अर्थात्—मिथ्यात्व-पोषक है, अतः यह सिद्धान्त की कोटि मे नहीं आ सकता । जैसे कि न्याय तथा वैशेषिक दर्शनकारो ने सामान्य तथा विशेष ये दोनो परस्पर पदार्थो को अत्यन्त भिन्न माना है, द्रव्य, गुण और कर्म से भी उक्त दोनो पदार्थो को अत्यन्त भिन्न माना है । यही 'दुर्नय' है ।

संग्रह-नय

सामान्य-मात्र-ग्राही परामर्शः संग्रहः

— प्रमाण-नय तत्त्वालोक, ७—१३

अवरे परम-विरोहे, सव्व अत्थित्ति सुद्ध-संगहणे ।
होइ तमेव असुद्धो इग-जाइ-विसेस-गहणेण ॥

— लघु नय-चक्र

“विभिन्न वस्तुओ मे तद्गत विशेष गुण-धर्मों के कारण अत्यन्त विरोध होने पर भी वस्तु-गत ‘सामान्य सत्ता’ के कारण सभी को अस्ति रूप से ग्रहण करने वाला विचार ‘शुद्ध-सग्रह-नय’ है । और उन वस्तुओ मे अवान्तर समानताओ के आधार पर एक अलग जाति-विशेष का ग्रहण करने वाला विचार ‘अशुद्ध सग्रह-नय’ है ।”

: ८ :

संग्रह-नय

नैगम-नय के पश्चात् अध्यापक ने छात्रों से संग्रह-नय की व्युत्पत्ति, उसका स्वरूप तथा उसका विषय कितना है ? यह प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर सातों छात्रों ने इस प्रकार दिया ।

प्रथम छात्र

पहला छात्र बोला—‘अर्थात् सर्वैकदेश संग्रहण संग्रह,’—१ पदार्थों के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को संगृहीत करके एक सामान्य को स्वीकार करना ही ‘संग्रह नय’ की उपयोगिता है । इस नय की दृष्टि में सभी पदार्थ परस्पर अभिन्न हैं, क्योंकि सामान्य धर्म सभी में विद्यमान हैं । सामान्य का विषय आकाश की तरह सर्व-व्यापी है ।

द्वितीय छात्र

दूसरा छात्र बोला—“सामान्य-रूपतया सर्व संगृह्णातीति

सग्रह', अर्थात्—जो दृष्टि या श्रुत-ज्ञान सामान्य रूप से समस्त द्रव्यो का सग्रह करता है, वह 'सग्रह-नय' है। इसका विषय नैगम से कुछ सकुचित है, क्योंकि नैगम-नय का विषय सामान्य और विशेष दोनों ही है। किन्तु सग्रह का विषय केवल सामान्य ही है।

तृतीय छात्र

तीसरा छात्र बोला—“सर्वेऽपि भेदा सामान्य रूपतया सगृह्यतेऽनेनेति सग्रह”, अर्थात्—जिस ज्ञान के द्वारा सभी भेद तथा उपभेदो का सग्रह किया जाए, वह 'सग्रह-नय' कहलाता है। अर्थात्—जो विचार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में सगृहीत कर लेता है, वह 'सग्रह-नय' है।

चतुर्थ छात्र

चौथा छात्र बोला—‘सामान्य मात्र ग्राही परमार्थः सग्रह’, अर्थात्—सामान्य मात्रग्राही जो ज्ञान है, वह 'सग्रह-नय' है। इस वाक्य में 'मात्रपद' दिया है, जिसका अर्थ होता है—‘मात्र कात्स्न्येऽवधारणे च’—मात्रपद सम्पूर्ण और निश्चय का द्योतक है। 'सग्रह-नय' का विषय निश्चितरूपेण सामान्य ही है, अर्थात्—जहाँ-जहाँ सामान्य है, वहाँ-वहाँ सग्रह नय का विषय है।

पंचम छात्र

पाँचवा छात्र बोला—“सामान्यमगेष-विशेष-रहितम्”—

अर्थात् जो समस्त विशेषो से रहित है, वही सामान्य है ।
 “सग्रहण सामान्यरूपतया सर्व-वस्तूनामाक्रोडन सग्रह” ,
 अर्थात्—जो वाक्य सामान्य रूप से सभी वस्तुओं को अभेद
 दृष्टि से एक रूप में सग्रह करे, वह ‘सग्रह-नय’ है । जैसे
 कि मनुष्य जाति में सञ्जी-मनुष्य तथा असञ्जी-मनुष्य,
 अपर्याप्त-मनुष्य और पर्याप्त-मनुष्य, छोटे सहनन वाले
 मनुष्यो तथा छोटे सस्थान वाले मनुष्यो, और अखिल
 वर्णों का अन्तर्भाव हो जाता है, अर्थात्—मनुष्य जाति में
 सभी प्रकार के मनुष्य अभेद रूप से रह रहे हैं, जिसे
 शास्त्रीय परिभाषा में ‘मनुष्य दण्डक’ भी कहते हैं ।

षष्ठ छात्र

छठा छात्र बोला—जो एकीभाव करके पिंडीभूत विशेष
 राशि को ग्रहण करे, उसे ‘सग्रह-नय’ कहते हैं । सग्रह दो
 प्रकार का होता है—सामान्य और विशेष । पहला सामान्य-
 सग्रह, जैसे कि सर्व द्रव्य परस्पर अविरोधी है । और दूसरा
 विशेष सग्रह—जैसे कि सभी जीव-द्रव्यात्मा की दृष्टि से
 परस्पर अविरोधी है ।

सप्तम छात्र

सातवाँ छात्र बोला—सगृहीत का अर्थ है—पर सग्रह ।
 पिण्डित का अर्थ है—अपर सग्रह । अथवा सगृहीत का अर्थ है
 महासामान्य, और पिण्डित का अर्थ है—सामान्य-विशेष । सत्ता,
 पर-सग्रह, महामामान्य, ये सब सामान्य सग्रह के नामान्तर

है। जैसे कि द्रव्यत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि धर्म, सभी द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान हैं।—१

पिण्डित, अवान्तर, सामान्य, अपर सग्रह, आदि ये सब विशेष सग्रह के नामान्तर हैं। जैसे कि जीवत्व, पुद्गलत्व आदि धर्मस्व स्व-जाति में अविरोधी भाव से रह रहे हैं। पर-जाति की अपेक्षा उपर्युक्त धर्म विशेष है, क्योंकि ये धर्म अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, अतः इसे विशेष सग्रह कह सकते हैं। स्व-जाति के विरोध के बिना समस्त पदार्थों का एकत्व में सग्रह करना ही 'सग्रह-नय' कहलाता है।

अध्यापक ने सब छात्रों के द्वारा की गई 'सग्रह नय' विषयक व्याख्या को दत्त-चित होकर सुना और साथ ही उन सभी के द्वारा वर्णित भिन्न-भिन्न लक्षणों को सकलित करते हुए अपने ढंग से सग्रह-नय का विवेचन इस प्रकार किया —

अध्यापक

आप लोगो ने सग्रह-नय का भिन्न-भिन्न शैली से जो विवेचन किया है, वह निस्सन्देह विरोधी नहीं है। आशय तो सब का एक ही है, किन्तु कथन का ढंग एक-दूसरे से भिन्न है। जिस प्रकार किसी ने रुपये का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि

१—सगहिय-पिण्डियत्थ मगह-वयण ममासओ विति ।

— अनुयोगद्वार, सूत्र

दो अठन्नियों को रुपया कहते हैं। किसी ने कहा चार चवन्नियों को, किसी ने आठ दुअन्नियों को, एव सोलह आने को, बत्तीस टके को, चौसठ पैसो को, तो किसी ने १६२ पाइयों को रुपया बतलाया। जैसे उपर्युक्त सभी वाचक भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु उन सभी वाचको का वाच्य एक ही है।

सामान्य या अभेद को ग्रहण करने वाली दृष्टि 'सग्रह-नय' है। यह हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है, तथैव भेदाभेदात्मक है। इन दोनों धर्मों में से सामान्य या अभेद-धर्म का ग्रहण करना, और विशेष-धर्म के प्रति, अर्थात्—भेद-धर्म के प्रति उदासीनता प्रकट करना 'सग्रह-नय' है। वस्तुतः कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो सत् न हो। जिस प्रकार नीलादि आकार वाले समस्त ज्ञान, सामान्य ज्ञान के भेद हैं, उसी प्रकार जीवादि जितने भी तत्व हैं, सब सत् हैं। परन्तु सग्रह की मान्यता है कि सब एक है, क्योंकि सब सत् है।

इस सम्बन्ध में स्थानाग सूत्र के एक स्थान में लिखा है कि—आत्मा एक है।—१ जबकि अन्य आगमों में आत्मा की संख्या अनन्तानन्त बतलाई गई है। फिर आत्मा की संख्या एक कैसे मानी जाए? ऐसी शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः यह कहना पड़ेगा कि यह पाठ 'सग्रह-नय' की अपेक्षा से कहा गया है। आत्मा एक है, द्रव्यात्मा अथवा उपयोगात्मा की दृष्टि से। ये दो आत्मा-स्वरूप अल्प-विकासी

निगोद-जीव से लेकर सम्पूर्ण-विकासी सिद्धात्मा पर्यन्त सभी जीवों में एक अर्थात् समान पाए जाते हैं। इसी प्रकार 'एगो पुण्यो' पुण्य एक है, जबकि इसी सूत्र के नौ वे स्थान में नौ प्रकार के पुण्य का उल्लेख है। इस शका का समाधान भी सग्रह-नय की दृष्टि से हो जाता है। यद्यपि पुण्य अनेक प्रकार का है, फिर भी शुभ अध्यवसाय रूप होने के कारण वह सब एक ही है। यही बात 'एगो पावे' पाप एक है, इस सम्बन्ध में भी है। अशुभ अध्यवसाय-रूप से परिणत आत्मा का परिणाम पाप है, वह अनेक प्रकार का होते हुए भी अशुभत्वेन एक है। इस प्रकार स्थानाग सूत्र का पहला स्थान प्रायः 'सग्रह-नय' से ओत-प्रोत है।

द्रव्यावश्यक के करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, नैगम-नय, उतने ही द्रव्यावश्यक मानता है, किन्तु सग्रह-नय द्रव्यावश्यक रूप में सब को एक मानता है। इसी प्रकार द्रव्य-श्रुत के विषय में भी समझ लेना। वसति के विषय में—सग्रह-नय मानता है कि जिस शय्या पर व्यक्ति आराम करता है, वह उनकी वसति है।

प्रदेश दृष्टान्त के विषय में—नैगम-नय छह के प्रदेश मानता है। जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश, स्कन्ध-प्रदेश, देश-प्रदेश। जबकि सग्रह-नय मानता है कि देश-प्रदेश के बिना पाँच के प्रदेश हैं, क्योंकि 'देश' उसी द्रव्य का एक भाग है, और उसके प्रदेश तो द्रव्य में ही सम्मिलित किये जा सकते हैं। स्वतन्त्र रूप में देश कोई चीज ही नहीं है। जैसे—मेरे गुलाम ने घोड़ा खरीदा

है', इस वाक्य में गुलाम भी मेरा है और घोडा भी मेरा । अतः ऐसा नहीं कहना चाहिए कि छह के प्रदेश होते हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि पाँच के प्रदेश हैं, जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश और स्कन्ध-प्रदेश ।

महासामान्य के अवान्तर भेदों का ग्रहण करना सग्रह का कार्य है । 'अपर-सामान्य,' पर-सामान्य के द्रव्य-गुण आदि भेदों में रहता है, अर्थात्—द्रव्य में रहने वाली सत्ता 'पर-सामान्य' है और द्रव्य का जो द्रव्यत्व सामान्य है, वह 'अपर सामान्य' है । इसी प्रकार गुण में सत्ता 'पर-सामान्य' है और गुणत्व 'अपर-सामान्य' है, जैसे—जीव-द्रव्य में जीवत्व सामान्य अपर-सामान्य है । इस प्रकार जितने भी अपर हो सकते हैं, उन सब का ग्रहण करने वाला अपर सग्रह है । घटत्व, पटत्व, गोत्व तथा ब्राह्मणत्व आदि उदाहरण अपर-सामान्य के ही बनते हैं ।

'सग्रह-नय की दृष्टि से सभी मुक्तात्मा एक समान हैं, अर्थात्—पन्दरह भेद वाले सिद्धों की गणना सग्रह नहीं करता है । यदि इसे अभेद-नय कहा जाए तो असंगत न होगा । जिस प्रकार चारित्रात्मा में पाँचों ही चारित्रों का सग्रह हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानात्मा में पाँचों ही ज्ञान का सग्रह हो जाता है । इसी क्रम के अनुसार कषायात्मा में चारित्र मोहनीय की पच्चीस प्रकृतियों का सग्रह, और योगात्मा में पच्चीस योगों का सग्रह हो जाता है ।

॥

संग्रह-नय

संग्रहो मन्यते वस्तु,
सामान्यात्मकमेव हि ।
सामान्य-व्यतिरिक्तोऽस्ति,
न विशेष ख-पुष्पवत् ॥

— नय-कर्णिका

संग्रह-नय वस्तु को केवल सामान्यात्मक ही मानता है, क्योंकि सामान्य से अलग विशेष आकाश के फूल की तरह कोई अस्तित्व नहीं रखता ।

व्यवहार-नय

लौकिक सम उपचारप्रायो.

विस्तृतार्थो व्यवहारः

— तत्त्वार्थ भाष्य. १—३५.

“जं संगहेण गहियं भेयइ अत्थं असुद्ध-सुद्धं वा ।
सो ववहारो दुविहो असुद्ध-सुद्धत्थ भेयकरो ॥”

— लघु नय-चक्र

सग्रह-नय से ग्रहण की गई समस्त द्रव्यो की एक जाति मे विधिवत् भेद करने वाला, शुद्धार्थ-भेदक व्यवहार-नय है । यथा.—द्रव्य के दो भेद है—‘जीव’ और ‘अजीव’ ; तथा उन अवान्तर जातियो मे भी उपभेद करने वाला अशुद्धार्थ-भेदक व्यवहार-नय है । यथा—जीव के दो भेद हैं—‘ससारी’ और ‘मुक्त’ ।

व्यवहार-नय

अध्यापक ने अपना सग्रह-नय विषयक वक्तव्य संक्षेप से निरूपण करके व्यवहार-नय का यथाशक्य विवेचन करने के लिए छात्रों को आदेश दिया । तदनुसार छात्रों ने 'व्यवहार-नय' का विवेचन इस प्रकार किया—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—जिसके द्वारा सामान्य का निराकरण किया जाए, और विशेष रूप से व्यवहार किया जाए, उसे 'व्यवहार-नय' कहते हैं ।—१

तत्त्व-ज्ञान के प्रदेग में सदरूप वस्तु भी जड़ और चेतन रूप में दो प्रकार की है । आगम में जड़-पदार्थ पांच प्रकार से वर्णित है; जैसे—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कालद्रव्य और पुद्गलास्तिकाय । इनमें से पुद्गलास्तिकाय

१—विशेषतोऽवह्नियते, निराक्रियते सामान्यं येन, इति व्यवहारः ।'

—विशेषावश्यक भाष्य-वृत्ति

ही रूपी तथा मूर्त है, शेष चार अरूपी और अमूर्त है ।

चेतन तत्त्व के दो भेद ह — मुक्त और ससारी । व्यवहार-नय के अनुसार मुक्तात्मा के पन्द्रह भेद आगम-विहित हैं, और ससारी जीवों के पाँच-सौ तरेसठ भेद हैं । उक्त सामान्य तत्त्व के भेदानुभेद करके उसे व्यवहार में लाना ही इस नय का मुख्य ध्येय है ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“सग्रह-नय के द्वारा सगृहीत अर्थ का विधि पूर्वक अवहरण करना , अर्थात्—जिस अर्थ को सग्रह-नय ग्रहण करता है, उसी अर्थ को विशेष रूप से जब बोध कराना हो, तब उसका पृथक्करण करना पड़ता है ; यही व्यवहार-नय है ।” —२ । जैसे कि औषध मात्र कहने और जानने से सामान्य का ही बोध हो सकता है, विशेष का नहीं । विशेष तो होगा—देशी और विदेशी ।

फिर प्रत्येक के चार-चार भेद हैं , जैसे—खाने की, पीने की, डालने की और लगाने की औषधियाँ । आगे चलकर उनके नाम, गुण, दोष, मात्रा तथा सेवन-विधि, और अनुपान आदि प्रत्येक के भिन्न-भिन्न भेद हैं । इस प्रकार जानकारी के द्वारा अध्यवसाय विशेष को व्यवहार में लाना ही लौकिक व्यवहार है । जो सामान्य-तत्त्व व्यवहार-पथ पर सही नहीं

२—विधि-पूर्वकमवहरण व्यवहार ।

उतर सकता है, वह खर-शृङ्गवत् श्रवस्तु है । अतः लौकिक क्रिया का सूत्र-पात करने वाला 'व्यवहार-नय' ही है ।

तीर्थङ्कर भी छद्मस्थ को सन्मार्ग पर लगाने के लिए व्यवहार-नय का अनुसरण करते हैं । जो शिक्षा और उपदेश सूत्रों में विहित हैं, वे सब प्रायेण व्यवहार-नय पर अवलम्बित हैं ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“विविध वस्तुओं को एक रूप में सकलित करने के पश्चात् उनका विशेष रूप में बोध कराना हो, या लोक-व्यवहार में उपयोग करने का जब भी प्रसंग आए, तब उनका विशेष रूप से भेद करके पृथक् करण करने वाली दृष्टि को व्यवहार-नय कहते हैं ।” जैसे कि मनुष्य कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों का अलग-अलग बोध नहीं हो सकता ।—१

व्यवहार-नय मुख्यतया मनुष्य के चार भेद स्वीकार करता है; जैसे—कर्म-भूमिक, अकर्म-भूमिक, अतर्दीपक तथा समूर्च्छिम ; अथवा स्त्री, पुरुष, और नपुंसक । इसी प्रकार चार वर्ग, और प्रत्येक वर्ग की भिन्न-भिन्न जाति और भिन्न-भिन्न कुल, जैसे—धनी और निर्धन, रोगी और नीरोगी, सद्गुणी और दुर्गुणी, रूपवान और रूप-विहीन, सज्जन और दुर्जन, आर्य और अनार्य, आदि अनेक भेद बन जाते हैं ।

१—लोक-व्यवहारपरो वा विशेषतो यस्मात् इति व्यवहार ,

व्यवहार-नय वहाँ तक भेद करता जाता है, जहाँ तक पुनः भेद की सभावना न हो ।

शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार मनुष्य की चौदह लाख योनियाँ हैं । इन भेदों की कल्पना व्यवहार-नय पर ही अवलम्बित है । इस नय का मुख्य लक्ष्य है—व्यवहार-सिद्धि ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“जो अध्यवसाय-विशेष लोक-व्यवहार के लिए अत्यन्त उपयोगी है, वही व्यवहार-नय है ।” यह नय उसी पदार्थ की घट-सजा को स्वीकार करता है, जो जल धारण-आहरण आदि अर्थ में क्रियाकारी हो । जिसमें अर्थ-क्रियाकारिता न हो, उसे घट नहीं मानता है । जिसमें शीत-निवारण एवं तनु-आवरण आदि अर्थ-क्रियाकारिता न हो, उसकी पट-सजा को अङ्गीकार नहीं करता । जिसमें दस द्रव्य-प्राणों में से एक भी प्राण न हो, उसे प्राणी नहीं मानता । जिसमें विशिष्ट ज्ञान न हो, उसे ज्ञानी नहीं मानता ।

यह नय ज्ञान के चार साधन स्वीकार करता है, जैसे — प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और आगम । लोक-व्यवहार का भी यही मन्तव्य है, और व्यवहार-नय का भी, किन्तु दृष्टि में अन्तर है । लौकिक दर्शन, एकान्त दृष्टि से किसी तत्त्व-विशेष को मानता है, जबकि व्यवहार-नय अनेकान्त दृष्टि से अपने विषय को ग्रहण करता है । यही दोनों में अन्तर है ।

पंचम छात्र

पाचवे छात्र ने कहा—‘लौकिक के समान, और प्राय अधिकतर उपचार के आश्रयीभूत अर्थ को विस्तृत करने वाली दृष्टि को व्यवहार-नय कहते हैं।’—१ जैसे कि लोक-व्यवहार में भ्रमर तथा कोयल काली है, तोता हरा है, हंस श्वेत है। किन्तु निश्चय दृष्टि से इनमें पाचो ही वर्ण है। किशुक पुष्प निर्गन्ध है, जबकि निश्चय दृष्टि को उसमें गन्ध मान्य है। लोक-व्यवहार अग्नि में रस, वायु में रूप मान्य नहीं करता है, जबकि निश्चय दृष्टि मान्य करती है।

फल सुकोमल तथा हल्का होता है, यह कथन भी व्यावहारिक ही है। निश्चय दृष्टि से तो फूल में आठो ही स्पर्श पाए जाते हैं। लोक-व्यवहार में जैसा प्रसिद्ध है, उसे तदरूप में ही स्वीकार करना, ‘लौकिक-सम’ कहलाता है। उसी को व्यवस्थित तथा विशिष्ट दृष्टि से बतलाने वाला “व्यवहार-नय” है। चार्वाक आदि दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, शेष प्रमाणों का सर्वथा निषेध करते हैं। उनकी विचार-धारा व्यवहार नयाभास में अन्तर्भुक्त हो जाती है।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—“जो अध्यवसाय विशेष वस्तु का

१—लौकिक-सम उपचार प्रायः विस्तृतार्थो व्यवहारः।

विभाग उपचार रूप से करे, वह 'व्यवहार-नय' है ।—१ सर्व-द्रव्यो और उनके विषयो मे सदा प्रवृत्ति करने वाले नय को 'व्यवहार-नय' कहते है ।" यह नय प्रायः लोक-व्यवहार सरणि का अनुसरण करने वाला है । जैसे कि घडा चूता है । वस्तुतः चूता तो पानी है, किन्तु कहने मे यही आता है कि घडा चूता है । रास्ता चलता है, कुँआ चलता है, नगर आया, पर्वत जलता है, आदि कथन व्यवहार-नय के अनुसार प्रचलित है । जहाँ औपचारिक रूप से भेद का कथन किया जाए, वहाँ 'व्यवहार-नय' का अवतरण हो जाता है ।

व्यवहार के लिए सदैव भेद-बुद्धि का अवलम्बन लेना पडता है । यह भेद-बुद्धि परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि-पथ मे रखते हुए अन्तिम भेद तक बढ सकती है, जिससे कि पुन भेद न हो सके । तीर्थङ्कर भगवान् भी व्यवहार की मर्यादा का अतिक्रमण नही करते । वस्तुतः 'व्यवहार-नय' छद्मस्थो के लिए अत्यधिक उपयोगी है, और केवली भगवन्तो के लिए 'निश्चय-नय' । किन्तु फिर भी केवली भगवान् छद्मस्थ जनो का व्यवहार शुद्ध रखने के लिए स्वय ही 'व्यवहार-नय' का अनुसरण करते है । जैसे रात्रि के समय अभ्यन्तर परिपद मे रहना, (मल्लिनाथ भगवान् की अभ्यन्तर परिपद श्रमणी-वर्ग था) और सूर्यास्त के बाद विहार न करना, इन दोनों व्यवहार-मर्यादाओ का पालन करते है ।

१—“भेदोपचारतया वस्तु व्यवहियते इति व्यवहार ।”

छेद-सूत्रो मे प्रमत्त साधको के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। वह प्रायेण व्यवहार की अशुद्धि, एव समय की खलना से बचने के लिए है। जहाँ साधक जीवन मे अप्रमत्त अवस्था है, वहाँ भी व्यवहार की शुद्धि अनिवार्य हो जाती है।

यह व्यवहार-नय भी द्रव्य को ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेद-पूर्वक है, अभेद-पूर्वक नहीं।

सप्तम छात्र

सातवे छात्र ने कहा—“वच्चड विणिच्छिअस्थ ववहारो सव्व दव्वेमु,” —१ इसी सूत्र को व्याख्या करते हुए मल्ल-धारी हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं—

“निश्चय-सामान्य विगतो निश्चयो विनिश्चय. सामान्या-भाव , तदर्थं तन्निमित्तं व्रजति प्रवर्तते सामान्याभावार्थैव यतते व्यवहारो नय इत्यर्थं ।” —२

अर्थात्—“सामान्य-अभाव के लिए प्रवृत्ति करने वाले दृष्टि-कोण को ‘व्यवहार-नय’ कहते हैं।” यह लोक-व्यवहार का अग्र होने के कारण सामान्य को नहीं मानता; केवल विशेष को ही ग्रहण करता है। अथवा यो कहिए कि ‘व्यवहार-नय’ लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाला है।

व्यवहार-नय के दो भेद हैं—सामान्य-भेदक और विशेष-भेदक। सामान्य-सग्रह मे भेद करने वाले नय को ‘सामान्य-

१—अनुयोग द्वार सूत्र

२—विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति

भेदक' व्यवहार-नय कहते हैं । जैसे कि द्रव्य के दो भेद है— जीव और अजीव, रूपी और अरूपी, सक्रिय और निष्क्रिय, सप्रदेशी और अप्रदेशी, सचेतन और अचेतन, अगुरु-लघु और गुरु-लघु, भोक्ता और अभोक्ता आदि आदि ।

विशेष-संग्रह में भेद करने वाला विशेष-भेदक 'व्यवहार-नय' है । जैसे जीव के दो भेद—ससारी और मुक्त । छह द्रव्यों में पुद्गलास्तिकाय रूपी है, शेष पाँच अरूपी । जीव और पुद्गल कथंचित् सक्रिय हैं, शेष चार निष्क्रिय । एक काल-द्रव्य अप्रदेशी है, शेष पाँच सप्रदेशी । एक सचेतन द्रव्य भोक्ता है, शेष पाँच अभोक्ता । एक पुद्गलास्तिकाय कथंचित् गुरु-लघु है, शेष पाँच अगुरु-लघु । एक आकाशास्तिकाय क्षेत्र है, शेष पाँच क्षेत्री । पुद्गलास्तिकाय के सिवाय पाँच द्रव्यों में एक जीवास्तिकाय पोग्गल और पोग्गली है, शेष चार अपोग्गली, आदि विशेष-भेदक 'व्यवहार-नय' है ।

जब सभी छात्र अपनी-अपनी बुद्धि से व्यवहार-नय का विस्तृत विवेचन कर चुके, तब अध्यापक बोला ।

अध्यापक

मेरे प्रिय शिष्यो ! यद्यपि आप लोगो ने व्यवहार-नय का विवेचन यथाशक्य बहुत कुछ किया, तथापि मैं अवशिष्ट विषय का स्पष्टीकरण तथा उपसंहार करता हूँ । उसे ध्यान पूर्वक सुनो—

जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में सकलित वस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजनानुसार पृथक्करण

करता है, वह व्यवहार-नय है ।

इसका विषय सग्रह-नय से न्यून है, क्योंकि सामान्य से विशेष का विषय न्यून ही हुआ करता है । व्यवहार का विषय भेदात्मक और विशेषात्मक होते हुए भी द्रव्य-रूप है, न कि पर्याय-रूप । यही कारण है कि द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयो मे से व्यवहार का समावेश द्रव्याधिक नय मे किया गया है । नैगम, सग्रह, और व्यवहार-ऋजुसूत्र इन चारो नयों का समावेश द्रव्याधिक नय मे हो जाता है, शेष तीन नय-पर्यायाधिक के भेद है । यह नय बाह्य स्वरूप का परिचायक है, और अपवाद मार्ग का अनुसरण करने वाला है ।

“अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।”

अर्थात्—शुभाशुभ कर्मों का कर्ता तथा उनका भोक्ता आत्मा ही है ।—१

अप्पा चेव दमेअव्वो, अप्पा हु खलु दुदुदमो ।

अप्पा दतो सुही होई, अस्सि लोए परत्थ य ॥

अर्थात्—आत्मा को दमन करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए । आत्मा अतीव दुर्दम है । वस्तुतः दान्तात्मा ही ऐहिक तथा पारलौकिक सुख का अधिकारी होता है ।—२

एक ओर तो भगवान् ने आत्म-विकास के लिए पूरा-पूरा जोर दिया है, और दूसरी ओर आत्मा को दमन करने

१—उत्तराध्ययन सूत्र

२—उत्तराध्ययन सूत्र,

को कहा है। अब इन दोनों मार्गों में से कौन-सा ग्राह्य है ? यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इसका समाधान उक्त गाथा से ही हो जाता है। यहाँ कषायात्मा तथा योगात्मा से तात्पर्य है, इनका दमन करना ही आत्म-विकास है। इनका दमन सयम और तप से किया जा सकता है। सयम से पाँच आस्रवों का प्रवाह रोका जाता है और तप से अन्दर ही अन्दर कर्मों का शोषण करके उन्हें सत्ता-हीन बनाया जाता है। जैसे—अमृतपान शरीर-व्यापी विष को निर्विष बना देता है। यही उदाहरण तप में समझना चाहिए।

यह सब उपदेश व्यवहार-नय के अनुसार समझना चाहिए। क्योंकि कर्म-बन्ध और मोक्ष व्यवहार-दृष्टि से है, निश्चय-दृष्टि से तो मूर्त और अमूर्त का परस्पर बन्ध ही नहीं सकता। जब बन्ध ही नहीं, तो मुक्त होने का प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता। निश्चय में तो आत्मा न कर्ता है, और न औदयिक दुःख और सुख का भोक्ता ही। यदि आत्मा को एकान्त-रूपेण कर्मों का कर्ता और भोक्ता माना जाय, तो सिद्ध भगवन्तो को भी ससारी जीवों की तरह कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानना पड़ेगा। ऐसी मान्यता सिद्धान्त में स्वीकृत नहीं है। निश्चय-दृष्टि तो ऐसा मानती है कि कर्मों का कर्ता और भोक्ता कथञ्चित् कर्म ही है। निश्चय-दृष्टि चारित्र्य को भी व्यवहार में समाविष्ट करती है, और आत्मा को केवल ज्ञाता एव द्रष्टा ही मानती है। ये ही आत्मा के दो वास्तविक गुण हैं। चारित्र्य का सम्बन्ध शरीर के साथ है। शरीर के बिना चारित्र्य नहीं होता। मुक्तात्मा में शरीर

नहीं, अतः वहाँ चारित्र्य भी नहीं है । तप, जप, सयम, ध्यान, समाधि, स्वाध्याय आदि शुभ क्रियाएँ, व्यवहार-नय की सीमा में परिसीमित हैं । परोपकार, दान-शीलता, जीव-रक्षा, रोगोपचार अनुकम्पा, तथा अनाथ दीन-हीन दुखियों को सक्रिय सहयोग देना आदि शुभ क्रियाएँ भी व्यावहारिक हैं ।

गुरु शिष्य को वाचना देते हैं, और शिष्य गुरु से वाचना लेते हैं, अर्थात्—विद्या का आदान-प्रदान व्यावहारिक है । व्यवहार-नय साधक को निश्चय की ओर अभिमुख करता है, और निश्चय श्रेणी में पहुँचने के पश्चात् वह व्यवहार-नय की श्रेणी में कथञ्चित् नहीं रहता है । व्यवहार-नय चारों प्रमाणों तथा चारों निक्षेपों को स्वीकार करता है एव काल-त्रय को भी मान्य करता है । तीन लोक, एव तीन योग को भी व्यावहारिक गौली से मानता है ।

व्यवहार का स्वरूप अन्य प्रकार से भी ग्रन्थों में वर्णित है । जैसे—व्यवहार दो प्रकार का होता है । — (क) सद्भूत-व्यवहार, और (ख) असद्भूत-व्यवहार ।

सद्भूत-व्यवहार का विषय एक वस्तु है, अर्थात्—जहाँ एक वस्तु में अभिन्न होने हुए भी भिन्नता की प्रतीति हो, वह सद्भूत-व्यवहार कहलाता है । जैसे—एक वृक्ष है, उसके साथ लगी हुई शाखाएँ और प्रतिशाखाएँ अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होती हैं । सद्भूत के दो भेद हैं— (क) शुद्ध-सद्भूत, और (ख) अशुद्ध-सद्भूत । शुद्ध-सद्भूत के भा दो भेद हैं—(अ) निरुपाधि शुद्ध गुण-गुणी का भेद-कथन

करना, अथवा (ब) शुद्ध-पर्याय-शुद्ध-पर्यायी का भेद-कथन करना । क्षायिक भाव में होने वाले कर्म-विकाररहित शुद्ध आत्मा से उसके गुण और पर्याय का भेद-कथन करना ।

अशुद्ध-सद्भूत-व्यवहार के भी दो भेद हैं—(क) अशुद्ध गुण-गुणी का, (ख) तथा अशुद्ध-पर्याय और पर्यायी का भेद-कथन करना । इसके साथ सोपाधि शब्द जोड़ देना चाहिए । जिसका अर्थ होता है—कर्म-जनित विकार के साथ होने वाले परिणाम , अर्थात्—औदयिक, औपशमिक तथा क्षयोपशमिक भावों में होने वाले आत्म-परिणाम सभी सोपाधिक हैं । अशुद्ध-गुण, अशुद्ध-गुणी का उदाहरण मति-ज्ञान आदि चार ज्ञान, मति-अज्ञान आदि तीन अज्ञान, आदि अशुद्ध गुण हैं ।

जीव (अशुद्ध) गुणी क्षयोपशम-जन्य है । नैरयिक आदि औदयिक-जन्य अशुद्ध-पर्याय है, जीव अशुद्ध पर्यायी है । शुद्ध सद्भूत को अनुपचरित सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत को उपचरित सद्भूत भी कहते हैं ।

जहाँ मुख्यता का तो अभाव हो, और किसी प्रयोजन के होने पर या किसी अन्य निमित्त के होने पर उपचार की प्रवृत्ति हुआ करती है, वह उपचार सम्बन्ध का सहचारी है , अर्थात्—उपचार और सम्बन्ध का परस्पर अविनाभाव है । जहाँ-जहाँ उपचार है, वहाँ-वहाँ सम्बन्ध अनिवार्य है । जैसे स्फटिक रत्न पर जपाकुसुम रखने से स्फटिक रत्न लाल हो जाता है, क्योंकि स्फटिक रत्न द्रव्य है, और जपाकुसुम भी द्रव्य है । यह है—द्रव्य में द्रव्य का

उपचार । जो आकार-संस्थान जपाकुसुम का है, वही आकार-संस्थान स्फटिक रत्न में प्रतिविम्बित हो जाता है । यह है-द्रव्य में पर्याय का उपचार । जपाकुसुम का रंग लाल होता है, वही रंग स्फटिक रत्न में देखा जाता है, अतः यह है-द्रव्य में गुण का उपचार ।

इसी प्रकार-गुण में गुण का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार समझ लेना चाहिए । इस विश्लेषण के अनुसार उपचार के कुल छह भेद हैं ।

असद्भूत व्यवहार के तीन भेद हैं . जैसे--(क)स्वजाति असद्भूत व्यवहार, अर्थात्-परमाणु बहु-प्रदेशी है, यह कहना । (ख) विजाति-असद्भूत व्यवहार , जैसे-मति-ज्ञान मूर्तिमान है क्योंकि वह ज्ञान मूर्त से जनित है, यह कहना । (ग) उभय असद्भूत व्यवहार , जैसे-जेय रूप जो जीव और अजीव हैं-उन्हे ज्ञान कहना , अर्थात्--यदि जीव न हो, तो ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता , अतः जीव अजीव को ज्ञान समझना । वस्तुतः बाह्य वस्तु तो सभी जेय हैं, और ज्ञान तो केवल आत्मा में ही है ।

असद्भूत-व्यवहार नय का अन्य तीन प्रकार से भी वर्णन है—

(क) स्वजाति उपचरितासद्भूत व्यवहार, अर्थात्-यह पुत्र मेरा है । इसी प्रकार मनुष्य जाति के समस्त सम्बन्ध इसी व्यवहार में अन्तर्भूक्त हो जाते हैं ।

(ख) विजातिउपचारित-सद्भूत व्यवहार , अर्थात्—
वस्त्र, आभरण, स्वर्ण, रत्न आदि मेरे है । यहाँ तात्पर्य
अचित्त.परिग्रह से है ।

(ग) तदुभयोपचरिता-सद्भूत व्यवहार , अर्थात्—देग,
राज्य, दुर्ग, नगर आदि मेरे हैं । यहाँ सचित्त और अचित्त,
दोनों का ही परिग्रह समझना चाहिए ।



ऋजुसूत्र-नय

“सतां साम्प्रतानामर्थाना-
मभिधान-परिज्ञानम् ऋजु-सूत्रः ॥”

— तत्त्वार्थ भाष्य, १-३५,

“स्वानुकूलं वर्त्तमानं ऋजु-सूत्रो हि भाषते ।
तत्र क्षणिक-पर्यायं सूक्ष्मः स्थूलो नरादिकम् ॥”

— द्रव्यानुयोग तर्कणा ;

“अपने अनुकूल एव केवल वर्त्तमान सबद्ध विषय को ही ‘ऋजुसूत्र-नय’ ग्रहण करता है । उसमें भी सूक्ष्म ऋजुसूत्र क्षणिक पर्याय को, और स्थूल ऋजुसूत्र मनुष्य आदि पर्याय को ग्रहण करता है ।”

ऋजुसूत्र-नय

व्यवहार-नय के पश्चात् अध्यापक ने छात्रों से 'ऋजुसूत्र विषयक विवेचन करने के लिए निर्देश किया। निर्देश पाकर छात्रों ने ऋजुसूत्र की इस प्रकार व्याख्या की —

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—“वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को मुख्य रूप से प्रहरण करने वाले अध्यवसाय-विशेष को 'ऋजुसूत्र-नय' कहते हैं।' जैसे—'इस समय में सुख की पर्याय है,' यहाँ वर्तमान क्षण-स्थायी सुख-पर्याय को प्रधान मानकर अधिकरण भूत आत्मा को गौण रूप से स्वीकार करता है, अर्थात्—आत्मा के अनन्त पर्यायों में से वर्तमान क्षण में किसी एक पर्याय को दृष्टि-पथ में रखकर पर्यायी को गौणता प्रदान करना ही इस नय का मुख्य विषय है।—१

१—“प्रत्युत्पन्न ग्राह्याध्यवसाय-विशेष. ऋजु-सूत्र. १”

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—‘जो सीधे ढग से वस्तु को मुक्ता-फल की तरह एक सूत्र में पिरोए, वह श्रुत-ज्ञान विशेष ऋजुसूत्र कहलाता है ।’—१

जो मोती के वर्त्तमान क्षण में विद्ध हैं, वस्तुतः वे ही, एक लड़ी में पिरोये जा सकते हैं—दूसरे प्रकार के नहीं। इसी प्रकार अतीत क्षण की पर्याय भग्न मोती के समान हैं और अनागत क्षण की पर्याय अविद्ध मोती के सदृश हैं। अतः दोनों तरह के मोती हार में पिरोने के अयोग्य हैं। केवल विद्ध मोती ही सूत्र में पिरोया जा सकता है। वह है वर्त्तमान पर्याय, जिसको ऋजुसूत्र-नय का विषय कहते हैं। सीधे ढग से केवल वर्त्तमान पर्याय ही ग्राह्य है, और यही कार्य-साधक है। इसके सिवाय अतीत और भावी से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे—इस घट में घृत था, और उसमें मधु। अस्तु, इस घट में घृत डालेंगे, और उसमें मधु। उक्त रिक्त घट को देखकर घृताकाक्षी तथा मधु के इच्छुक की आशा पर तुषारपात हो जाता है, उनसे मनोरथ सफलीभूत नहीं हो सकता, किन्तु वर्त्तमान क्षण-वर्ती घृत-घट, तथा मधु-घट से ही कार्य की सिद्धि हो सकती है।

१—ऋजुम्-अवक्रं वस्तु सूत्रयतीति ऋजु सूत्र. १’

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—‘ऋजुम् अवक्र श्रुतमस्य सोऽयमृजुश्रुत’ ।

‘ऋजु का अर्थ है—वर्त्तमान पर्याय-अनुलक्षी । श्रुत का अर्थ है—श्रुत-ज्ञान, , अर्थात्-जो श्रुतज्ञान वर्त्तमान पर्याय-अनुलक्षी है, उसे ‘ऋजुश्रुत नय’ कहते हैं । यह नय अतीत तथा भावी पर्याय को कुटिल मानता है, और केवल वर्त्तमान कालीन पर्याय को ही ज्ञान का सरल मार्ग मानता है । अतीत वासना की स्मृति और भविष्य की चिन्ता—ये दो प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ हैं, जो भले ही ससारी मनुष्य के लिए लाभ-दायक हो, परन्तु आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत कुछ हानिकर है । किसी ने ठीक कहा है—

“गते शोको न कर्त्तव्यो, भविष्यन्नैव चिन्तयेत् ।
वर्त्तमानेन कालेन, वर्तयन्ति विचक्षणा ॥”

अथवा

“गई वस्तु सोचे नही, आगम वाछा नाहिं ।
वर्त्तमान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जग माहिं ॥”

यह कथन भी कथञ्चित् ऋजुसूत्रानुसारी है । जो साधक वर्त्तमान काल में सतत उपयोगवान्, अप्रमत्त तथा-विवेक युक्त होकर विहग की तरह अनन्त ज्ञान रूपी आकाश में विचरणा करता है, वस्तुतः ज्ञानी वही है, और मुमुक्षु भी वही है । वर्त्तमान कालीन जीवन को सफल बनाना ही इस नय का मुख्य उद्देश्य है ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“भेद अथवा पर्याय की विवक्षा से जो कथन है, वह ‘ऋजुसूत्र नय’ का विषय है।”

जिस प्रकार सग्रह का विषय ‘अभेद’ है, उसी प्रकार ऋजुसूत्र का विषय ‘भेद’ अथवा ‘पर्याय’ है। यह नय भूत और भविष्यत् की कथचित् उपेक्षा करके केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। यह नय दो विभागों में विभक्त है, जैसे— (क) सूक्ष्म ऋजुसूत्र, और (ख) स्थूल ऋजुसूत्र। जो समय मात्र की वर्तमान पर्याय है, उसे पहला भेद ग्रहण करता है। यथा वैषयिक सुख क्षणिक तथा आपात मात्र है। जैसे—दीपक की गिखा क्षणिक है, शब्द क्षणिक है। इत्यादि उदाहरण पहले भेद में अन्तर्निहित है।

जो असख्यात समयों की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, वह दूसरा भेद है। यह वर्तमान, आयु पर्यन्त रहता है। इसका क्षेत्र जघन्य क्षुल्लक भव (२५६ आवलिकाओं का एक खुडाग भव होता है) उत्कृष्ट ३३ सागरोपम का होता है। कर्म-बन्ध तथा उनकी निर्जरा वर्तमान में ही होती है, अतः वर्तमान क्षेत्र का तथा वर्तमान काल का दायरा बहुत बड़ा है।

पंचम छात्र

पाँचवे छात्र ने कहा—“ऋजुम् अकुटिल सूत्रयतीति ऋजुसूत्र. ।”

जो वर्तमान कालिक पर्याय है, वस्तुतः वही वस्तु है और

शेष अतीत तथा अनागत पर्याय कुटिल होने के कारण वर्तमान में नहीं है। जो वर्तमान में नहीं है, वह कथंचित् असत् है, जैसे—जिसके सींग नहीं आए, उसे शृङ्गी नहीं कहा जा सकता है। जिस कुजर के दाँत नहीं आए, उसे दन्ती नहीं कहा जा सकता है। जन्म-जात को जैसे भाव-श्रमण नहीं कहा जाता है, वैसे ही भ्रष्टाचारी को भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु जिसका जीवन श्रमणत्व से ओत-प्रोत हो, वही भाव-श्रमण है।

लौकिक व्यवहार में जो जन्म-काल से दरिद्रता की दासता में रहा हो, या कोई दिवालिया हो, तो दोनों को धनाढ्य नहीं कहा जा सकता। किन्तु जिसके पास धन-राशि विद्यमान है, उसे ही धनाढ्य कहा जाता है। एक व्यक्ति है, जो अभी तक निरक्षर भट्टाचार्य है, परन्तु भविष्य में विद्वान बनेगा। दूसरा व्यक्ति अनभ्यास के कारण कण्ठस्थ विद्या विल्कुल भूल गया। वर्तमान में दोनों से कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती, फलतः उन्हें विद्वान भी नहीं कहा जा सकता। जिसके मस्तिष्क में प्रष्टव्य विषय रेडियम की भाँति वर्तमान में प्रतिभासित हो रहा हो, उसे ही विद्वान कहा जाता है। अतः ऋजुसूत्र का विषय वर्तमान पर्याय है।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—‘भूत और भविष्य की अपेक्षा न करके वर्तमान पर्याय मात्र को ही जो ग्रहण करे, उसे

‘ऋजुसूत्र नय’ कहते हैं ।” — १

मनुष्य अनेक बार तात्कालिक परिणाम की ओर झुक जाता है, केवल वर्तमान काल को ही अपना प्रवृत्ति क्षेत्र बना लेता है। ऐसी परिस्थिति में उसके मस्तिष्क में ऐसी प्रतीति होने लगती है कि जो वर्तमान में है, वही सत्य है। अतीत और अनागत वस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं, कि वह अतीत और अनागत का निषेध करता है, किन्तु प्रयोजन के अभाव में उनकी ओर उदासीनता अवश्य है।

ऋजुसूत्र-नय के मत से वस्तु की प्रत्येक अवस्था में भेद है। प्रत्येक अवस्था अपने-अपने क्षण तक ही सीमित है, फिर चाहे वह अवस्था इस क्षण की हो, या दूसरे क्षण की। “स्फटिक रत्न श्वेत है,” इस वाक्य में प्रस्तुत नय का कहना है, कि स्फटिक रत्न, स्फटिक रत्न है, और श्वेतता, श्वेतता है। क्योंकि स्फटिक रत्न और श्वेतता भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। यदि स्फटिक रत्न और श्वेतता एक अवस्था होती, तो सगमरमर भी श्वेत होने के नाते स्फटिक रत्न हो जाता, क्योंकि वह भी श्वेत है।

व्याख्या प्रजप्ति में वर्णित है कि सूर्य सदैव वर्तमान में क्रिया करता है। वैसे तो क्रिया वर्तमान में ही हुआ करती है, फिर भी सूत्रकार ने विशेषता बतलाने के लिए

१—सता साम्प्रतानामर्थानामभिधानपरिज्ञान ऋजुसूत्र ।

स्वतन्त्र कथन किया है, क्योंकि सूर्य की वर्त्तमान गति-विधि से ही समय का प्रारम्भ होता है। एक समय को वर्त्तमान कहते हैं, इसे सूक्ष्म ऋजुसूत्र भी कहते हैं, और यह वर्त्तमान सबसे छोटा माना गया है।

यह नय क्षणिक-वाद में विश्वास रखता है, अत एव प्रत्येक अवस्था को अस्थायी मानता है। काल-भेद से वस्तु में भेद मानता है, अत यह द्रव्यार्थिक न होकर पर्यायार्थिक नय है—यह मान्यता दार्शनिकों की है। परन्तु आगमकारों की मान्यतानुसार ऋजुसूत्र-नय भी द्रव्यार्थिक नय है। जो द्रव्यार्थिक नय है, वह चारों निक्षेपों को मानता है। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, इन दोनों में से एक काल में एक ही उपयोग मानना, यह मान्यता भी ऋजुसूत्र-नय के ऊपर ही अवलम्बित है।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने कहा—“जो विचार भूत और भविष्यत् का सकल्प न करके केवल वर्त्तमान को ही ग्रहण करता है, वह ऋजुसूत्र-नय है।”—१

ऋजुसूत्र-नय द्रव्य-निक्षेप में वर्त्तमानकालिक अंश को मानता है, भूत और भावी निक्षेप को नहीं। यह नय वस्तुतः द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक तो कथंचित् ही कह सकते हैं। यदि ऋजुसूत्र-नय को पर्यायार्थिक-नय कहा जाए, तो यह

१—“पञ्चुपण्णागाही उज्जुसुओ णयविही मुण्येयव्वोत्ति ।”

— अनुयोगद्वार, विशेषावश्यक भाष्य,

मान्यता मूल-सूत्र के विरुद्ध है, क्योंकि अनुयोगद्वारा सूत्र में एक पाठ आता है—“उज्जुसूत्रस्स एगे अणुवउत्ते एग दव्वावस्सय पुहत्त रोच्छडत्ति ।” इस सूत्र से सिद्ध होता है कि नैगम से लेकर ऋजुसूत्र-नय तक चार नय द्रव्यार्थिक है, क्योंकि पर्यायार्थिक-नय केवल भाव-निक्षेप को ही मानता है, और द्रव्यार्थिक-नय चारो ही निक्षेप को स्वीकार करता है। यदि कोई आगम-पाठी उपयोग-शून्य होकर आगम का म्वा ध्याय कर रहा है, तो उसे भी यह द्रव्य-आगम मानता है, तथा लिपि-वद्ध आगम को भी द्रव्य-आगम मानता है। यह नय काल को अप्रदेशी मानता है, जबकि व्यवहार-नय काल को अनन्त मानता है।

इस नय की पूर्ण दृष्टि वर्तमान पर रहती है, क्योंकि इस नय का विषय वर्तमान काल से ही सम्बन्धित है। जिस प्रकार काल भेद से वस्तु-भेद की मान्यता है, उसी प्रकार देश-भेद से भी वस्तु-भेद की मान्यता है।

भगवान् महावीर ने राजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए धन्य अनगार को चौदह हजार साधुओं में सर्वश्रेष्ठ साधक कहा था। यह कथन ऋजुसूत्र-नय के अनुसार था। क्योंकि उस समय अन्य मुनियों की अपेक्षा से धन्य अनगार की साधना सबसे विशुद्ध थी। इसलिए भगवान् ने धन्य अनगार की साधना की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

ऋजुसूत्र-नय के सम्बन्ध में सातों छात्रों की विशद व्याख्या मुनने के बाद अध्यापक ने भी उक्त विषय पर, अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा---

अध्यापक

प्रिय छात्रो ! यद्यपि तुमने ऋजुसूत्र-नय का बहुत कुछ विवेचन भिन्न-भिन्न शैली से किया है, तथापि उमके अव्यक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए, तथा जो तुम्हारी स्मृति-पथ में आवश्यकीय प्रतिपाद्य विषय प्रतिभासित नहीं हो सका, उसे स्मरण करवाने के लिए मैं स्पष्ट करता हूँ । ध्यान-पूर्वक सुनिए—

“पर्याय की अवस्थिति वर्तमान काल में ही होती है । भूत और भविष्यत् काल में तो द्रव्य ही रहता है ।”

सामान्य अथवा अभेद को विषय करने वाले नय को ‘द्रव्यार्थिक-नय’ कहते हैं, और भेद अथवा पर्याय (विशेष) को विषय करने वाले नय को ‘पर्यायार्थिक-नय’ कहते हैं । श्री जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक विद्वान् द्रव्यार्थिक-नय के चार भेद मानते हैं, और पर्यायार्थिक-नय के तीन भेद । परन्तु सिद्धसेन दिवाकर आदि तार्किकों के मतानुयायी द्रव्यार्थिक के तीन भेद, और पर्यायार्थिक के चार भेद मानते हैं । द्रव्यार्थिक-नय का स्थान नित्य है, और पर्यायार्थिक-नय का अनित्य । द्रव्य से पर्याय सूक्ष्म है, क्योंकि एक ही द्रव्य में अनन्त पर्याय है, अर्थात्—अनादि अनन्त पर्यायों के समूह का नाम ही द्रव्य है ।

पर्याय दो प्रकार की होती है—(क) द्रव्य-पर्याय, और (ख) गुण-पर्याय । द्रव्यों की पर्याय भी दो प्रकार की होती है—(क) स्वाभाविक, और (ख) वैभाविक । यही क्रम गुणों की पर्याय का भी है । इसका सक्षिप्तः त्रिवरणः इस

प्रकार से है—

जीव की भव-पर्याय वैभाविक है, और सिद्धत्व-पर्याय स्वाभाविक । यह है—जीव-द्रव्य की पर्याय ।

तीन अज्ञान गुण—वैभाविक पर्याय है, और पाँच ज्ञान—स्वाभाविक पर्याय है । कपायात्मा और योगात्मा वैभाविक पर्याय है । शेष आत्माएँ—स्वाभाविक । औदयिक भाव की परिणति—वैभाविक पर्याय है, और औपगमिक, क्षायोपगमिक तथा क्षायिक भाव की परिणति—स्वाभाविक पर्याय है ।

दुःखानुभव तथा भीतिक सुखानुभव दोनो ही वैभाविक पर्याय है, और आध्यात्मिक सुख—स्वाभाविक । ये सभी पर्याय जीव-द्रव्य के गुणों की हैं ।

पुद्गलास्तिकाय की पर्याय दो प्रकार होती है, जैसे—(क) विश्रसा, तथा (ख) प्रयोगज । विश्रसा का अर्थ है—स्वय, अर्थात्—स्वाभाविक रूप से पर्याय पलटना । प्रयोगज का अर्थ है—जीव की वैभाविक पर्याय के साथ-साथ जो पुद्गल परिवर्तित होता है, अर्थात्—एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक यावन्मात्र जीव है, वे सब वैभाविक पर्याय वाले हैं । उनके द्वारा पुद्गलो में जो परिवर्तन होता है, वह पुद्गल की प्रयोगज पर्याय कहलाती है । उदाहरण के रूप में लीजिए—

जितनी भी धातुएँ हैं—रत्न, पाषाण, एव मणि आदि, वे सब पृथ्वीकाय के शरीर हैं । यदि पृथ्वी-कायिक जीवों का अस्तित्व न होता, तो उपर्युक्त वस्तुओं का विल्कुल ही अभाव होता ।

इसी प्रकार बीज, अकुर, पत्र, पुष्प, फल, वृक्ष, काष्ठ आदि वनस्पति-कायिक जीवों के प्रयोगज पर्याय है। सीप, शख, मोती, रेशम, मणि, मधु, विप, शरीर एव शरीर-गत धातु तथा जितनी भी उपधातुएँ हैं, वे सभी त्रस प्राणियों के द्वारा परिवर्तित की हुई पुद्गल पर्याय हैं, जिन्हे हम प्रयोगज पर्याय कहते हैं।

एकत्व, पृथक्त्व, सख्या, सस्थान, सयोग, विभाग आदि पुद्गल-द्रव्य की पर्याय कहलाती है। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, तथा इनकी पञ्च गुण हानि-वृद्धि गुण-पर्याय है। पर्याय की अवस्थिति वर्तमान में ही होती है, भूत और भविष्यत् काल में तो केवल द्रव्य ही रहता है। ऋजुसूत्र-नय क्षणिक-वाद में विश्वास रखता है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु को अस्थायी मानता-है।

प्रश्न—बौद्ध-दर्शन क्षणिक-वाद को मानता है, और प्रस्तुत नय भी वर्तमान काल में होने वाली पर्याय को ही मानता है, भूत और भविष्यत् को नहीं मानता, तो इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उत्तर—क्षणिकवादी बौद्ध-दर्शन, द्रव्य की सत्ता मानने से बिल्कुल इन्कार करता है, और केवल पर्याय को ही अपने दृष्टिकोण में रखता है, किन्तु ऋजुसूत्र-नय, वस्तु की सत्ता का अपलाप नहीं करता, बल्कि उसे गौण मानता है, और पर्याय को मुख्य। यही दोनों में अन्तर है। अतीत काल की पर्याय ध्वसाभाव में सम्मिलित हो गई, और भविष्यत् की पर्याय प्रागभाव में गर्भित है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में

उक्त दोनो का सद्भाव नहीं । जिसका वत्त मान मे सद्भाव नहीं है, उसका ग्रहण भी कैसे किया जा सकता है ।

प्रश्न—सूत्र मे परमाणु-गत वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श का वर्णन तो पर्याप्त मिलता है, परन्तु इस विषय मे कतिपय आचार्यों की धारणाएँ ऐसी चली आ रही है कि वर्तमान कालिक परमाणु मे जो वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श है, वे सदा काल-भावी है । उन गुणो मे कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

जो वर्तमान काल मे जघन्य-गुण काला है, वह सदैव ही जघन्य-गुण काला रहेगा, और जो उत्कृष्ट-गुण काला है, वह उत्कृष्ट-गुण काला ही रहेगा । जघन्य-गुणी—उत्कृष्ट गुणी नहीं बन सकता, और उत्कृष्ट गुणी—जघन्य गुणी नहीं बन सकता ।

कतिपय आचार्यों की धारणाएँ उपर्युक्त मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध है । उनका अभिमत है कि परमाणु मे जो वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श वर्तमान काल मे है, कालान्तर मे वे अन्य वर्ण, गन्ध, रस, तथा स्पर्श के रूप मे परिणत हो जाते है । जो जघन्य-गुण काला है, वह कभी उत्कृष्ट-गुण काला भी हो सकता है । और जो उत्कृष्ट-गुण काला है, वह कालान्तर मे जघन्य-गुण काला भी हो सकता है । यही बात गन्ध, रस, तथा स्पर्श के विषय मे भी है ।

प्रश्न—इन दोनो परम्पराओ मे कौन सी धारणा आगम-सम्मत है ?

उत्तर—जैन-धर्म अनेकान्तवादी है । विश्व मे वडे मे

बड़ा और छोटे से छोटा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिस पर अनेकान्त-वाद की अमिट छाप न लगी हो, अर्थात्—सकल पदार्थ पर अनेकान्त-वाद का अनुशासन अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल पर्यन्त रहेगा।—अनेकान्त-वाद पदार्थ का यथार्थ स्वरूप बतलाता है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है, उसका वैसा ही प्रतिपादन करने वाला है। समय क्रम के अनुसार जो घड़ी सूर्य का अनुसरण करती है, वही घड़ी ठीक मानी जाती है। सूर्य का अनुसरण तो घड़ी ही करती है, न कि सूर्य घड़ी का। क्योंकि मनुष्य-कृत यत्र होने के कारण घड़ी रुक भी सकती है और घड़ी की सूई आगे-पीछे भी की जा सकती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि घड़ी रुक गई तो सूर्य भी रुक जाएगा और घड़ी की सूई को आगे-पीछे करने से सूर्य भी आगे-पीछे हो जाएगा।

उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि जो घड़ी सूर्य के अनुकूल चलती है, वही घड़ी जनता के लिए प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है। फिर उपचार से हम यह भी कह सकते हैं कि सूर्य ठीक घड़ी के अनुसार ही चलता है। वस, इसी का नाम अनेकान्त-वाद है और जो विचार-धारा ठीक वस्तु-तत्त्व का अनुसरण करती है, वही विचार पद्धति अनेकान्त-वाद है। जो मनुष्य अपनी घड़ी की सूई को पीछे हटाता है या आगे बढ़ाता है अथवा घड़ी को रोकता है, इस आशय से कि सूर्य भी विलम्ब से उदय हो या जल्दी उदय हो, अथवा कुछ घटे के लिए सूर्य भी रुक जाए, तो ऐसा समझना मिथ्यात्व है। मिथ्या-दृष्टि व्यक्ति पदार्थों पर अपने बनाए हुए

सिद्धान्तों को मुहर छाप लगाना चाहता है, अर्थात् सभी पदार्थ मेरे ही अनुशासन में चले, पर ऐसा होना असम्भव है। वास्तव में पाँच और पाँच दश कहना प्रामाणिक है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति गणितानभिज्ञ है, और वह पाँच और पाँच को 'तीन' या 'द्वारह' कहे, तो वह अनभिज्ञों में भले ही प्रतिष्ठा प्राप्त करले, किन्तु उसका कथन तीनों काल में गलत ही रहेगा, ऐसा विशेषज्ञों का अभिमत है। वस, इसी का नाम एकान्त-वाद या असम्यग्वाद है।

जैन-दर्शन प्रत्येक पदार्थ में तीन अवस्थाएँ मानता है। जैसे —द्रव्य, गुण, और पर्याय। द्रव्य और गुण ये दो तो स्थायी हैं, किन्तु पर्याय परिणामनशील है। पर्याय द्रव्य की भी होती है, और गुण की भी। द्रव्य और गुण को छोड़कर पर्याय कोई अलग पदार्थ नहीं है। जैन-दर्शन, वैशेषिक दर्शन की भाँति परमाणु को ऐसा नहीं मानता कि—वह सदा काल पृथ्वी-रूप ही है, जल-रूप ही है, तेजोरूप ही है या वायु-रूप ही है, अथवा द्रव्यगुणादि-उत्पत्ति काल में वह परमाणु क्षण मात्र निर्गुण भी बन जाता है।

जैन-दर्शन तो परमाणु को परिवर्तनशील ही मानता है, अर्थात्—एक परमाणु में पाँच वर्णों में से एक वर्ण, दो गन्धों में से एक गन्ध पाँच रसों में से एक रस, तथा आठ स्पर्शों में से दो स्पर्श होने हैं। शीत-रूक्ष या उष्ण-रूक्ष, तथा शीत-स्निग्ध या उष्ण-स्निग्ध, इन चार विकल्पों में से कोई-सा भी स्पर्श-विकल्प पाया जा सकता है, परन्तु कर्कश या मृदु, और हल्का या भारी ये चार स्पर्श परमाणु में नहीं पाए जाते हैं।

वर्तमान मे यदि परमाणु काला है, तो वह कालान्तर मे सफेद, लाल तथा पीले रूप मे भी परिणत हो सकता है । दुर्गन्ध, मुगन्ध के रूप मे और मुगन्ध दुर्गन्ध के रूप मे परिणत हो सकता है । जिसका रस मीठा है, वह खट्टे रूप मे, कटुक रूप मे, तथा तिक्त रूप मे परिणत हो सकता है । जो शीत-रूक्ष-स्पर्श वाला है, वह कालान्तर मे उष्ण-स्निग्ध के रूप मे भी परिणत हो सकता है । इसी प्रकार जो जघन्य-गुण उष्ण-स्निग्ध है, वह कालान्तर मे उत्कृष्ट-गुण उष्ण-स्निग्ध भी हो सकता है । और जो उत्कृष्ट-गुण उष्ण-स्निग्ध है, वह जघन्य गुण-उष्ण-स्निग्ध स्पर्श वाला भी हो सकता है । क्योकि व्याख्या-प्रज्ञप्ति मे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं भगवान् ने प्रतिपादन किया है कि— “परमाणु पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, और पर्याय से अशाश्वत है , अर्थात्—द्रव्य-पर्याय और गुण-पर्याय दोनो ही अशाश्वत हैं । क्योकि पर्याय उत्पाद और व्यय पर निर्भर है । द्रव्य और गुण ये दोनो ध्रौव्य पर निर्भर है । ध्रौव्य सदा-शाश्वत है, और उत्पाद तथा व्यय ये दोनो सदा अशाश्वत है ।

परमाणु मे द्रव्य-पर्याय और गुण-पर्याय अनन्त है । उनमे सख्यात पर्यायो का आविर्भाव रहता है, और शेष अनन्त पर्यायो का तिरोभाव । द्रव्य की सत्ता का सर्वथा निषेध करके केवल पर्याय मात्र को ही मानना, यह ‘ऋजु-सूत्र नयाभास’ है ।’

ऋजु-सूत्र-नय

एकस्मिन् समये वस्तु-
पर्याय यस्तु पश्यति ।
ऋजु-सूत्रो भवेत् सूक्ष्म
स्थूल स्थूलार्थ-गोचर ॥

—नय-चक्र

ऋजु सूत्र नय दो प्रकार का होता है—सूक्ष्म ऋजु सूत्र और स्थूल ऋजु सूत्र । जो मात्र एक समय की ही पर्याय को ग्रहण करता है, वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र है । जो स्थूल द्रव्य-पर्याय को ग्रहण करता है, वह स्थूल ऋजु सूत्र है ।

शब्द-नय

कालादि-भेदेन ध्वनेरर्थ-भेदं
प्रति-पद्यमानः शब्दः

— प्रमाण-नय तत्त्वालोक, ७-३२,

अर्थ शब्द-नयोऽनेकैः, पर्यायैरेकमेव च ।
मन्यते कुम्भ-कलश-घटाद्येकार्थ-वाचकाः ॥

— नय कर्णिका, १४

“शब्द-नय अनेक पर्याय, अर्थात्—अनेक शब्दों द्वारा सूचित वाच्यार्थ को एक ही पदार्थ समझता है, यथा—कुम्भ, कलश और घट आदि शब्द एक ही पदार्थ के वाचक हैं ।”

: ११ :

शब्द-नय

‘ऋजुसूत्र-नय’ विषयक वक्तव्य समाप्त करके अध्यापक ने छात्रों को शब्द नय का विवेचन करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार छात्रों ने अपने-अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा कि—“शप् आक्रोगे, शपनमाह्वान मिति शब्द ।”—१

अर्थात्—शप् धातु से ‘शब्द’ बनता है। अपने अभिप्राय को दूसरे के सामने व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन ‘शब्द’ ही है। अभिप्राय-पूर्वक शब्द का प्रयोग समष्टि में सीखा जाता है, व्यष्टि में नहीं। शब्द के दो भेद हैं—

(क) ध्वन्यात्मक, (ख) और वरात्मक !

(क) ध्वन्यात्मक—जैसे टैलीग्राफ की टक्-टक् घटी का

बजना, घड़ी का अलार्म और मोटर का हॉर्निङ्ग, आदि विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, इसे अनक्षर-श्रुत भी कहते हैं ।

(ख) 'वर्णात्मक-शब्द' अथवा 'अक्षर-श्रुत भाषा-विशेष कहलाता है । वस्तुतः शब्द-नय का साम्राज्य अक्षर-श्रुत पर निर्भर है । अक्षर-श्रुत में भी ऋजुसूत्र-नय से शब्द-नय का क्षेत्र बहुत कुछ सीमित है । ऋजुसूत्र-नय लिंग-भेद से अर्थ में भेद नहीं मानता । जैसे—तट, तटी, तटम् । इन तीनों वाचको का वाच्य एक ही है, किन्तु शब्द-नय लिंग-भेद से अर्थ-भेद मानता है । भाव-निक्षेप के बिना नाम, स्थापना तथा द्रव्य-निक्षेप को शब्द-नय स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उपर्युक्त तीनों निक्षेप भाव-निक्षेप से भिन्न क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं । किन्तु भाव-निक्षेप के अन्तर्गत जो नाम, स्थापना और द्रव्य-निक्षेप हैं, उन्हें कथञ्चित् स्वीकार कर लेता है । जैसे—भाव तीर्थङ्कर में नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीनों निक्षेप गर्भित हो जाते हैं । इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, यह एक द्रव्य-विशेष का वाचक है, यह 'नाम-निक्षेप' हुआ । उसका आकार लोकाकाश जितना है, यह 'स्थापना-निक्षेप' हुआ । द्रव्य होने के नाते 'द्रव्य-निक्षेप' भी है, और गति-धर्म होने से 'भाव-निक्षेप' तो है ही । इस प्रकार शब्द-नय में भी चारों निक्षेप पाए जा सकते हैं, किन्तु भाव-निक्षेप-विहीन, आदि के तीन निक्षेप शब्द-नय को सर्वथा अमान्य है ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“शपति वाऽऽह्वयतीति शब्द ।”—१

अर्थात्—जिससे किसी को बुलाया जाण, या किसी सकेत के द्वारा अपना अभिप्राय व्यक्त किया जाए, वह 'शब्द' कहलाता है। वैसे तो बधिर तथा मूक भी अपनी चेष्टाओं के द्वारा अपने भाव दूसरे के समक्ष रख सकता है, फिर भी शब्दों के द्वारा जितने स्पष्ट रूप में अर्थ व्यक्त किया जा सकता है, उतने स्पष्ट रूप में अन्य किसी चेष्टा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। शब्दों के रूप में श्रुत-ज्ञान ही परिणत हो सकता है, शेष-ज्ञान नहीं। शेष ज्ञान तो सदैव अर्थ-रूप में ही रहते हैं। शब्द-शास्त्र का सूत्रकार 'शब्द-नय' है। अगले दो नय भी शब्द-नय कहलाते हैं।

शब्द नित्य है, या अनित्य ? इस प्रश्न का उत्तर सप्त-भगी के तीसरे भग से, अर्थात्—नित्यानित्य से दिया जा सकता है। वस्तुतः शब्द द्रव्य से नित्य है, और पर्याय से अनित्य है।

महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से आगम रूप में वर्णात्मक शब्द अनादि अनन्त है, किन्तु भरत-क्षेत्र एवं ऐरावत-क्षेत्र की अपेक्षा से सादि-सान्त है। यह नय शब्दों को गहराई में बहुत कुछ उतर जाता है। जैसे कोई आगम-धर श्रुत-ज्ञानी यदि उपयोग-पूर्वक किसी आगम का स्वाध्याय कर रहे हो, तो उच्चारित किये जाने वाले शब्द को आगम मानता है, और उच्चारण करने वाले को आगम-धर श्रुत-ज्ञानी मानता है। यदि उपयोग-पूर्वक उच्चारण नही कर रहे हो, तो उच्चार्यमाण शब्द को न आगम ही मानता है, और न उच्चारण करने वाले को आगम-धर ही मानता है। यह

‘शब्द-नय’ पुस्तक रूप जो आगम है, उन्हे आगम नहीं मानता, अपितु उपयोग-पूर्वक स्वाध्याय को ही आगम मानता है ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“कालादिभेदेन ध्वनेरर्थ-भेद प्रतिपद्यमान शब्द-नय ।”—१

अर्थात्—काल आदि के भेद से शब्दों में अर्थ-भेद के प्रतिपादन करने वाले नय को ‘शब्द-नय’ कहते हैं ।

शब्द के द्वारा अर्थ ग्रहण करने पर नय को शब्द-नय कहते हैं । जैसे—‘कृतकत्वात्’, यह पचम्यन्त शब्दिक हेतु है, किन्तु आर्थिक हेतु तो अनित्यत्व-युक्त घट आदि पद-वाच्य हैं । वस्तुतः हेतु तो मुख्यतया आर्थिक ही है, किन्तु उपचार से कृतकत्वात् यह पचम्यन्त पद भी हेतु कहलाता है, और यह नय भी शब्द पर ही निर्भर होने से ‘शब्द-नय’ कहलाता है । इस नय का साम्राज्य जाति-वाचक, गुण-वाचक और क्रिया-वाचक शब्दों पर है, न कि व्यक्ति-वाचक शब्दों पर । इसी कारण आदि के तीन निक्षेप—‘शब्द-नय’ को अमान्य हैं । समस्त वाङ्मय की आधार-शिला ‘शब्द-नय’ है, यह कथन असत्य नहीं है ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“शप्यते वा आहूयते वस्त्वनेनेति शब्द ।”—२

१—प्रमाण-नय तत्त्वान्नाक ।

२—नय-सार ।

अर्थात्—जिसके द्वारा वस्तु-तत्त्व का आह्वान किया जाए, उसे 'शब्द' कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी जिस सूक्ष्म या अति-सूक्ष्म पदार्थ को अति दूरस्थ होते हुए भी बिना किसी निमित्त के हस्तामलक की तरह अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष करते हैं, उसी को अस्मादृश अल्पज जीव 'शब्द' के द्वारा ही जान सकते हैं। किन्तु उस शब्द का गक्ति-ग्रह होना चाहिए। शब्द यथातथ्य अर्थ का बोधक होते हुए भी, आभ्यन्तरिक कारण श्रुत-ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होना भी आवश्यक है, तभी हम शब्द के द्वारा समस्त द्रव्यों को, तथा उनकी समस्त पर्यायो को जान सकेंगे। वास्तविक श्रुत तो श्रुत-ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम ही है, किन्तु उपचार से शब्द को भी 'श्रुत' कहा जा सकता है। शब्द-शास्त्र में शब्द-व्युत्पत्ति के चार प्रकार बतलाए हैं, जैसे—(क) यौगिक, (ख) रूढ, (ग) योगरूढ, और (घ) यौगिकरूढ।

यौगिक—जो शब्द अवयव अर्थ का ही बोधक हो, वह 'यौगिक' कहलाता है, यथा—पाचक, वाचक, पाठक आदि।

रूढ—जो शब्द अवयव गक्ति के बिना, समुदाय शक्ति मात्र से अर्थ का बोधक हो, वह 'रूढ' कहलाता है, यथा—गोमण्डल। यहाँ 'गो' और 'मण्डल' का अवयव अर्थ छोड़कर समुदाय-शक्ति सूर्य के चारों ओर कुण्डलाकार परिधि में निहित है।

योग-रूढ—जहाँ अवयव शक्ति के विषय में समुदाय

शक्ति भी अपना अस्तित्व अलग रखती हो, वह 'योग-रूढ' कहलाता है, यथा—पकज। यह शब्द 'पक' से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व रूप अर्थ का बोधक है। समुदाय शक्ति के साथ रूढ होने से पद्म का बोधक है, क्योंकि पक से तो कृमि आदि की उत्पत्ति भी होती है। किन्तु पकज पद्म के लिए ही रूढ है, अन्य के लिए नहीं। इसी प्रकार चन्द्रहास, जिसकी चमक चन्द्रमा की तरह हो, वह चन्द्रहाम है। किन्तु यह शब्द खड्ग के लिए ही 'रूढ' है।

यौगिक रूढः—जहाँ अवयव अर्थ और रूढ अर्थ, दोनों का ही स्वतन्त्रता पूर्वक बोध हो सके, वह शब्द 'यौगिक रूढ' कहलाता है। जैसे—उद्भिद् (उद्भेदन-कर्त्ता) तरु-गुल्म आदि का बोधक है, और याग-विशेष का भी। 'ऊर्ध्व भिनत्तीत्युद्भिद्', यहाँ अवयव शक्ति से तरु-गुल्म आदि में शक्ति निहित है, और समुदाय शक्ति से याग विशेष भी हो जाता है।

यदि किसी व्यक्ति-विशेष का नाम पवन है, तो कोशो मे वायु के जितने भी पर्याय-वाचक शब्द है, उनसे उस व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाया जा सकता है, अर्थात्—वायु के समस्त वाचक उस पवन रूप व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं है। अतः यह नय नाम-निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, और भाव के बिना स्थापना एव द्रव्य-निक्षेप भी सर्वथा ग्रामान्य है।

पंचम छात्र

पाँचव छात्र ने कहा—“शब्दाद् व्याकरणात्प्रकृति-प्रत्ययद्वारेण सिद्ध शब्द ।”

अर्थात्—‘व्याकरण से प्रकृति-प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न शब्द ‘शब्द-नय’ कहलाता है ।”

शब्द-शक्ति आठ प्रकार से जानी जा सकती है । जैसे —

(१) व्याकरण से—पूर्वकृदन्त, उणादि, उतर-कृदन्त, तद्धित, समाम, आर्ष, निपातन, मधूरव्यसक आदि आकृतिगण, और निरुक्त आदि से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है । तिङ् प्रत्ययान्त से धातु, क्रिया रूप में परिणत हो जाती है ।

“द्वितीया कर्मणि ज्ञेया कर्त्तरि प्रथमा यदा ।

उक्तकर्त्तृ प्रयोगोऽय न तदा वाक् प्रयुज्यते ॥

तृतीया कर्त्तरि यदा कर्मणि प्रथमा तदा ।

उक्त-कर्म प्रयोगोऽय न तदा परस्मैपदम् ॥

इस प्रकार शब्द-शक्ति का विस्वृत परिचय व्याकरण से जाना जा सकता है ।

(२) उपमान से—“वाले य मदए मूढे वज्भइ मच्छिया व खेलम्मि ।”

अर्थात्—धर्म कार्यो मे आलस्य करने वाला, मोह-ग्रस्त अज्ञानी जीव बलगम मे मक्खी की तरह समार मे फँस जाता है ।—१

“अह सति सुव्वया साहू जे तरति अतर वणिया व ।”

अर्थात्—“जो निरति चार महाव्रतो के पालने वाले है, वे साधु ही विषय रूपी विशाल समार समुद्र को पार करते

हैं। जैसे—व्यापारी लोग जहाज आदि साधनों के द्वारा दुष्टतर और अथाह समुद्र को पार करते हैं।” —१

“रागाउरे से जह वा पयगे आलोयलोले समुवेइ मच्चु।”

जिस प्रकार पतगिया (मरवाया) दीपक की लौ पर गिरकर अनुरागवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो इष्ट-रूप में आसक्ति रखता है, वह भी अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है।—२

“कुम्मो इव गुत्तिन्दिया, विहंग इव विप्पमुक्का।”

अर्थात्—साधक कच्छप की तरह गुप्त-इन्द्रिय होकर तथा पक्षी की तरह बन्धन रहित होकर विचरे।

“गो-सरिसो गवय”, गौ के सदृश गवय होता है।

इस प्रकार शब्द-शक्ति उपमान के द्वारा जानी जा सकती है। कभी उपमान से उपमेय का ज्ञान होता है, और कभी उपमेय से उपमान का परिचय प्राप्त होता है।

(३) कोश से—अनेक शब्दों का एक अर्थ, और एक शब्द के अनेक अर्थ, तथा लिंग-भेद आदि शब्द-शक्ति कोश से जानी जा सकती है।

(४) आप्त-वाक्य से—‘माणुस्स खु सुदुल्लह।’ “विग्गि च कम्मुरो हेउ जस सच्चिणु खतिए। सरीर पाढव हिच्चा, उड्ढ पक्कमए दिस’ आदि परोक्ष तत्त्व बोधक आप्त-वाक्य ही है। आप्त का अर्थ—जिन, अरिहन्त, केवली है, उनका

१—उत्तराध्ययन ८ ६,

२—उत्तराध्ययन ३२ २४,

वाक्य आप्त-वाक्य कहलाता है, अर्थात्—आगम प्रमाण इसी वाक्य में अन्तर्भूत है ।

(५) व्यवहार से—शब्द-शक्ति व्यवहार से भी जानी जा सकती है । पिता अपने बड़े लडके से कहता है कि—घडा ले आ ! लडका ले आया । पास ही एक छोटे बच्चे ने भी वह शब्द सुना, और लाया हुआ घडा भी देखा, तब वह जान लेता है कि इस चीज को घडा कहते हैं । समीप लाना, यह क्रिया है । इन व्यावहारिक बातों और पदार्थों का ज्ञान नित्य प्रति व्यवहार में आए हुए शब्दों के ज्ञान से होजाता है ।

(६) वाक्य शेष से—“पोल्लेव मुट्ठी जह से असार, अयतिये कूड-कहावणो वा । राढामणी वेरुलियपगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ।”—१

“जिस प्रकार खाली मुट्ठी और खोटा सिक्का असार है, उसी प्रकार गुण-हीन साधु भी असार है । जिस प्रकार काच-मणि वैदुर्य-मणि की तरह प्रकाशमान होती है, परन्तु जानकार पुरुषों के सामने निश्चय ही वह अल्प मूल्य वाली हो जाती है, उसी प्रकार द्रव्य-लिंगी साधु भी विवेकी पुरुषों में सराहनीय नहीं बन सकता ।”

इस गाथा के चौथे चरण से पूर्वोक्त तीन चरणों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, अन्यथा उनका आशय समझना अत्यन्त कठिन था ।

(७) विवृत्ति से—किसी व्याख्यान-दाता ने अपने व्याख्यान में कहा—आत्मोन्नति, आत्म-विकास, तथा आत्मोत्क्रान्ति करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, अर्थात्—किसी गब्द का खुलासा करने के लिए अनेक पर्याय-वाचक शब्दों का प्रयोग करना—‘विवृत्ति’ कहलाता है ।

(८) सान्निध्य से—सिद्धों की सन्निकटता से शिला का नाम भी सिद्ध-शिला पड़ गया है । सिद्ध-शिला का नाम ही सान्निध्य का द्योतक है ।

इस प्रकार आठ कारणों से शब्द-शक्ति का ग्रहण होता है । इनके बिना शब्द-नय का अनुगमन नहीं चल सकता । अस्तु, ये हैं—शब्द-नय के मूल-भूत कारण ।

षष्ठ छात्र—

छठे छात्र ने कहा—“यथार्थाभिधान शब्द ” (भाव-मात्राभिधानप्रयोजकोऽध्यवसायविशेष), —१ अर्थात्—भाव-निक्षेप के अन्तर्गत अर्थ-कथन करना ‘शब्द-नय’ कहलाता है । शब्द-नय का प्रयोजन है—शब्द के द्वारा यथार्थ अर्थ प्रकट करना । सत्य-भाषा और व्यवहार-भाषा, इन्हीं दो भाषाओं पर शब्द-नय का पूरा अनुशासन है । शब्द-नय—जाति-वाचक, गुण-वाचक, द्रव्य-वाचक और क्रिया-वाचक शब्दों को ही अपने काम में लाता है, व्यक्ति-वाचक सज्ञाओं को नहीं । यह है—शब्द-नय का वाह्य उपकरण । आभ्यन्तरिक उपकरण है—श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम में जन्य अध्यवसाय विशेष ।

शब्द-प्रधान होने से इस नय को 'शब्द-नय' कहते हैं । पद-ज्ञान शब्द-बोध का कारण है । पदार्थ-ज्ञान करण है । व्यापारवान् असाधारण कारण को करण कहते हैं जैसे— दण्ड, चक्र और चीवर, ये तीनों घट के प्रति असाधारण कारण हैं, किन्तु जब ये तीनों यथा-समय यथा-क्रम क्रिया कर रहे हो, तब ये ही कारण, करण कहलाते हैं । पद-ज्ञान यदि कारण है, तो पदार्थ-ज्ञान करण है । वाक्यार्थ ज्ञान को शाब्द-बोध कहते हैं । शाब्द-बोध का लक्षण है—

“एकपदार्थोऽपर-पदार्थ-ससर्ग-विषयक ज्ञान शाब्दबोध ”
अर्थात्—शाब्द-बोध में चार मुख्य कारण हैं, जैसे—

(क) आसत्ति-ज्ञान, (ख) योग्यता-ज्ञान, (ग) आकाक्षा-ज्ञान, और (घ) तात्पर्य-ज्ञान ।

आसत्ति-ज्ञान—इसका अर्थ है, पदों की सन्निकटता । जैसे—“भगवान् ने कल्याणकारिणी देशना दी”—यदि इन्हीं पदों में से एक-एक पद प्रहर-प्रहर में उच्चारण करेंगे, तो शाब्द-बोध नहीं हो सकता ।

योग्यता-ज्ञान—इसका अर्थ है—एक पदार्थ में अन्य पदार्थों का सम्बन्ध होना । जैसे—सवर-पूर्वक निर्जरा ही आत्म-प्रगति में सहायक है । इससे विपरीत यदि योग्यता का ज्ञान न हो तो—निर्ग्रथ रात्रि को आहार करता है, 'श्रावक शिकार खेलता है', 'किसान अग्नि सींचता है', आदि वाक्य योग्यता-ज्ञान विहीन हैं । अतः ये उपर्युक्त वाक्य शाब्द-बोध में कारण नहीं हैं ।

आकांक्षा-ज्ञान—इसका अर्थ है कि—जिस पद के

बिना अर्थ स्मरण न हो सके, उस पद की आकाक्षा रहती है।

जैसे—कारक-पदों में क्रिया पद की आकाक्षा रहती है, और क्रिया-पद में कारक-पद की। एक पाठक किसी पुस्तक को पढ़ रहा है। ज्यो-ज्यो पढ़ता है, त्यो-त्यो एक पद से दूसरे पद की, फिर तीसरे पद की आकाक्षा होती है। कर्त्ता और कर्त्तृ-विशेषण, कर्म और कर्म-विशेषण, करण और करण-विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि एक पद दूसरे पद की आकाक्षा बढ़ाता है। यदि एक पद थोड़ी देर के लिये ज्ञात न हो सके, तो बुद्धिमान पाठक उस पद की खोज के लिये व्याकुल हो जाता है। यही 'आकाक्षा-ज्ञान' का फल है। इसके विपरीत हाथी, घोड़ा, बैल आदि पद आकाक्षा-विहीन हैं।

तात्पर्य-ज्ञान—इसका अर्थ है—बोलने वाले का अभिप्राय। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानकर प्रसंगानुसार अनेकार्थ वाचक शब्द का विवक्षित अर्थ करना। जैसे—प्रयोजक कर्त्ता ने कहा—'सैन्धव ले आओ'। तब प्रयोज्य कर्त्ता समयानुसार वक्ता के तात्पर्य का विचार करता है, कि यह रसोई का समय है, या सवारी का? सैन्धव नमक का वाचक तो अवश्य है, किन्तु साथ ही घोड़े का भी वाचक है। यदि तात्पर्य-ज्ञान शब्द-बोध में कारण न हो, तो रसोई के समय घोड़ा ले आए, और सवारी के समय नमक।

उपर्युक्त चारों माधन शुद्ध होने पर ही वस्तु-तत्त्व का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। यह 'शब्द-नय' का मुख्य प्रयोजन है।

सप्तम छात्र—

सातवे छात्र ने कहा—“इच्छद् विमेषियतर पञ्चुप्पण्ण
णओ सद्दो”—१

अर्थात्—जो विचार शब्द-प्रधान होता हुआ, शाब्दिक धर्मों की ओर झुककर तदनुसार ही अर्थ-भेद की कल्पना करता है, वही वस्तुतः शब्द-नय कहलाता है। यह नय ऋजु सूत्र से विशुद्धतर है। शब्द-शक्ति तीन वृत्तियों में विभक्त है। जैसे—(क) अभिधा वृत्ति, (ख) लक्षणा वृत्ति, और (ग) व्यजना वृत्ति।

वाक्यार्थ को जानने के लिए दो उपाय काम में लाए जाते हैं—मुख्य और अमुख्य। इनमें मुख्य-शक्ति ‘अभिधा’ कहलाती है। जहाँ शब्द का सम्बन्ध सीधा अर्थ के साथ हो, वह अभिधा कहलाती है, अथवा साकेतिक अर्थ बतलाने वाली शब्द-शक्ति को अभिधा कहते हैं। साकेत—जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में ग्रहण किया जाता है, व्यक्ति में नहीं। क्योंकि व्यक्ति अनन्त है। द्रव्य से तात्पर्य सज्ञा-विशेष से है। सज्ञा के दो भेद हैं—(क) चिरतनी, और (ख) तद्भिन्ना। षट्-द्रव्यों के नाम अनादि होने से चिरतनी है। द्वितीय देवदत्त आदि एक-एक व्यक्ति। “देवा वि त नमसति जस्स धम्मं सया मणो”—२ यह वाक्य अभिधा शक्ति के अन्तर्भूत है। आगमों में अभिधा-वृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे—

१—अनुयोग द्वार,

२— दशर्वकालिक १—१,

‘दुम-पत्तए पडुरए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।
एव मणुयाण जोविय, समय गोयम । मा पमायए ॥’—१

जहाँ मुख्यार्थ मे अन्वय या तात्पर्य की निष्पत्ति न हो सके, वहाँ अमुख्य व्यापार ग्रहण किया जाता है। इसी को ‘लक्षणा-वृत्ति’ कहते हैं। जैसे—‘गगाया घोप’—‘गगा मे कुटीर हैं। यहाँ गगा के मुख्य अर्थ की उपेक्षा करके—‘गगा के तट पर कुटीर है,’ यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कलिंग-साहसिक’—‘कलिंग साहसिक है। यहाँ लक्षणा से अर्थ निकलता है कि ‘कलिंग-देशवासी साहसिक है। वगो भीरु’ अर्थात्—‘वग देश डरपोक है।

‘द्वादशाग-वाणी मोक्ष निश्चयेणी है। यहाँ निश्चयेणी का सीधी अर्थ न लेकर—‘द्वादशाग-वाणी मे मोक्ष प्राप्त करने के अमोघ उपाय है’—यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कुशान् दर्भान् लाति गृह्णातीति कुशल’, अर्थात्—‘कुशग्राही को कुशल कहते हैं,’ इस अर्थ को न लेकर—‘कुशग्राही की तरह चतुर’, यह अर्थ लक्षणा से फलित होता है। व्यवहार मे भी ऐसा ही कहते हैं कि—‘जरा रास्ते से बात कर’। इसका ‘जरा सभ्यता से बात कर’ यह अर्थ फलित होता है। और ‘उसने मेरी नाक काट ली,’ तथा ‘ऐसा करने से मेरी नाक रह सकती है।’ यहाँ नाक का अर्थ लक्षणा से ‘प्रतिष्ठा’ का होता है। ब्राह्मी और मुन्दरी ध्यानस्थ बाहुवली को कहती हैं—‘वन्धव गज थकी उत्तरो, गज चढ्या केवल नही होसी रे ।’

यहाँ हाथी का अर्थ—लक्षणा से 'अभिमान' किया जाता है, अर्थात्—अभिमान से उतर कर विनय धारण करो ।

केशोकुमार श्रमण ने गीतम स्वामी से प्रश्न पूछते हुए कहा—

‘अय साहसिग्रो भीमो, दुद्रुस्तो परिधावइ ।

जसि गोयम । आरूढो, कह तेण न हीरसि ॥’—१

आप साहसिक भीम तथा दुष्ट घोड़े पर सवार हो रहे हो, फिर वह आपको उन्मार्ग में क्यों नहीं ले जाता है ?

यह प्रश्न लक्षणा से किया गया है । गीतम स्वामी ने उत्तर भी लक्षणा से ही दिया है ।” जैसे—

“पधावन्त निगिण्हामि, सुयरस्सी-समाहिय ।

न मे गच्छइ उम्मग्ग, मग्ग च पडिक्कइ ॥”—२

मैं दुष्ट घोड़े को लगाम के द्वारा रोके रखता हूँ, अतः वह उन्मार्ग पर न जाकर मार्ग पर ही रहता है ।

अब प्रश्न पैदा होता है—क्या गणधर भी घोड़े की सवारी किया करते हैं ? यहाँ अश्व-रूप मुख्य अर्थ न ग्रहण करके लक्षणा से दुष्ट अश्व-सदृश मन लिया है, जिसको श्रुत ज्ञान-रूपी लगाम से वश में कर रखा है । इसलिए वह उन्मार्ग में नहीं ले जाता है, यही अर्थ स्पष्ट होता है ।

१—उत्तराख्ययन, २३-५५,

२—उत्तराख्ययन, २३-५६,

इसी प्रकार उन दोनों ही धर्म-धुरन्धर महामुनियों के बीच में लक्षणा-वृत्ति से ही प्रश्नोत्तर हुए ।

“वतासी पुरिसो राय, न सो होइ पससिओ ।”

“वत नो पडियायइ जे स भिक्षू ।”

जो वमन को ग्रहण नहीं करता है, वह भिक्षु है । अति बुभुक्षित मनुष्य भी जब वमन को ग्रहण नहीं करता, तब दूसरो की तो बात ही क्या ?

यहाँ वान्त का अर्थ लक्षणा से त्यक्त वस्तु है । अतः अब यह अर्थ निकलता है कि—त्यक्त वस्तु का पुनः सेवन करना ही वान्त-ग्रहण करना है । इस प्रकार सूत्रों में लक्षणा के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं ।

व्यजना-वृत्ति दो प्रकार की होती है—(क) अभिधा-मूलक, और (ख) लक्षणा-मूलक ।

(क) अभिधा-मूलक व्यजना के उदाहरण—

(१) संयोग से—‘सकेशरो हरि’ ‘सवज्रो हरि’, ‘सशखचक्रो हरि.’ । यहाँ ‘हरि’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी केशर के संयोग से ‘हरि’ की सिंह में व्यजना की गई है । इसी प्रकार वज्र के संयोग से इन्द्र में, और शख-चक्र के संयोग से वासुदेव में समझनी चाहिए ।

(२) विप्र-योग से—‘अकेशरो हरि’, ‘अवज्रो हरि’, ‘अशखचक्रो हरि.’ । इससे भी उन्हीं पूर्वोक्त व्यक्तियों में व्यंजना समझनी चाहिए, अन्य में नहीं । क्योंकि ‘यह सिंह केशर से रहित है’—यह अर्थ निकलता है ।

(३) साहचर्य से—‘भीमार्जुनी’ पद से ‘भीम’ और ‘अर्जुन’ के अनेक अर्थ होते हुए भी एक दूसरे के साहचर्य से कुन्ती के पुत्र ही लिए जाएँगे ।

(४) विरोधिता —‘कर्णार्जुनी’, से ‘कर्ण’ और ‘अर्जुन’ के अनेक अर्थ होते हुए भी विरोध के कारण महा-भारत के पात्र-विशेष में ही व्यजना की गई है ।

(५) अर्थ से—‘जिनं वन्दे भवच्छिदे’ । यहाँ ‘जिन’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी ‘भवच्छिदे’ इस पद से ‘जिनेश्वर’ में ही व्यंजना रहती है ।

(६) प्रकरण से—‘सर्वं जानाति देव ।’ एक राज-पुरुष राजा के सन्मुख कह रहा है कि—‘देव सब कुछ जानते हैं ।’ यहाँ ‘देव’ का अर्थ व्यजना से ‘आप’ समझा जाएगा ।

(७) लिंग (चिन्ह)—‘कुपितो मकर-ध्वज ।’ ‘मकर-ध्वज’ समुद्र का वाचक भी है, किन्तु यह अर्थ अभिमत नहीं है । यहाँ मकर-ध्वज, व्यजना से ‘कामदेव’ का वाचक है । ‘मकर की ध्वजा’ कामदेव का चिन्ह है । चिन्ह भी जाति और व्यक्ति में विशेषता पैदा कर देता है ।

(८) सन्निधि से—जैसे—‘निर्ग्रन्थ धर्म’ । धर्म के अनेक अर्थ होते हुए भी ‘निर्ग्रन्थ’ शब्द के सम्बन्ध से यहाँ ‘जैन-धर्म’ ही अभिप्रेत है ।

(९) सामर्थ्य से—‘मधुना मत्त पिक ।’ यहाँ वसन्त

के सम्पर्क से 'पिक' का अर्थ कोकिल लिया जाता है ।

(१०) देश से—'विराजितो गगने विधु ।' यहाँ गगन रूप देश से, विधु का अर्थ शशाक लिया जाता है । इसका दूसरा अर्थ नहीं लिया जायगा ।

(११) काल से—'निशि चित्र-भानु ।' यहाँ चित्र-भानु की व्यजना रात्रिरूप काल के सम्बन्ध से अग्नि में ही की गई है, अन्य सूर्य आदि में नहीं ।

(१२) व्यक्ति से—'मित्रो भाति', यहाँ मित्र का अर्थ सूर्य लिया जाता है, क्योंकि यहाँ मित्र शब्द पुल्लिङ्ग है । अतः 'मित्र' की व्यजना सूर्य में है, सखा में नहीं है ।

(ख) लक्षणा-मूलक व्यंजना के उदाहरण—

(१) गंगायां घोष—गंगा के तट पर कुटीर है—यह अर्थ लक्षणा से निकलता है, किन्तु 'शीतलत्व' और 'पावनत्व' आदि विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति व्यंजना से ही होती है ।

(२) इंगाल दोष—इस दोष पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—अगार का रूप प्राकृत भाषा में 'इङ्गाल' बनता है, जिसका अर्थ होता है—जलता हुआ कोयला । उपलक्षण से बुझे हुए कोयले को भी 'इङ्गाल' कहते हैं ।

(ख) लक्षणा वृत्ति—मनोज्ञ आहार-पानी को प्राप्त करके उसमें लुब्ध होना, आसक्त होना, लोलुपता तथा मूर्च्छा भाव रखना, तथा आहार-पानी करते हुए मनोज्ञ भोजन-पानी बनाने वाले की प्रणसा करना, जैन परिभाषा के अनुसार यह सब कुछ साधक के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उक्त क्रिया करता हुआ, वह इङ्गाल-दोष का सेवन करता है। भोजन बनाने वाले की सराहना और आसक्ति-पूर्वक आहार-पानी करने से सावद्य क्रिया की अनुमोदना होती है। जिन-जिन अन्नो का वह आहार-पानी बना हुआ है, उनके जीवन का वह व्याधातक बनता है। जब हृदय में स्वार्थ-वृत्ति जग उठती है, तब इन्द्रियो की लोलुपता से प्रमाद की वृद्धि होती है, और प्रमाद से सयम-कला कृष्ण-पक्ष के चन्द्रमा की तरह प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। इसलिए आसक्तिपूर्वक आहार-पानी करने वाला साधक 'इङ्गाल-दोष' का सेवन करने वाला है ! यह अर्थ लक्षणा से जाना जाता है।

(ग) व्यंजना वृत्ति—जैसे जलता हुआ कोयला दूसरो को जला देता है और बुझा हुआ कोयला दूसरो को काला बना देता है, जैसे साधारण काष्ठ और बावन शीर्ष-चन्दन दोनो के मूल्यों में बहुत अन्तर है, परन्तु जब उन दोनो को जलाकर कोयला बना दिया जाता है, तो उक्त दोनो के कोयले एक ही भाव से विकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अङ्गार में दाहकत्व एव कालापन, और चन्दन की

अपेक्षा चन्दन के बने कोयले में सस्तापन आदि व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान भी व्यजना से ही जाना जाता है ।

मूल इङ्गाल-दोष में भी दाहकत्व विद्यमान है । वह सयम और आत्म-गुणों को जलाकर भस्म कर देता है । जिस प्रकार बुझे हुए कोयले में कालापन होता है, वैसे ही इङ्गाल-दोष भी स्वयं काला है जो कि उज्ज्वल सयम को भी कलकित करता है । जैसे वावन-शीर्ष-चन्दन का मूल्य अधिक होता है, और उसका कोयला बहुत सस्ता, वैसे ही सयम रूपी वावन-शीर्ष चन्दन को जलाकर इन्द्रिय-सुख रूपी कोयला बनाना है, यह अल्प मूल्य व्यङ्ग्यार्थ है ।

सारांश में इङ्गाल-दोष का यह अर्थ व्यजना-शक्ति से अभिव्यञ्जित होता है ।—१

(३) धूम दोष—इस दोष पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधावृत्ति—‘धूम’ का अर्थ धुआँ है । “यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि रिति”—इस व्याप्ति वाक्य से यह जाना जाता है कि अग्नि के बिना धुआँ नहीं हो सकता । धुएँ से अग्नि का होना नियमेन सिद्ध होता है । फिर चाहे धुआँ किसी रंग का हो अथवा कैसे ही स्वभाव का हो, पर अन्ततः वह धुआँ ही कहलाता है । उस धुआँ से

१—“जे एण निग्गथे वा निग्गथी वा फामुअ एसणिज्ज अमण पाण खाडम साडम पडिग्गाहेत्ता मुच्छिए गिद्धे गडिए अज्झोववण्णे आहारं आहारेड, एम एण गोयमा । मडगाले पाणभोयणे ।”

भवन काला हो जाता है । अतः वह एक प्रकार का घूम दोष है ।

(ख) लक्षणा वृत्ति—जैन-परिभाषा के अनुसार 'खाद्य' और 'पेय' पदार्थ पर, या उस पदार्थ के बनाने वाले व्यक्ति पर जो साधक द्वेष तथा रोष करता है, अथवा घृणा और निन्दा करता हुआ आहार करता है, तो उससे साधक की आत्मा मलिन पड़ जाती है । अतः उस अवस्था-विशेष को भी 'धूम-दोष' कहते हैं ।

(ग) व्यंजना वृत्ति—धूम से आँखें पीड़ित हो जाती हैं, आँसू आने लग जाते हैं, श्वास रुकने लग जाता है, और चेहरा भी म्लान हो जाता है । इस प्रकार आँखों में बहुत पीड़ा हो जाती है, और कुछ देर के लिए दीखना भी बन्द हो जाता है । कभी-कभी घुआँ के प्रकोप से त्रस प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में समवायाङ्ग सूत्र में भी कहा है कि—“यदि कोई त्रस-प्राणी को धूम से मारे तो वह महामोहनीय कर्म-बन्ध करता है ।” अतः यह सिद्ध होता है कि 'धूम'—मलिनत्व, पीड़ा आदि अनेक दोषों से युक्त है । इसी प्रकार 'धूम-दोष' भी ज्ञानात्मा दर्शनात्मा, उपयोगात्मा तथा चारित्रात्मा को मलिन करने वाला है ।

अर्थात्—'धूम-दोष' से घातक कर्मों का तीव्र अनुभागबध होता है, और उन कर्मों की दीर्घ-स्थिति को बाधता है, इस दृष्टि से 'धूम-दोष' भी मलिनत्व तथा पीड़ा

आदि दोषो से युक्त है । इसलिए इन दोषो को भी 'ब्रूम-दोष' के अन्तर्गत समझना चाहिए ।—१

(४) जैन—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियो से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—'जैन' का अर्थ होता है, 'विजयी के पद चिन्हो पर चलने वाला' अथवा 'विजयी को जो अपना इष्ट देव माने, वह 'जैन' ।

(ख) लक्षणा वृत्ति—'जो अवधि-ज्ञानी, मनःपर्यव-ज्ञानी, और केवल-ज्ञानी जिन हैं, उन्हे जो अपना इष्ट देव माने, वह 'जैन' ।

(ग) व्यंजना वृत्ति—'जो लक्षण, निक्षेप, नय, स्याद्वाद आदि से वस्तु-तत्त्व को जानता है, बन्ध तथा बन्ध के कारणो को जानकर त्यागता है, और सवर, निर्जरा तथा मोक्ष को उपादेय समझकर ग्रहण करता है, वास्तव मे वही 'जैन' कहलाने योग्य है ।

(५) निर्ग्रन्थ—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियो से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—'निर्ग्रन्थ' का अर्थ है—'निर्गतो ग्रन्थात् आभ्यन्तरवाह्यपरिग्रहाद् य स निर्ग्रन्थ'—यह जैन

१—“जे ण निग्गन्थे वा निग्गन्थी वा फासुअ एमणिज्ज अमण पाण खाडम माडम पडिग्गाहिता महया अप्पतिय कोहकिलाम करे-मारो आंहार आहारेड, एस ण गोयमा सवूमे पाण भोयरो ।”

—भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देश्य १,

श्रमण के लिये रूढ है ।

(ख) लक्षणा वृत्ति—इसका प्रयोग 'आगम' व्यवहारी श्रमण के लिए किया जाता है, शेष व्यवहारियों के लिए नहीं ।

(ग) व्यंजना वृत्ति—ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थान-स्थित आत्मा को 'निर्गन्थ' कहते हैं, दूसरो को नहीं ।

अध्यापक —

सातो छात्रो की व्याख्या को सुनने के बाद अध्यापक ने अपना विचार प्रस्तुत किया—'यद्यपि आप सब ने शब्द-नय' की व्याख्या यथागक्य बहुत कुछ युक्ति-युक्त की है, तथापि जो आवश्यक कथन शेष है, उसी को स्पष्ट करने के लिए मुझे कुछ कहना है । दत्त-चित्त होकर मुनिए ।

बहुत से लोग लोक-प्रचलित शब्दों के अर्थ पुस्तको या शब्द-कोशो मे ढूँढते हैं, किन्तु उन्हे यह विचारना चाहिए, कि पुस्तको या शब्द-कोशो मे अर्थ कहाँ है ? पुस्तक या कोशो मे तो केवल पर्याय शब्द रहता है—अर्थ नहीं । अर्थ तो सृष्टि मे रहता है । सूत्रो के अक्षर पोथी मे मिल जाते हैं, किन्तु अर्थ को जीवन मे ही खोजना चाहिए ।

वस्तुत 'शब्द' बोधक है, और 'अर्थ' बोध्य । 'शब्द' वाचक है, और 'अर्थ' वाच्य । 'अर्थ' बतलाने का मुख्य साधन 'शब्द' है ।

शब्द-ज्ञान मे निमित्त कारण है 'स्मृति' । इसी प्रकार स्मृति-का निमित्त कारण है 'तदावरण क्षयोपशम' । और

तदावरण क्षयोपशम 'श्रुत-ज्ञान' का निमित्त कारण है। अस्तु, फलित यह हुआ कि 'अर्थ-ज्ञान' शब्द से होता है, और 'शब्द-ज्ञान' स्मृति से, इसी प्रकार स्मृति-ज्ञान—श्रुतज्ञान से, और श्रुत-ज्ञान—तदावरण क्षयोपशम से पैदा होता है। यह क्रम ठीक चलने से ही 'अर्थ-ज्ञान' हो सकता है। जिस प्रकार 'शब्द' के बिना अर्थ-ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार 'शब्द-ज्ञान' स्मृति के बिना नहीं हो सकता। जैसे—एक व्यक्ति अर्द्ध-मागधी भाषा नहीं जानता। उसके समक्ष यदि कोई भी आगम-ग्रन्थ रखा जाए, तो देखने से या सुनने से शब्द-ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्मृति नहीं होती। स्मृति तो उसी भाषा की हो सकती है, जिसकी पहले—अवग्रह, ईहा, अवाय होने के पश्चात् धारणा दृढ हो गई हो, अर्थात्—जिस भाषा पर समुचित अधिकार हो चुका हो।

फिर देखने, मुनने तथा पढने से भी उसकी स्मृति हो सकती है। जब तक स्मृति न हो, तब तक शब्द-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः शब्द-ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त क्रम का होना अनिवार्य है।

'शब्द-नय' का विषय ऋजुसूत्र-नय से सकुचित है, किन्तु विशद है। 'शब्द-नय'—काल-भेद, कारक-भेद, लिंग-भेद, सख्या-भेद, पुरुष-भेद, और उपसर्ग-भेद से वाच्यार्थ में भेद मानता है। जिनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) काल-भेद—“सुमेरुर्बभूव, सुमेरुर्भवति, सुमेरुर्भविष्यति।” सुमेरु पहले था, अब भी है, भविष्य में भी होगा। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय प्रति-क्षण बदलती ही रहती है।

किसी भी द्रव्य में परिवर्तन लाना काल-धर्म है । अतः काल-भेद से प्रत्येक पर्याय का वाचक भिन्न ही रहेगा ।

आगमों के आरम्भ में—“तेण कालेण तेण समएण चम्पा-नाम नयरी होत्था ।” आदि भूतकाल सम्बन्धी पाठ देखने में आते हैं, जबकि वह नगरी जम्बू स्वामी के युग में भी थी । फिर सुधर्मा स्वामी ने जम्बू से ऐसा क्यों कहा है कि—उस काल में और उस समय में ‘चम्पा’ नाम की नगरी थी ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि—जो चम्पा नगरी चौथे आरे के समय तथा भगवान् महावीर स्वामी की देशना के समय थी, वह चम्पा नगरी जम्बू स्वामी के युग में नहीं है, क्योंकि जम्बू स्वामी का युग पाँचवाँ आरा था । काल-भेद से चम्पा नगरी का वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान भी बहुत कुछ बदल गया था । अतः पर्याय जैसे-जैसे पलटती है, उसका वाचक भी काल-भेद के अनुसार पलटता ही रहता है ।

(२) कारक-भेद—इस भेद को निम्नलिखित पाँच प्रकार से स्पष्ट किया गया है—

(क) ‘धर्म जीव को सद्गति में पहुँचा देता है ।’ यहाँ पर धर्म, ‘कर्त्ता’ है ।

(ख) ‘धर्म को प्राप्त करने पर ही जीव सुखी बनता है ।’ यहाँ धर्म, ‘कर्म’ है ।

(ग) ‘धर्म के द्वारा ही जीव कर्मों को क्षय कर सकता है ।’ यहाँ धर्म, ‘करण’ है ।

(घ) ‘धर्म के लिए प्रवृत्त होता है ।’ यहाँ धर्म, ‘संप्रदान’ है ।

(ङ) 'धर्म से भ्रष्ट होकर जीव दुर्गति को प्राप्त करता है।' यहाँ धर्म, 'अपादान' है।

(च) 'स्वधर्म मे निधन भी श्रेष्ठ है, कामदेव श्रमणोपासक पर दारुण उपसर्ग होने पर भी वह 'स्वधर्म' मे दृढ़ रहा।' यहाँ स्वधर्म 'अधिकरण' है।

उपर्युक्त वाक्यों मे कारक-भेद होने से 'धर्म' शब्द के अर्थों में भी भेद हो गया है। यहाँ सर्वत्र कारक-भेद से अर्थ-भेद परिलक्षित है।

(३) लिंग-भेद—लिंग तीन प्रकार के होते हैं; जैसे—(क) पुल्लिंग, (ख) स्त्री-लिंग, और (ग) नपु सक लिंग। तदनुरूप शब्द भी तीनों लिंगों के अन्तर्गत है।

शब्द-नय, पुल्लिंग से जो वाच्यार्थ का बोध होता है, उसे स्त्री-लिंग से नहीं मानता। जैसे 'देव' से देवी का बोध नहीं होता। नपु सक लिंग से जो वाच्यार्थ का बोध होता है, उसे पुल्लिंग से नहीं मानता, जैसे—'आम्र' कहने से फल का बोध होता है, वृक्ष का नहीं। पुल्लिंग से वाच्यार्थ के बोध को, नपु सक लिंग से नहीं मानता, जैसे—'मित्र' कहने से सूर्य का बोध होता है—सुहृद् का नहीं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी स्वयं समझ लेना।

शब्द-नय मानता है कि कतिपय शब्द त्रिलिङ्गी भी होते हैं, किन्तु उनका अर्थ भिन्न-भिन्न है। जैसे—'कमल' यह मृग का वाचक है, 'कमला' यह लक्ष्मी का वाचक है, 'कमल' यह फूल का वाचक है, एव 'अमृत, अमृता, अमृतम्'—

इनका अर्थ क्रमशः—देव, आमलकी, एव पीयूष आदि है ।
 'सम, समा, समम्'—इनका अर्थ भी क्रमशः—तुल्य, वर्ष,
 एव सर्व मे ग्रहण किया जाता है । 'शिव.' ग्रह-विशेष का
 वाचक है, 'शिव' भद्र एव कल्याण का वाचक है, 'शिवा'
 गोदडी का वाचक है । 'विश्वभर' इन्द्र का पर्याय वाचक
 है, तो 'विश्वभरा' पृथ्वी का । 'मित्र' सूर्य का पर्याय वाचक
 है, तो 'मित्र' सुहृद् का । 'मधु' वसन्त का पर्याय वाचक है,
 तो 'मधु' शहद का । 'पीलु' वृक्ष-विशेष का नाम है, तो
 'पीलु' उसके फल का । 'नभाः' श्रावण मास का वाचक है,
 तो 'नभः' गगन का । 'वसुदेव' अग्नि का वाचक है, तो
 'वमु' धन व रत्न का । 'कारण' हेतु एव उपादान का वाचक
 है, तो 'कारणा' तीव्र वेदना का । इसी प्रकार नपु सक लिंगी
 'सुमन.'—श्रेष्ठ मन का वाचक है । 'सुमनस्' पुल्लिंगी है,
 जोकि देव-पद का वाचक है । 'सुमनस्' स्त्री-लिंगी है, अतः
 वह पुष्प का वाचक है ! सस्कृत भाषा में बहुत-से ऐसे शब्द
 हैं, जिनका वाच्यार्थ एक है, किन्तु वाचक शब्द त्रिलिंगी है ।
 जैसे कि—

“आकाश, द्यौः, नभः । कर्ण, श्रुति, श्रोत्रम् । स्वर्ग,
 द्यौ, त्रिविष्टपम् । दारा, भार्या, कलत्रम् । तट, तटी, तटम् ।
 कपट., निकृति., शाठ्यम् । अनादर., तिरस्क्रिया, अवहेलनम् ।”

इस प्रकार 'शब्द-नय' लिंग-भेद से वाच्यार्थ का भेद
 मानता है । चाहे एकार्थ-वाचक एक-लिंगी सख्या में कितने ही
 हों, शब्द-नय उनमें भेद नहीं मानता, जब कि 'ऋजुसूत्र-नय'

एक अर्थ के वाचक चाहे त्रिलिगी हो, उनमें भेद मानता है ।

(४) संख्या-भेद—शब्द-नय संख्या-भेद से वाच्यार्थ में भेद मानता है, जैसे—‘पुष्पम्’ का अर्थ है—एक फूल । ‘पुष्पे’ का अर्थ है—दो फूल, तथा ‘पुष्पाणि’ का अर्थ है—बहुत से फूल ।

इसी प्रकार ‘सुमनस’ स्त्री-लिंगी नित्य बहु-वचनान्त है, जिसका प्रयोग अनेक फूलों के लिए किया जाता है, एक या दो फूलों के लिए नहीं ।

एक स्त्री को दारा नहीं कहा जाता । यह शब्द पुलिङ्ग है, जोकि नित्य बहु-वचनान्त है । बहुत-सी स्त्रियों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार ‘आप’ यह शब्द स्त्री-लिंगी है, जोकि नित्य ही बहु-वचनान्त है, यह जल का वाचक है । जल के एक कण के लिए ‘आप’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । ‘श्रावक, श्रावकौ, और श्रावका.’—इन तीनों का वाच्यार्थ संख्या-भेद से भिन्न-भिन्न है ।

(५) पुरुष-भेद—शब्द-नय पुरुष-भेद से वाच्यार्थ भेद मानता है, जैसे—प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष । ‘ग्राम गच्छति, ग्राम गच्छसि, ग्राम गच्छामि’—इन तीनों में पुरुष-भेद होने से वाच्यार्थ में भेद हो जाता है, अथवा—

‘एहि, मन्ये, रथेन यास्यसि, नहि यास्यति, यातस्ते पिता’ ;
अथवा—

‘एहि, मन्ये, ओदन भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः ।’
“प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ।”

उपर्युक्त सूत्रों से जो पुरुष-व्यवस्था है, वह प्रहास में ही समझना । यथार्थ कथन में तो “एहि त्वं मन्यसे, ओदन मह भोक्ष्ये, भुक्तः सोऽतिथिभिरिति” आदि उदाहरण स्वयं समझ लेना ।

(६) उपसर्ग-भेद—शब्द-नय उपसर्ग-भेद से भी वाच्यार्थ में भेद मानता है । जैसे—

“अनुगच्छति, अवगच्छति, संगच्छते, निर्गच्छति, आगच्छति, उद्गच्छति—ये सब ‘गम्’ धातु के रूप हैं । हृन् हरणे धातु के ‘घञ्’ प्रत्यय से बने हुए शब्द , जैसे—प्रहार, उपहार, सहार, विहार, निहार, परिहार, आहार, अपहार व्यवहार आदि । ‘स्था’ धातु से ‘प्रस्थान, अनुष्ठान, सस्थान, उत्थान, अवस्थान, उपस्थित—इन सब के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । ‘डुकृञ् करेण’ धातु से ‘उपकार, अपकार, संस्कार, विकार, प्रकार, दुष्कर, दुष्कृत, आकार आदि ।

उपसर्ग-भेद से अर्थ में भेद हो जाता है । यह नय नाम, स्थापना और द्रव्य-निक्षेप को नहीं मानता है, क्योंकि इनसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता । अर्थ-क्रियाकारी होने से भाव-निक्षेप ही वस्तु है । अन्य सर्व निक्षेप खर-विषाण व्रत् अवस्तु हैं । ‘पृथु-बुध्न-उदर-आकारादि से कलित’ जल आहरण आदि क्रियाकारी घट रूप को ही भाव-घट

मानता है, शेष नाम आदि घट इस नय को स्वीकार नहीं, क्योंकि यह नय शब्द-प्रधान है और चेष्टा लक्षण ही 'घट' शब्द का अर्थ है ।

नाम, स्थापना और द्रव्य-रूप घट नहीं है, यह प्रतिज्ञा है । जल आहरण आदि जो उसके कार्य हैं, वे कार्य उनसे नहीं हो सकते, यह हेतु है । पट आदि की तरह, यह दृष्टान्त है । भाव के सिवाय नाम आदि निक्षेप 'रूप घट, प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दोनों से असिद्ध है ।

ऋजुसूत्र-नय को सम्बोधित करके शब्द-नय कहता है—'जो कुम्भ नष्ट हो चुका है और जो अभी तक बना ही नहीं, वह घट जब कि तुम्हें अभीष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तब नाम आदि घट को तुम ने कैसे घट-रूप में मान लिया, क्योंकि प्रयोजनाभाव दोनों में समान ही है । यह है 'शब्द-नय' की संक्षेप में रूप-रेखा ।

समभिरूढ-नय

“पर्याय-शब्देषु निरुक्ति - भेदेन,
भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढः ।”

— प्रमाण-नय तत्त्वालोका, ७—३६,

पर्यायशब्द-भेदेन, भिन्नार्थस्याधिरोहणात् ।
नयः समभिरूढः स्यात्, पूर्ववच्चास्य निश्चयः ॥

— श्लोक वार्तिक

“जहाँ शब्द का भेद है, वहाँ अर्थ का भेद अवश्य है । यह कहने वाला ‘समभिरूढ-नय’ है । ‘शब्द-नय’ तो अर्थ-भेद वही कहता है, जहाँ लिंग आदि का भेद होता है, परन्तु इस नय की दृष्टि में तो प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न ही होता है ।”

: १२ :

समभिरूढ-नय

शब्द-नय की व्याख्या समाप्त होने के पश्चात् अध्यापक ने समभिरूढ-नय की व्याख्या करने के लिए छात्रों को आज्ञा प्रदान की। आज्ञा पाते ही सातो छात्रो ने समभिरूढ-नय की व्याख्या इस प्रकार की—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—

“ज ज सण्ण भासइ, त त चिय समभिरोहए जम्हा ।

सण्णतरत्थविमुहो तओ तओ समभिरूढो त्ति ॥”—१

अर्थात्—शब्द-नय ने जहाँ एकार्थ वाची घट, कुट, कलश, कुम्भ आदि अनेक शब्द स्वीकार किये हैं, वहाँ समभिरूढ-नय की मान्यता है कि—जो जिस वाच्य का वाचक है, उसका पर्यायवाची वाचक समस्त वाङ्मय मे नहीं मिलेगा। जैसे—‘घट’ जिस वाच्य का वाचक है, उसके ‘कलश, कुम्भ, आदि अन्य पर्यायवाची वाचक नहीं हो सकते।

भिन्न-भिन्न शब्दों के अर्थ भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं, एक नहीं। जैसे--'घटनात् घट' इति। विशिष्ट चेष्टावात् वाच्यार्थ को 'घट' कहते हैं।

“कुट कौटिल्ये, कुटनात् कौटिल्ययोगात् कुटः”
—यह व्युत्पत्ति 'कुट' शब्द की है।

“उभ-उ भ पूरणे कुम्भनात् कुत्सितपूर्णात् कुम्भ” — यह व्युत्पत्ति कुम्भ शब्द की है। इस प्रकार घट, कुट, और कुम्भ इन तीनों में शब्द-भेद की तरह अर्थ-भेद भी है। एक अर्थ में अनेक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

शब्द-नय को इङ्गित करते हुए समभिरूढ-नय कहता है, कि जब आपने यह मान लिया कि—लिंग-भेद, कारक-भेद और वचन-भेद से अर्थ-भेद होता है, तब ध्वनि-भेद होने से—घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों के अर्थ-भेद आपको क्यों अमान्य हैं? जब कि ध्वनि-भेद में यहाँ भी समानता ही है। अतः हमारे मार्ग का अनुकरण आप को भी बिना किसी सकोच तथा बिना तर्क-वितर्क के कर लेना चाहिए।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“एक-संज्ञा-समभिरोहणात् समभिरूढ,”—१

विरुद्ध लिंग आदि योग से जैसे वस्तु में भिन्नता आ जाती है, वैसे ही संज्ञा-भेद से भी आती है। संज्ञा-भेद तो सकेत कर्त्ताओं के द्वारा प्रयोजन-वश ही किया जाता है, न

कि बिना प्रयोजन के, अन्यथा अनवस्था दोष का प्रसंग आ जाएगा। जिस प्रकार वस्तु के सज्ञा-वाचक शब्द है, उसी प्रकार ही उनके अर्थ भी है। अतः एक अर्थ के अनेक सज्ञा-वाचक नहीं हो सकते। शब्द-नय की यह मान्यता है कि—‘पर्यायवाचक एक लिंगी शब्द भिन्न होते हुए भी एक अर्थ के द्योतक हैं’, यथा—‘अमरा.’, ‘निर्जरा.’, ‘देवा’, आदि का एक देव अर्थ है।

समभिरूढ-नय का अभिमत है कि—‘अमरा,’ ‘निर्जरा’ और ‘देवा:’, इन तीनों का अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न है—एक नहीं।

‘न म्रियन्तेऽपर्याप्त-काले ये तेऽमरा:’, अथवा—‘न म्रियन्ते हननादपि ये तेऽमरा:’—जिनको मृत्यु अपर्याप्त काल में नहीं हो सकती, अथवा जो शस्त्र-अस्त्र आदि से भी नहीं मरते, अपनी स्थिति पूर्ण होने से पहले जो नहीं मरते, उन्हें ‘अमर’ कहते हैं।

‘निर्जरा निर्गता जराया ये ते निर्जरा:’—

जो बुढ़ापे के जाल से निकल गए, अथवा जिनके जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से सदैव यौवन बना रहता हो, वे निर्जरा-वाचक के वाच्यार्थ हैं।

‘दीव्यन्तीति देवा:’,—‘दिवु’ धातु—क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, तथा गति, इन अर्थों में है। अतः इन लक्षणों से जो युक्त हैं, वे देव कहलाते हैं।

सारांश यह निकला कि—अमरा:, निर्जरा:, और देवा ;

ये तीनों ही भिन्न-भिन्न वाच्यार्थ के वाचक हैं, एक अर्थ के नहीं। क्योंकि जहाँ शब्द-भेद है, वहाँ अर्थ-भेद अवश्य है।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“पर्याय-शब्देषु निरुक्ति-भेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढः”—१

अर्थात्—जो पर्याय वाचक शब्दों में निरुक्ति-भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करता है, वह ‘समभिरूढ-नय’ है।

शब्द-नय, जब कि शब्द-पर्याय की भिन्नता में भी द्रव्य के अर्थ में अभेद मानता है, तब समभिरूढ-नय शब्द-पर्याय में भेद होने पर भी द्रव्य के अर्थ को भिन्न मानता है। जैसे—“भूपालनात् भूप., नृपालनात् नृप., राजते वैभवादिभि र्यं स राजा”, आदि। शब्द-भेद से अर्थ-भेद मानना ही प्रस्तुत-नय का परम लक्ष्य है। यदि शब्द-भेद से अर्थ-भेद नहीं माना जाए, तो ‘इन्द्र’ और ‘शक्र’ दोनों शब्दों का अर्थ एक हो जाएगा।

‘इन्द्र’ शब्द की व्युत्पत्ति—‘इन्द्रनादिन्द्र’, अर्थात्—जो शोभित हो वह ‘इन्द्र’ का वाच्य है, एव ‘शकनाच्छक्रः’, अर्थात्—जो शक्तिशाली हो, उसे ‘शक्र’ कहते हैं। इसी प्रकार ‘पुर्दारणात् पुरन्दर.’; अर्थात्—जो नगर आदि का ध्वंस करता है, वह ‘पुरन्दर’ कहलाता है। ‘वज्रं पाणी यस्य स वज्रपाणी,’ अर्थात्—जिसके हाथ में वज्र है, वह ‘वज्रपाणी’ कहलाता है। जब इन शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, तब इनका वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न ही होना चाहिए।

अस्तु, जो इन्द्र है—वह इन्द्र है । जो वज्रपाणि है—वह वज्रपाणी है । जो पुरन्दर है—वह पुरन्दर है, और जो शक्र है—वह शक्र है ।

वास्तव में न तो इन्द्र—शक्र हो सकता है, और न शक्र—पुरन्दर हो सकता है, अर्थात्—कोशकारो ने एक लिंगी इन्द्र के पर्याय-वाचक शब्द दिए हैं, और शब्द-नय ने उन सब का अर्थ एक माना है । परन्तु समभिरूढ-नय उन सभी पर्याय-वाचक शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न करता है । वस, यही दोनों में अन्तर है ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“सत्स्वर्थेष्वसक्रम. समभिरूढ.”—१
अर्थात्—सत् अर्थों में सक्रम न होना ही ‘समभिरूढ-नय’ का अर्थ है ।

शब्द-नय काल, कारक, और लिंग आदि के भेद से ही अर्थ में भेद मानता है । एक लिंग वाले पर्याय-वाचक शब्दों में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता । जैसे—‘अवगत, जात, बुद्ध’, इन सब का लिंग एक होने से अर्थ भी एक ही मानता है । शब्द-भेद के आधार पर अर्थ-भेद करने वाली बुद्धि जब कुछ और आगे बढ़ जाती है, और व्युत्पत्ति के आधार पर पर्याय-वाचक शब्दों में अर्थ-भेद मानने के लिए तैयार हो जाती है, तब ‘समभिरूढ-नय’ का अवतरण होता है । व्युत्पत्ति-वाद का विकास समभिरूढ-नय के समर्थको ने

किया है। यह नय कहता है कि—केवल काल आदि के भेद से अर्थ-भेद मानना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु व्युत्पत्ति-मूलक शब्द-भेद से भी अर्थ-भेद मानना चाहिए।

प्रश्न—वाच्य कितने हैं ? और वाचक कितने ?

उत्तर—वाच्य अनन्तानन्त हैं, और वाचक केवल सख्यात ही हैं, असख्यात व अनन्त नहीं।

दिव्य की जितनी भी भाषाएँ हैं, उन सभी के समस्त शब्दों को यदि कल्पना से एकत्र किया जाए, तो भी शब्द-समूह समुद्र की तरह सख्यात की वेला को अतिक्रम नहीं कर सकता।

प्रश्न—अब यह नया प्रश्न पैदा हो सकता है कि क्या श्रुत-ज्ञान से अनन्त पर्याय जानी जा सकती हैं ? यदि श्रुत-ज्ञान का विषय अनन्त है, तो फिर सख्यात शब्दों से अनन्त अर्थों का बोध कैसे हो सकता है ?

उत्तर—श्रुत-ज्ञान दो प्रकार का है—(क) अभिलाष्य, और (ख) अनभिलाष्य। जो 'अभिलाष्य' है, उसका ज्ञान शब्द के द्वारा हो सकता है। तथा जो 'अनभिलाष्य' है, उसका नहीं। अभिलाष्य से अनभिलाष्य श्रुत-ज्ञान अनन्त गुण है। 'समवायाग' तथा 'नन्दी' सूत्र में एक पाठ आता है—“द्विष्टिवायस्स सखेज्जा अक्खरा, अणता गमा, अणता पज्जवा”, द्विष्टिवाद में श्रुत-ज्ञान का ग्रामूल-चूल वर्णन आता है, जबकि उसमें भी 'सखेज्जा अक्खरा अणता गमा' बतलाया है, तब अन्य शास्त्र-ग्रन्थ तो उसके आगे नगण्य से है।

प्रश्न—अब रहा यह प्रश्न कि—सख्यात अक्षरो से अनन्त अर्थों का ज्ञान कैसे हो सकता है ?

उत्तर—जैसे लोकाकाश असख्यात प्रदेशात्मक है । फिर भी उनमें अनन्त द्रव्य समाए हुए हैं, वैसे ही सख्यात शब्दों में भी अनन्त अर्थ समाए हुए हैं । यह बात आगम प्रमाण से प्रमाणित होने से सर्वथा ग्राह्य है ।

पञ्चम छात्र

पाँचवे छात्र ने कहा—“असक्रमगवेपणापरोऽध्यवसाय विशेषः समभिरूढः ।”—१

अर्थात्—जो विचार, शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करता है, वह 'समभिरूढ-नय' कहलाता है ।

'शब्द-नय' यदि लिंग आदि के भेद से अर्थ-भेद को स्वीकार करता है, तो सज्ञा-भेद से भी अर्थ-भेद को स्वीकार क्यों नहीं करता ? 'समभिरूढ-नय' शब्द-नय से कहता है, यदि तुम ऐसा कहोगे कि—घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों का अनुशासन बल से एक में सकेत ग्रहण हो जाता है, तो 'ऋजुसूत्र-नय' से ग्रहण किया हुआ सकेत-विशेष पर्यालोचन से क्यों नहीं छोड़ देते ?

शब्द-नय कहता है कि—जिस रूप से जिस पदार्थ का बोध होता है, उसी रूप से उसकी पद-शक्ति है । घट-पद की तरह कुट-पद से भी घट रूप अर्थ का बोध होता है । अतः सिद्ध हुआ कि घट, कुट और कुम्भ आदि एक घट

रूप अर्थ के बोधक होने से इन्हे पर्यायान्तर कहना युक्ति-सगत ही है ।

समभिरूढ-नय कहता है कि आपका यह कहना युक्ति-युक्त नहीं है ; क्योंकि 'घट चेष्टाया' धातु से 'घट' शब्द बना है । 'कुट कौटिल्ये' धातु से 'कुट' शब्द बना है, जबकि दोनो शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, तो वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न ही होने चाहिएँ—एक नहीं । जिस प्रकार तन्तुओं से 'पट' बना है, मिट्टी से 'घट' बना है, और दोनो के उत्पन्न होने के उपादान कारण भी भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों की व्युत्पत्ति के प्रकार भी भिन्न-भिन्न ही है, तथा वाच्यार्थ भी भिन्न हैं । यदि तुम ऐसा कहोगे कि—व्युत्पत्ति-ज्ञान के बिना भी पदार्थ का बोध हो सकता है, तो यह कथन भी युक्ति-सगत नहीं है, क्योंकि अन्य किसी स्थल में किसी एक शब्द की निष्पत्ति के प्रकार अनेक होने से व्युत्पत्ति-ज्ञान के बिना वाच्यार्थ का बोध कैसे हो सकता है ? उदाहरण के रूप में लीजिए—

जैसे कि 'कुपति' एक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति है—'कु-पृथ्वी तस्या पति कुपति' अथवा 'कुत्सित पति. कुपति:', अर्थात्—व्युत्पत्ति के अनुसार ही वाच्यार्थ का बोध हो सकता है ।

शब्द-नय—ऐसा करने से तो पारिभाषिक शब्द की अनर्थकता सिद्ध न हो जाएगी ?

समभिरूढ-नय—हो जाने दो, हमें इससे क्या चिन्ता ?

क्योंकि एक स्थान पर ऐसा कहा भी गया है—“पारिभाषिकी नार्थतत्त्व ब्रवीति ।”

शब्द-नय—यदि अर्थ-बोधकत्व मात्र में पदत्व भाव पाया जायगा, तो यह इच्छा शब्द-सकेत से भी अभिव्यक्त हो सकती है, तो फिर दोनों में विषमता ही क्या है ?

समभिरूढ-नय—पदों का स्वभाव है कि व्युत्पत्ति के निमित्त से अर्थ का बोध कराना, एवं यह इच्छा शब्द-सकेत से अस्वभाव-भूत धर्म का ग्रहण होता है । यही इन दोनों में विषमता है ।

शब्द-नय—जिस प्रकार नानार्थक पद में ‘अर्थ’ सक्रम हो जाता है, उसी प्रकार अर्थ में भी ‘पद’ सक्रम हो जाना चाहिए , अर्थात्—जैसे एक पद में अनेक अर्थ समवेत हैं, वैसे ही एक अर्थ में अनेक पदों का सक्रम हो जाता है, फिर इसमें क्या हानि है ?

समभिरूढ-नय—‘अर्थ’ की तरह ‘पद’ का भी क्रिया के उपराग से सक्रम हो जाता है , अर्थात्—पद में पद का सक्रम हो जाता है । किन्तु अर्थ का सक्रम नहीं होता , जैसे—(हरी) यह पद द्विवचनान्त है । ‘हरि’, ‘हरि औ’ , यहाँ पद सारूप्येण एक शेष करके ‘हरी’ ऐसा रूप बना । यहाँ एक पद का दूसरे पद में सक्रमण हो गया, किन्तु पद-सक्रम से अर्थ-सक्रम नहीं हुआ ।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—“सम्यक् प्रकारेण पर्याय-शब्देषु निरुक्तिभेदेन अर्थमभिरोहन् समभिरूढ ।”

अर्थात्—जो-पर्याय, जिस अर्थ के योग्य हो, उस पर्याय को उसी अर्थ में अलग-अलग स्वीकार करना तथा शब्द के अर्थ की व्युत्पत्ति में लक्ष्य रखना—यह समभिरूढ-नय का ध्येय है। जैसे—जिस पदार्थ या वस्तु में 'घट' शब्द की ध्वनि होती हो, उसे ही 'घट' कहेगा, खाली को नहीं।

प्रस्तुत नय एक शब्द से अनेक वस्तुओं को 'वाच्य' नहीं मानता है, अर्थात्—कहने वाले के शब्द का जो अर्थ और अभिप्राय होता है, उसे तो 'वस्तु' मानता है, और शेष को 'अवस्तु', जैसे—किसी ने कहा—'योगीश्वर ! अश्व दौड़ता है, इसका निग्रह करो।' इस वाक्य में 'अश्व' शब्द के दो अर्थ होते हैं—'घोड़ा' और 'मन'। परन्तु कहने वाले का तात्पर्य साधु के सम्बन्ध में 'मन' से है। अतः मन तो 'वस्तु' है, और अश्व 'अवस्तु'। इसी प्रकार 'धर्म' शब्द के कहने पर धर्मास्तिकाय, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म की विवक्षा में समभिरूढ-नय बोलने वाले के शब्द का अभिप्राय लेकर, जो अर्थ प्रसंगानुसार अभिमत हो, केवल उसे ही 'धर्म' मानता है, अन्य धर्म को 'धर्म' नहीं मानता है, अर्थात्—कहने वाले की मनोगत वस्तु को ही 'वस्तु' स्वीकार करना, इस नय का अभीष्ट लक्ष्य है।

वस्तुतः 'शब्द' तो आधार है, और मानसिक-अभिप्राय 'आधेय' है। वहाँ शब्द-नय यह आशका प्रस्तुत करता है, कि—तुम्हारे कथन में, और हमारे कथन में क्या अन्तर है ?

इसका उत्तर समभिरूढ देता है कि—‘शब्द’ का अर्थ तो अन्य वस्तु में भी प्राप्त होता है। जैसे—‘गीः’ शब्द का अर्थ ‘वृषभ’ के अतिरिक्त ‘आदित्य,’ ‘स्वर्ग,’ ‘जल,’ ‘रश्मि,’ ‘दृष्टि,’ ‘बाण,’ तथा ‘वज्र’, अर्थात्—‘गच्छतीति गी’—गमन क्रिया करने वाले अनेक अर्थों में घटित हो जाता है। यह तो आपका अभिमत है, किन्तु अभिप्राय-युक्त ‘आधार वस्तु’ के अर्थ को ही ‘वस्तु’ मानना हमारा अभिप्रेत है। वस, यही दोनों में अन्तर है।

जिस प्रकार शब्द-पर्याय में भिन्नता होते हुए भी शब्द-नय एक ही अर्थ मानता है, वैसे ही अनेक अर्थों का आधार-रूप एक शब्द भी मानता है, परन्तु समभिरूढ-नय भिन्न-भिन्न पर्याय-वाचक शब्दों का अर्थ भिन्न-भिन्न मानता है, और नानार्थक शब्द का एक समय में एक ही अर्थ मानता है, उसे ही अभिप्रेत वस्तु मानता है, शेष अर्थों को ‘अवस्तु’।

सप्तमं छात्र

सातवे छात्र ने कहा—“वत्थुओ सकमरा होइ अवत्थु रा य समभिरूढे।”—१

अर्थात्—वस्तु का अन्य किसी वस्तु में सक्रमण होना असंभव है !

‘जीव, जीवास्तिकाय, प्राणी, भूत, सत्त्व, विज्ञ, चेता, आत्मा, पुद्गली, कर्ता, विकर्ता, जन्तु, यौनिक, स्वयंभू, सशरीरी, ज्ञाता, तथा अन्तरात्मा’ आदि, शब्द-नय

के मत से ये एक जोव-द्रव्य की सज्ञाएँ हैं । किन्तु समभिरुढ-नय पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ को व्युत्पात्त के अनुसार भिन्न-भिन्न करता है, अर्थात्—

प्रस्तुत नय के मत में विश्व भर के सभी कोशों में एक शब्द का पर्याय-वाचक दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात्— 'जीव' और 'आत्मा' शब्द में एकरूपता लाना नितान्त असंभव है । जैसे 'आत्मा' शब्द के स्वर और व्यंजन 'जीव' शब्द में संक्रम नहीं होते, वैसे ही 'जीव' शब्द के स्वर और व्यंजन 'आत्मा' शब्द में संक्रान्त नहीं होते, तथा जिस अर्थ की सज्ञा 'जीव' है, उसकी सज्ञा 'आत्मा' नहीं हो सकती । जिस अर्थ की सज्ञा 'आत्मा' है, उसकी सज्ञा 'जीव' नहीं हो सकती है ।

इसी प्रकार 'नन्दी सूत्र' में या 'तत्त्वार्थ सूत्र' में मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता आदि शब्द, 'शब्द-नय' के मतानुसार एक लिंगी होने पर एक अर्थ के पर्याय-वाचक शब्द हैं । परन्तु समभिरुढ-नय, सज्ञा-भेद से पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ-भेद मानता है । इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण स्वयं विज्ञेय हैं ।

जिस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, इन पाँचों द्रव्यों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होते हुए भी गुण और स्वभाव का आदान-प्रदान नहीं होता, उसी प्रकार 'जीव' के साथ अनादि काल से कार्मण पुद्गल वद्ध होने पर भी

‘जीव’ का ‘अजीव’ के रूप में सक्रमण नहीं होता, और न कार्मण पुद्गल ही ‘जीव’ रूप में सक्रान्त होता है !

प्रश्न—जब किसी रासायनिक प्रयोग में ताम्र का स्वर्ण, या पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है, तब आपके कथनानुसार क्या ‘ताम्र’ या ‘लोहा’ स्वर्ण के रूप में सक्रान्त नहीं हुआ ? यदि कहो, नहीं होता, तो यह प्रत्यक्ष विरोध है। यदि कहो, “सक्रान्त हो जाता है,” तो यह आगम विरोध है। एक स्थान पर भी विरोध आ जाए, तो फार्मूला गलत सावित हो जाने से वह फार्मूला—फार्मूला नहीं रहता। यदि दो प्रमाणों से प्रयोग गलत सावित हो जाए, तो कहना ही क्या ? अतः इस विरोध का परिहार करिए ?

उत्तर—सक्रमण होने के जो-जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे अन्वय और व्यतिरेक से विपरीत हैं। ‘लोहा’ पारस के स्पर्श से ‘स्वर्ण’ बन जाता है, किन्तु यह तो उसकी पर्याय है। वस्तुतः पर्याय तो परिवर्तित होती ही रहती है। पर्याय तो विश्रसा से भी परिवर्तित होती है, तथा प्रयोगज से भी। यदि लोहे का पारस बन जाता, और पारस का लोहा बन जाता, तो इसे हम कथंचित् सक्रम कह सकते हैं—सर्वथा नहीं, किन्तु ऐसा होता नहीं।

प्रश्न—दुग्ध में दधि मिश्रित कर देने से वह दुग्ध दधि के रूप में सक्रान्त हो जाता है, यह उदाहरण तो अन्वय से व्याप्त है ?

उत्तर—आपका यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि सजातीय में सक्रम ही जाना, तो पर्याय है। विजातीय में सक्रम तीन-काल में भी नहीं हो सकता। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का परिणामन होना, पुद्गलास्तिकाय की 'गुण पर्याय' है, तथा सस्थानों में परिणामन होना 'द्रव्य पर्याय' है। जिनके उदाहरण आपने दिए हैं, वे समस्त पुद्गल 'द्रव्य' के हैं। एक वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान का, दूसरे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान में परिणत होना तो पर्याय है।

जिस प्रकार पुद्गलास्तिकाय का किसी समय भी धर्मास्तिकाय या जीवास्तिकाय आदि में सक्रम नहीं होता, उसी प्रकार एक शब्द का दूसरा सजातीय शब्द न होने से कथंचित् भी सक्रम नहीं हो सकता, और विजातीय शब्द का सक्रम तो होना ही असम्भव है। 'इन्द्र' का 'शक्र' में सक्रम नहीं हो सकता, 'शक्र' का 'इन्द्र' में नहीं हो सकता। अर्थात्—'इन्द्र' कभी भी 'शक्र' नहीं हो सकता, और न 'शक्र' कभी 'इन्द्र' हो सकता है। यह है 'समभिरूढ-नय' का अभीष्ट मत।

अध्यापक

छात्रों का वक्तव्य सुनकर अध्यापक ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रिय छात्रों ! यद्यपि तुम सब ने समभिरूढ-नय के विषय में बहुत कुछ विवेचन किया है, तथापि प्रसंगानुसार अपूर्ण विषय को पूर्ण करने के लिए मुझे भी कहना कुछ आवश्यक है। अतः सावधान होकर सुनो—

समभिरूढ-नय व्याकरण शास्त्र की व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न पर्याय शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ होने से पदार्थों को भिन्न-भिन्न मानता है, अर्थात्—जितने भी पर्यायवाची शब्दों के नाम हैं, उतने ही वस्तु-भेद और अर्थ-भेद इस नय के मत से माने जाते हैं। क्योंकि इस नय का अर्थ केवल अभिधेय ही नहीं है, अपितु पर्यायवाचक शब्द भी है; फिर भी उन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थों को स्वीकार करना, इस नय का मुख्य लक्ष्य है।

यदि पर्यायवाची कोश की दृष्टि से एकार्थवाचक कहे जाने वाले 'शब्द' और 'पर्याय' के भेद होने पर भी वस्तु-का भेद न माना जाए तो फिर भिन्नार्थवाचक पर्याय-भेद और शब्द-भेद के होने पर भी वस्तुओं का भेद न होना चाहिए। जैसे—'घट' और 'पट' ये दोनों ही पदार्थ, भिन्न-भिन्न पर्यायों और भिन्न-भिन्न शब्दों वाले हैं। यदि अर्थ-भेद न माना जाएगा, तो उक्त दोनों का भेद भी सिद्ध न हो सकेगा। अतएव इस नय के मत में शब्द-भेद के द्वारा वस्तु के अर्थ-भेद का होना अनिवार्य माना गया है। यह नय किसी वस्तु को अश-मात्र गुण न्यून होने पर भी उसे 'पूर्ण वस्तु' मानता है, जैसे, 'जन्मणः मनोनीतः राष्ट्रपति' को भी 'राष्ट्रपति' मानता है।

दूसरा उदाहरण देखिए—एक विद्यार्थी बी० ए०, बी० टी० में सर्व प्रथम पास हुआ है और शिक्षामन्त्री ने उसे अमुक तारीख को अमुक हाई-स्कूल में प्रधान अध्यापक पद को सुशोभित करने के लिए निर्देश दिया है। समभिरूढ-नय के अनुसार अभी से ही उसको प्रधान अध्यापक कह सकते हैं। इसी प्रकार जो आन्तरिक युद्ध में विजयी बनते हुए

धारक है, और इस ससार-समर में भी पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले है, उन्हें 'जिन' कह सकते है । 'अवधि' तथा 'मनः' पर्याय ज्ञान होने के पश्चात् इसी भव में जिन्हे केवल-ज्ञान भी अवश्य प्राप्त कर लेना है, उन्हें 'केवली' कह सकते है ।

घन-घातिक कर्म दलिकों का जिगोषु, तथा केवल-ज्ञान 'नक्षत्री' के ईप्सु अवश्य ही तीन लोक के पूज्य व विश्ववद्य न ही जाते हैं । अतः उन्हें 'अर्हन्' कह सकते हैं और अरिहन्त को 'सिद्ध' कह सकते है ।

अथवा बारहवें गुण-स्थानवर्ती को 'जिन', 'केवली', 'अर्हन्' कह सकते है , क्योंकि अन्तर्मुहूर्त में उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त कर लेना है । अतः उन्हें पंच-परमेष्ठी के पहले पद में सम्मिलित कर सकते है, अर्थात्—उन्हे 'अरिहन्त' कह सकते है ।

चौदहवें गुण-स्थानवर्ती अरिहन्त को सिद्ध कह सकते हैं क्योंकि वहाँ का कालमान पूर्ण होने के पश्चात् सिद्ध गति ही प्राप्त करना शेष रह जाता है, अतः वे सिद्ध भगवन्त हैं । यदि कोई चार ज्ञान का धारक है, तो उसे समभिख्य चार ज्ञान का धारक नहीं मानता । जिस ज्ञान में उपयोग लगा हुआ होगा, उसी को धारक मानता है । यह नय 'आगमधर' उसी को मानता है, जिसका उपयोग 'सूत्र' या 'अर्थ' में संलग्न है, और अध्ययन किये जाने वाले विषय को 'आगम' मानता है । उपयोग शून्य अध्ययन और ध्येता को 'आगम' या 'आगमधर' नहीं मानता । जो धारक जिस सूत्र का उपयोग-पूर्वक एव अर्थ-युक्त अध्ययन

कर रहा है, उसे यह नय उसी सूत्र का ज्ञानी मानता है—
अन्य का नहीं ।

एक व्यक्ति अनेक भाषाएँ जानता है, किन्तु यह नय जिस भाषा में उपयोग लगा है, वर्तमान में उसी का ज्ञाता मानता है—अन्य का नहीं, क्योंकि एक समय में जैसे एक ही भाषा बोली जा सकती है—दो नहीं । इसी प्रकार उपयोग भी वर्तमान में केवल एक ही भाषा में लग सकता है—दो में नहीं । इस सम्बन्ध में प्रकृत-नय का कथन यह भी है कि—शब्द का अर्थ एक समय में एक व्यक्ति एक ही ग्रहण कर सकता है—अनेक नहीं । नानार्थक शब्दों में इसकी मान्यता नहीं है, जबकि शब्द-नय नानार्थक शब्दों में भी विश्वास रखता है और उपयोग-शून्य आवश्यक को अवस्तु मानता है । द्रव्यावश्यक तो दुर्लभ-बोधि, अनन्त-ससारी, मायी, और मिथ्यादृष्टि भी करता है, किन्तु उससे कोई परमार्थ नहीं सधता । अतः वह कूटकार्षापिण की तरह अवस्तु है । वस्तुतः भावावश्यक ही परमार्थ साधक है, अतः जिज्ञासु को उसी की सत्य-निष्ठ होकर उपासना करनी चाहिए ।



उत्पन्नं दधि-भावेन,

नष्टं दुग्धतया पयः ।

गोरसत्वात् स्थिरं जानन्,

स्याद्वाद-विद् जनोऽपि-कः ॥

— उपाध्याय यशोविजय

“दूध, दधि-रूप से उत्पन्न हुआ है और दूध-रूप से नष्ट हुआ है, किन्तु गोरस-रूप से स्थिर है—यह वस्तु तत्त्व का रहस्य कोई स्याद्वाद-वेत्ता ही जान सकता है, अन्य नहीं ।”

एवंभूत-नय

क्रिया-परिणतार्थं चेदेवम्भूतो नयो वदेत् ।
— द्रव्यानयोग तर्कणम्

“एवम्भूतस्तु सर्वत्र, व्यंजनार्थ-विशेषणः ।
राज-चिन्है र्यथाराजा, नान्यदा राज-शब्द-भाक् ॥”

—नयोपदेश, ३९

“जिस काल मे जो क्रिया हो रही है, उस काल मे उस क्रिया से सम्बद्ध विशेषण किंवा विशेष्य नाम का व्यवहार कराने वाला विचार ‘एवम्भूत-नय’ कहलाता है ।”

एवंभूत-नय

समभिरूढ-नय का वक्तव्य समाप्त होने के पश्चात् अध्यापक ने छात्रों को 'एवंभूत-नय' की व्याख्या करने का निर्देश दिया। जिसके अनुसार सातों छात्रों ने अपने-अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—“शब्दाना स्वप्रवृत्ति-निमित्तभूत-क्रिया-विशिष्टमर्थ वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवभूत इति ।”—१

अर्थात्—इन्दनादि क्रिया विशिष्ट इन्द्र आदि व्यक्ति का पिण्ड हो या न हो, परन्तु इन्द्रादि का व्यपदेश लोक में तथा व्याकरण में 'रूढ' है, अतः समभिरूढ का यह अभिमत है कि—रूढ शब्दों की व्युत्पत्ति शोभा मात्र ही है। “व्युत्पत्ति-रहिता शब्दा रूढा इति वचनात्”, किन्तु एवंभूत-नय को यह अर्थ अभीष्ट नहीं है। क्योंकि उसका कहना है कि—जिस समय 'इन्दन' आदि क्रिया से विशिष्ट इन्द्र होगा, उस काल

मे ही वह 'इन्द्र' शब्द का वाच्य है, उससे रहित काल में नहीं ।

यद्यपि भाष्य आदि व्याकरण-शास्त्र के ग्रन्थों में जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध और यहच्छा, पाँच प्रकार की शब्द-प्रवृत्ति कही है, तथापि वे सब व्यवहार मात्र ही हैं—निश्चय से नहीं । समभिरूढ-नय व्युत्पत्ति-भेद से अर्थ-भेद तक ही सीमित है, किन्तु 'एवभूत-नय' कहता है कि—जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस 'शब्द' का वह 'अर्थ' मानना चाहिए । जिस शब्द का जो अर्थ होता हो, उसके होने पर ही शब्द का प्रयोग करना, 'एवभूत-नय' है । जैसे जो शोभित होता है, वह 'इन्द्र' है । इस व्युत्पत्ति को दृष्टि में रखते हुए, जिस समय वह इन्द्रासन पर शोभित हो रहा हो, उसी समय उसे 'इन्द्र' कहना चाहिए । शक्ति का प्रयोग करते समय उसे 'शक्र' कहना चाहिए, 'इन्द्र' नहीं । इन्द्राणी के साथ क्रीडा करते समय उसे 'शचीपति' कहना चाहिए । आगे-पीछे अन्यकाल में 'शचीपति' का प्रयोग करना इस नय को अभीष्ट नहीं है ।

वारिण्य करते हुए को 'वरिणक्' कहना, भक्ति करते हुए को 'भक्त' कहना, सेवा करते हुए को 'सेवक' कहना, तप करते हुए को 'तपस्वी' कहना, मनन करते हुए को 'मुनि' कहना, तथा अनुप्रेक्षापूर्वक अध्ययन करते हुए को 'अध्येता' कहना ही इस नय को अभीष्ट है । आगे-और-

पीछे पूर्वोक्त शब्दों का प्रयोग करना इस नय को मान्य नहीं है ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“व्यञ्जनार्थयोरेवभूतः ।”—१

अर्थात्—‘व्यजन’ शब्द और ‘अर्थ’अभिधेय ; इन दोनों का यथार्थ कथन करने वाले अध्यवसाय को ‘एवभूत-नय’ कहते हैं । वस्तुतः इस शब्द का वाच्यार्थ यही है और इस अर्थ का प्रतिपादक भी यही शब्द है । इस तरह से वाच्य और वाचक के सम्बन्ध की अपेक्षा रखकर तत्क्रिया विशिष्ट वस्तु के ग्रहण करने को ‘एवभूत-नय’ कहते हैं, अथवा वाचक और उसके वाच्य की परस्पर में अपेक्षा रखकर, ग्रहण करने वाले अध्यवसाय को ‘एवभूत-नय’ कहते हैं ।

विंगेष रूप से गहराई में जाने वाली बुद्धि, जब अत तक गहराई में पहुँच जाती है, तब वह विचार करती है कि—यदि व्युत्पत्ति-भेद से अर्थ-भेद माना जा सकता है, तब तो ऐसा भी मानना चाहिए, कि जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नहीं ।

इस कल्पना के अनुसार किसी समय राज-चिन्हों से शोभित होने की योग्यता को धारण करना, अथवा मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर लेना, इतना मात्र ही ‘राजा’ या ‘नृप’ कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं, अपितु राजा

तो उसी समय कहलाने योग्य है, जबकि सचमुच राज-दण्ड को धारण करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो। इसी प्रकार 'नृप' तब कहना चाहिए, जब वह प्रजा का रक्षण कर रहा हो।

अर्थात्—किसी व्यक्ति के लिए 'राजा' या 'नृप' शब्द का प्रयोग करना तभी ठीक होगा, जबकि उसमें शब्द-व्युत्पत्ति से सिद्ध हुआ अर्थ घटित हो रहा हो। इसी रीति से जब अध्यापक पढा रहा हो, तभी उसे 'अध्यापक' कहा जा सकता है। जब तन्तुवाय वस्त्र बुन रहा हो, तभी उसे 'तन्तुवाय' कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार साधना-परायण व्यक्ति को 'साधक,' अध्ययन परायण व्यक्ति को 'अध्येता' कहा जायगा।

सारांश में यह कथन पर्याप्त है कि जब भी कोई क्रिया हो रही हो, उसी समय उससे सम्बन्धित विशेषण या विशेष्य नाम का व्यवहार करने की मान्यताएँ 'एवभूत-नय' की कहलाती हैं।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“व्यञ्जनार्थविशेषान्वेषणपरोऽध्यवसायविशेष एवभूत” १—१

अर्थात्—“जो विचार शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटने पर ही उस वस्तु को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं, वह 'एवभूत-नय' है।”

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से युक्त वस्तु को ही शब्द का वाच्य मानने वाला 'एवभूत-नय' है।

१—नय रहस्य प्रकरण।

अर्थात्—जो 'शब्द' को अर्थ से और 'अर्थ' को शब्द से विशेषित करता है, वह 'एवभूत-नय' है। जैसे—'घट' शब्द चेष्टा अर्थ वाली 'घट' धातु से बना है। अतः इसका अर्थ यह है कि—जो जल-धारण आदि क्रिया की चेष्टा करता है, वह 'घट' है।

इसलिए एवभूत-नय के मत से 'घट' अर्थ तभी 'घट' शब्द का वाच्य होगा, जबकि वह जल-धारण आदि क्रिया करता हो, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को तब ही सिद्ध कहा जा सकता है, जब वह समस्त कर्मों का सर्वथा विलय करके मोक्ष में विराजमान हो जाए। तात्पर्य यह है कि एवभूत-नय में उपयोग-सहित क्रिया की प्रधानता है। इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है, जबकि वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो।

चतुर्थं छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“यत्क्रिया-विशिष्ट शब्देनोच्यते तामेव क्रिया कुर्वद् एवभूतमुच्यते”।—१

अर्थात्—जिस क्रिया का जो बोधक शब्द है, उसी क्रिया को करते हुए वस्तु को वस्तु मानने वाला 'एवभूत-नय' है। समभिरूढ-नय इन्द्रनादि क्रिया के होने या न होने पर 'इन्द्र' आदि को इन्द्र आदि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि वे शब्द अपने वाच्यों के लिए रूढ हो चुके हैं। परन्तु एवभूत-नय इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है,

जबकि वे इन्दनादि क्रियाओं में परिणत हो । जैसे—एवभूत-
नय 'इन्दन' क्रिया का अनुभव करते समय ही 'इन्द्र' को
इन्द्र शब्द का वाच्य मानता है, और 'शक्' क्रिया में परिणत
होने पर ही 'शक्' को शक् शब्द का वाच्य स्वीकार करता
है, अन्यथा नहीं । इस सम्बन्ध में यह कहा भी गया है कि—

“यदेवार्थक्रियाकारि, तदेव परमार्थ सत् ।

यच्चनार्थक्रियाकारि, तदेव परतोऽप्यसत् ॥”

अर्थात्—जो अर्थ क्रियाकारी है, वही परमार्थ में सत्
है, और जो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वह असत् । चुम्बक
को 'चुम्बक' तभी कहा जा सकता है, जबकि वह लोहे को
आकर्षित कर रहा हो । आगमधर को 'आगमधर' तभी
मानता है, जबकि उसके योग और उपयोग आगम में ही
सलग्न हो, अन्यथा नहीं ।

यह नय अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय मानता है । वाचना,
पृच्छना, पर्यटना तथा धर्म-कथा को नहीं । जिस विषय की
अनुप्रेक्षा की जा रही हो, उसी को 'आगम' मानता है । जब
ज्ञान में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'ज्ञानी' मानता है ।
जब दर्शन में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'दर्शनी'
मानता है । जब चारित्र्य की आराधना में उपयोग लगा हुआ
हो, तभी उसे 'चारित्रवान्' मानता है । तात्पर्य यह है कि
समभिरूढ-नय ने वस्तु की जो सज्ञा स्वीकार की है, उसी
को एवभूत-नय जिस वस्तु की जैसी सज्ञा है, यदि वह वैसी
ही क्रिया करे, तो उसको वस्तु मानता है । क्रिया-रहित
सज्ञा को वस्तु नहीं मानता ।

पंचम छात्र

पाँचवे छात्र ने कहा—

“वज्रण अत्थ तदुभय एवभूओ विसेसेइ” ।—१

अर्थात्—जिसके द्वारा अर्थ व्यक्त किया जाए, उसे व्यजन (शब्द) कहते हैं। वह व्यजन जिस अभिधेय वस्तु को बतलाता है, उसे अर्थ कहते हैं। शब्दार्थ के मिलित रूप को तदुभय कहते हैं। अस्तु, जो शब्द अर्थ को विशेषित करता हो, वह ‘एवभूत-नय’ है।

एव = इसी प्रकार, भूत = तुल्य, जैसा, अर्थात्—जो पदार्थ अपने गुणों से पूर्ण हो, जिस क्रिया के योग्य हो, उसी में लगा हो—अर्थात् वही क्रिया करता हो, और उसी क्रिया में उसके परिणाम हो, उसे ‘एवभूत-नय’ कहते हैं। जैसे—घड़ा पानी से भरा हो, घट-घट शब्द कर रहा हो, उसी समय एवभूत-नय उसे ‘घड़ा’ कहेगा, न कि घर में पड़े हुए रिक्त घट को। वास्तव में देखा जाए तो जब विवक्षित भाजन-विशेष पानी से भरा हुआ हो, घट-घट शब्द कर रहा हो, ऐसी चेष्टा करने से ही उस भाजन-विशेष की ‘घट’ सज्ञा प्रसिद्ध हुई है। जब वह घट वही क्रिया कर रहा हो, जिससे उसकी ‘घट’ सज्ञा प्रसिद्ध हुई, तभी एवभूत-नय उसे ‘घट’ मानता है। निश्चिन्नेष्ट पड़े रहने से उसे ‘घट’ नहीं कहा जा सकता। एवभूत-नय अशरीरी आत्मा को ही मुक्तात्मा मानता है।

प्रश्न—‘जीव, नोजीव, अजीव, तथा नोजीव—
इस प्रकार से इन चारों में यदि केवल शुद्ध पद का ही

उच्चारण किया जाए, तो नैगम आदि नयो मे से किस नय के द्वारा कौन-से अर्थ का बोध कराया जाता है ?

उत्तर—‘जीव’ ऐसा उच्चारण करने पर देशग्राही नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, गब्द और समभिरूढ, इन नयों के द्वारा चार गतियों मे से किसी भी गति मे रहने वाले ‘जीव’ का बोध होता है। क्योंकि यह नय ‘जीव’ शब्द से औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन पाँच प्रकार के भावो मे से यथा सम्भव भावो को धारण करने वाला है। अतः वह ‘जीव’ है।

‘जीवतीति जीव’, अर्थात्—जो प्राणो को धारण करने वाला है, उसे जीव कहते हैं। जिनका सयोग होने पर यह व्यवहार हो कि ‘यह जीवित है’, और जिनका वियोग हो जाने पर यह व्यवहार हो कि ‘यह मर गया’, उनको ‘प्राण’ कहते हैं। किसी भी गुण-स्थान मे स्थित आत्माएँ किसी न किसी द्रव्य प्राणो से अधिष्ठित हैं, अतः उन्हे जीव कह सकते हैं।

उपर्युक्त कथन के अनुसार वे द्रव्य-प्राण ये हैं— पाँच इन्द्रियाँ, तीन योग, वासोच्छ्वास, और आयुर्वल-प्राण। इस सम्बन्ध मे एवभूत-नय की यह मान्यता है कि ‘जीव’ शब्द का उच्चारण करने पर चतुर्गति रूप ससार मे रहने वाले ‘जीव-द्रव्य’ का ही बोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले का बोध नहीं होता। क्योंकि सिद्ध-पर्याय मे उक्त प्राणो का धारण नहीं होता, अतः ‘जीव’ गब्द से ‘ससारी जीव’ का ही ग्रहण होता है, मुक्तात्माओ का नहीं।

कतिपय दिग्म्बर आचार्यों की यह मान्यता है कि एवभूत-नय के अनुसार सिद्ध भगवन्तो को ही 'जीव' कह सकते हैं, क्योंकि वे भाव प्राणो के धारक हैं। वे भाव-प्राण ये हैं—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, और अनन्त बल-वीर्य। द्रव्य प्राणो के धारण करने वालो को तो केवल व्यवहार से ही 'जीव' कह सकते हैं, निश्चय से नहीं।

यह कथन युक्ति-युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि एवभूत-नय की यह मान्यता है कि—जो औदयिक भाव मे स्थित हैं, उन्ही को 'जीव' कह सकते हैं। जो क्षायिक भाव तथा पारिणामिक भाव मे स्थित है, उन्हे 'जीव' नहीं कह सकते। इस सम्बन्ध मे कहा भी गया है—“एवभूतस्य जीवप्राय औदयिक भावग्राहकत्वात्।”

प्रश्न—यदि 'जीव' के औदयिक भाव ही एवभूत-नय को अभिप्रेत है, तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय के मलयगिरि आदि आचार्यों ने भी सिद्धो को 'जीव' कहा है, यह किस भाव से कहा ?

उत्तर—पाँच भावो को ग्रहण करने वाले—नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, गब्द और समभिरूढ, इन्ही छह नयों के अभिप्राय से कहा गया है, न कि 'एवभूत-नय' के अभिप्राय से।

'नो जीव'—इस गब्द के द्वारा दो अर्थों का बोध होता है—एक तो जीव से भिन्न पदार्थ, और दूसरा जीव का अण। क्योंकि 'नो' गब्द-सर्व-प्रतिषेध मे तथा ईषत् प्रतिषेध मे भी आता है। जब सर्व-प्रतिषेध अर्थ विक्षित हो,

तब 'नो जीव' का अर्थ जीव-द्रव्य से भिन्न कोई भी वस्तु ; ऐसा समझना चाहिए ।

जब ईषत् प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव-द्रव्य का अश ग्रहण करना चाहिए । अश भी दो प्रकार के होते हैं— (क) देश रूप, और (ख) प्रदेश रूप । देश-रूप अश—नैगम से है । और प्रदेश-रूप अश को शब्द-नय पर्यन्त सभी नय स्वीकार करते हैं । किन्तु समभिरूढ तथा एवभूत ; इन दो नयो को 'नो जीव' शब्द का 'ईषत् प्रतिषेध' अर्थ अभीष्ट नहीं है ।

'अजीव'— इस शब्द से पुद्गल आदि अजीव द्रव्य का ही ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ पर अकार सर्व-प्रतिषेधवाची है । नञ् रूप प्रतिषेध के दो अर्थ होते हैं—एक 'प्रसज्य' और दूसरा 'पर्युदास' । प्रसज्य पक्ष में 'नञ्' का अर्थ सर्व प्रतिषेध, और पर्युदास के पक्ष में 'तद्भिन्न' और 'तत्सदृश' अर्थ होता है ।

"पर्युदास : सदृशग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्" —इस नियम के अनुसार एवभूत के बिना सभी नय 'अजीव' शब्द का 'सर्व प्रतिषेध' अर्थ करते हैं । अत जीव से भिन्न पुद्गल आदि अर्थ ही उन्हें अभिप्रेत है, किन्तु एवभूत-नय को 'अजीव' शब्द का अर्थ सिद्ध भगवन्त और पुद्गल आदि दोनो ही मान्य है । प्रसज्य की अपेक्षा से पुद्गल आदि, तथा पर्युदास की अपेक्षा से सिद्ध भगवन्त समझना चाहिए ।

'नो अजीव'—इस शब्द से दो अर्थों का बोध होता है । जब 'नो अजीव' और 'अ', इन दोनो का अर्थ सर्व-प्रतिषेध होगा, तब 'नो अजीव' का अर्थ भवस्थ जीव-द्रव्य ही

समझना चाहिए, क्योंकि—“द्वी निषेधी प्रकृत गमयत.,”
अर्थात्—निषेध का निषेध करने से प्रकृत-स्वरूप का बोध
हो जाता है । जब ‘नो’ का अर्थ ईपत् निषेध, और ‘अ’ का
अर्थ सर्व निषेध होगा, तब ‘नो अजीव’ का अर्थ जीव-द्रव्य
का देश-प्रदेश समझना चाहिए ।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा—

“एकस्यापि ध्वनेर्वाच्य, सदा तन्नोपपद्यते ।

क्रिया-भेदेन भिन्नत्वादेवभूतोऽभिमन्यते ॥”—१

अर्थात्—एक शब्द का जो भी वाच्य है, वही का वही
अर्थ सदा नहीं रहता, प्रत्युत क्रिया-भेद से अर्थ में भेद हो
जाता है, ऐसा एवभूत-नय मानता है ।

शब्द के अभिधेय वाच्यार्थ को क्रिया की परिणति के
समय में ही वस्तु मानना, अन्य समय में नहीं । ऐसा अभिमत
प्रस्तुत नय का है ।

एवभूत-नय समभिरूढ-नय को शिक्षा देते हुए कहता
है कि—जब आपने सज्ञा-भेद से वस्तु-भेद मान लिया, तो
क्रिया-भेद से भी वस्तु-भेद होता है, ऐसा क्यों नहीं मान
लेते ? यदि देखा जाय तो वस्तुतः ‘क्रिया’ ही वस्तु में भेद
डालने वाली है । जब ‘वस्तु’ क्रिया में प्रवेश करती है, तभी
उसे ‘वस्तु’ कहा जाता है । जैसे—‘घटते चेष्टते वा तदेव घट’;
अर्थात्—जो वर्तमान काल में चेष्टा कर रहा है, वह ‘घट’
है । जो पहले चेष्टा कर चुका या अनागत काल में चेष्टा

करेगा, उसे 'घट' नहीं कहा जा सकता है। यदि उसे भी 'घट' कहा जाए, तो सभी वस्तुओं को 'घट' होने का प्रसंग आ जाएगा।

एवभूत-नय—'जैसी जिसवस्तु की सज्ञा हो, वह वैसी ही क्रियाक रता हो,वैसे ही अध्यवसाय में प्रवृत्त भी हो।' ये तीनों अपने गुणों में पूर्ण होकर उस गुण के अनुसार क्रिया में प्रवेत्त हो, और द्रव्य गुण पर्याय तथा वस्तु-धर्म सब प्रत्यक्ष होते हो, तभी उसे 'वस्तु' कहेगा। अशमात्र भी गुण न्यून होने पर उसे 'वस्तु' नहीं मानेगा।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि जब ध्यानस्थ होकर भी मानसिक रणागण में घोर सग्राम कर रहे थे, तब उसे एवभूत-नय 'युद्ध वीर' मानता है, 'शान्तवीर' और 'मुनीश्वर' नहीं। क्योंकि यह नय सर्व-प्रथम मानसिक वृत्तियों को प्रधानता देता है, और वचन एव शरीर को गौणता। मानसिक वृत्तियोंके बिना केवल वचन और काय निर्बल हैं। व्यावहारिक दृष्टि से वचन और काय सबल है। निश्चय दृष्टि से मन प्रबल है, क्योंकि गुण-स्थानों का आरोहण भावों से होता है, न कि वाणी और काय से। तन्दुल मत्स्य सातवी नरक की स्थिति मन से ही बाँधता है। समनस्क मनुष्य ही छब्बीस वे देव लोक तक की स्थिति बाँध सकते हैं—अन्य नहीं।

एवभूत-नय उपयोग-शून्य आगम-पाठी को 'आगमघर' नहीं मानता, जब तक कि ज्ञान के साथ चारित्र्य का सम्बन्ध नहीं होता। वस्तुतः ज्ञान का फल भी चारित्र्य है। अतः यह सिद्ध हुआ कि—जो व्यक्ति आगमों का अध्ययन

करके बहुश्रुत बन गया हो, और साथ ही शुद्ध भाव से 'अहासुत्त, अहातच्च अहाकप्प, अहामग्ग' के अनुसार उपयोग सहित चारित्र का पालन करने वाला भी हो, तभी उसे 'आगमधर' मानता है ।

सप्तम छात्र

सातवे छात्र ने एवभूत-नय का विवेचन करते हुए कहा कि—

“एव जह सदत्थो सतो भूओ तदन्नहाऽभूओ ।
तेणोवभूयनओ सदत्थ-परो विसेसेण” ॥—१

अर्थात्—जो 'शब्द' जिस 'अर्थ' का बोधक है, और वह वस्तु भी वैसी ही क्रिया कर रही हो, तभी उस वाच्य का वह शब्द वाचक हो सकता है, जैसे 'गच्छतीति गौ.' अर्थात्—जो चले उसे 'गौ' कहते हैं । जब वह खडी हो या बैठी हो, तो उसे 'गौ' नहीं कहते । इसी प्रकार 'आशुगामित्वाद् अश्व' अर्थात्—जो शीघ्र चले, उसे 'अश्व' कहते हैं । जब रसोई बना रहा हो, तभी उसे 'रसोइया' कह सकते हैं । 'प्रदीप' शब्द से दीपन-क्रिया से उपेत अर्थ ही अभिप्रेत है । दीपन-क्रियाहीन दीप को दीप नहीं मानता । इस नय में उपयोग सहित क्रिया की ही मुख्यता है । एवभूत-नय के मत में एक पर्याय के अभिधेय होने पर भी एक ही पर्याय का वाचक जो शब्द है, वही एक शब्द उस अभिधेय का वाचक है, क्योंकि विद्यमान भाव ही निश्चय से आत्मीय कार्य के

करने वाला देखा जाता है । अतः तद्रूप वही 'वस्तु' है, अन्य नहीं, तथा शास्त्र में वस्तु को 'स्वार्थ क्रियाकारी' माना गया है । सारांश इतना ही है, कि एवभूत-नय केवल 'स्वार्थ क्रियाकारी' वस्तु को ही 'वस्तु' मानता है ; अर्थात्—जो अपने गुण में पूर्ण हो, वही 'वस्तु' है । यही इस नय का तात्पर्य है । यदि यह पदार्थ कार्य न करता हुआ भी, अर्थात्—'स्वार्थ-क्रिया' न करने पर भी उस वस्तु को 'वस्तुत्वेन' मानता है, तो फिर 'पट' में भी 'घट' शब्द की वाच्यता क्यों नहीं स्वीकार की जाती है ? उक्त पदार्थ को इच्छा-विषयक क्यों नहीं किया जाता ? इस प्रकार मानने में उक्त पदार्थ ने क्या अपराध किया क्योंकि जिस प्रकार 'स्वार्थ-क्रिया' न करने पर भी 'घट' घटत्व के व्यपदेश का भागी बनता है, उसी प्रकार 'घट-क्रिया' का अभाव वाला पट भी 'घट' हो जाए । इसका कारण यह है कि—स्व-कार्य के अभाव होने से दोनों में ही समानत्व होने से पक्ष-सम सिद्ध हो जाता है ।

निश्चय-नय

छठे गुण-स्थान से आगे बारहवें गुण-स्थान तक के समस्त अप्रमत्त साधको को 'साधु' मानता है । तेरहवें और चौदहवें गुण-स्थान-स्थित जीवों को 'अरिहत' मानता है । गुण-स्थान रहित जीवों को 'सिद्ध भगवान्' मानता है ।—१

“से नृणो भते । चलमाणो चलिए ? उदीरिज्जमाणो उदीरिए ? वेइज्जमाणो वेइए ? पहिज्जमाणो पहीरो ? छिज्ज-

माणो छिन्ने ? भिज्जमाणो भिन्ने ? डड्ढमाणो डड्ढे ? मिज्जमाणो मडे ? निज्जरिज्जमाणो निज्जिण्णे ? हता गोयमा । चलमाणो चलिण्णे जाव निज्जरिज्जमाणो निज्जिण्णे ।”

अर्थात्—हे भगवन् ! जो चल रहा हो, वह चला । जो उदीरा जा रहा हो, वह उदीरा गया । जो वेदा जा रहा हो, वह वेदा गया । जो नष्ट हो रहा हो, वह नष्ट हुआ । जो छिद रहा हो, वह छिदा । जो भिद रहा हो, वह भिदा । जो जल रहा हो, वह जला । जो मर रहा हो, वह मरा । जो खिर रहा हो, वह खिरा । इस प्रकार कहा जा सकता है—

हाँ, गौतम ! जो चलता है, वह चला यावत् जो निर्जर रहा है, वह निर्जरा , ऐसा कइना चाहिए ।

यह कथन भी ‘निश्चय-नय’ से समझना चाहिए । ‘निश्चय-नय’ ऋजुमूत्र से आरम्भ होकर एवभूत में पूर्णतः विकसित हो जाता है ।

प्रस्तुत नय किञ्चित्मात्र हीन गुण को वस्तु नहीं मानता । किसी भी द्रव्य में प्रदेशों की गणना नहीं करता है । वह अखण्ड द्रव्य को ही ‘वस्तु’ मानता है ।

अध्यापक

अध्यापक ने कहा—यद्यपि तुम सब ने यथाशक्य एव यथासंभव एवभूत-नय की व्याख्या बहुत सुन्दर की है, तथापि एवभूत-नय गर्भित प्रतिपाद्य विषय, जोकि अपूर्ण रह गया है, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए मुझे कुछ कहना पड़ रहा है—

एवभूत-नय का विषय अत्यन्त गम्भीर और कठिन है । श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम प्रबलतर होगा, उतना ही एवभूत-नय का स्वरूप भली भाँति जाना जा सकता है । एवभूत-नय से परखे हुए विचार सिद्धान्त के रूप में परिणत हो जाते हैं । जो खडित नहीं हो सकता, वस्तुतः वही वीतराग देव का सिद्धान्त है । आलाप पद्धति में कहा है—

“सूक्ष्म जिनोदित तत्त्व, हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आज्ञा-सिद्धं तु तद्ग्राह्य, नान्यथा वादिनो जिना ॥”—१

जिनोक्त तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, जो कि हेतुओं से खडित नहीं हो सकता, वह तो आज्ञा से ही मान्य है । क्योंकि जो रागद्वेष से रहित हैं, वे अन्यथावादी नहीं हो सकते । विचारों को मलिन करने वाले राग-द्वेष है, उनको जिन्होंने सर्वथा क्षीण कर दिए, वे तुरन्त सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाते हैं । वे सत्यपूत होने से सत्यवादी ही होते हैं—अन्यथावादी नहीं । अन्यथावादी तो मोहग्रस्त होते हैं । द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से वस्तु में सर्व धर्मों की अभेद रूप से स्थिति रहती है । और पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से यह अभेद स्थिति उपचार रूप से रहती है । अनेकान्तवाद की सूचना इन दोनों से होती है । जैन-सिद्धान्त ‘सम्यग् एकान्त’ और ‘सम्यग् अनेकान्त’, इन दोनों को मानता है । सम्यग् एकान्त, नय का दूसरा नाम है तथा सम्यग् अनेकान्त, प्रमाण का । ‘मिथ्या एकान्त’ और ‘मिथ्या अनेकान्त’, ये दो शब्द क्रमशः नयाभास और प्रमाणाभास के द्योतक हैं ।

साख्य-दर्शन केवल द्रव्य को ही तत्त्व मानता है, उसकी पर्याय को नहीं। परन्तु पर्याय भी अनुभव सिद्ध है, अतः वह मत युक्ति-युक्त नहीं है।

बौद्ध-दर्शन केवल पर्याय को ही तत्त्व मानता है। इसके सिवाय अन्य किसी द्रव्य-विशेष को तत्त्व नहीं मानता। अतः बौद्धों की यह मान्यता भी युक्ति-युक्त नहीं है। क्योंकि स्वर्ण यदि द्रव्य है, तो कुण्डल, कटक आदि उसके पर्याय हैं। यह अनुभव सिद्ध है !

‘अनेकान्त सिद्धान्त को सम्यग् रीति से विचार करने पर यह कहना कठिन हो जाता है, कि जैनो की दृष्टि से अन्य दर्शन विल्कुल असत्य है।’—१

सम्यक् अनेकान्त समस्त दर्शनो मे कथञ्चित् सत्यता अवश्य स्वीकार करता है। यदि हम अन्य दर्शनो को अपनी दृष्टि से ठीक नहीं समझेगे, तो यह भी तो मिथ्या एकान्त हुआ, जिसका जैनागमो मे निषेध किया गया है। अनेकान्त और स्याद्वाद, ये दोनो शब्द सामान्य रीति से एक ही धर्म मे व्यवहृत होते है। मात्र जैन ही नहीं, परन्तु जैनेतर बुद्धिमान वर्ग भी जैन-दर्शन व जन सम्प्रदाय को अनेकान्त दर्शन या अनेकान्त धर्म के रूप मे पहचानते है। वस्तुतः

१—जहाँ मिथ्यात्व का अंश है, वहाँ सभी असत्य हैं। किन्तु ऐसा भी सूत्र मे प्रतिपादन किया है कि मिथ्या दृष्टियो के बनाए हुए ग्रथ उन्हें सम्यग्दृष्टि सम्यक् रूप मे परिणत कर सकता है। और वीतराग की वाणी को मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व रूप मे परिणत कर देता है। सत्य भी असत्य बन जाता है। (नन्दी सूत्र)—लेखक

अनेकान्त एक प्रकार को विचार पद्धति है। वह सब दिशाओं तथा सब ओर से खुला हुआ एक मानस चक्षु है। ज्ञान के, विचार के, और आचरण के किसी भी विषय को वह केवल सकीर्ण दृष्टि से देखने के लिए निषेध करता है, और जितना शक्य हो, उतने ही अधिक दृष्टिकोणों से, अधिक से अधिक पहलुओं से, और अधिक से अधिक मार्मिक रीति से वह सब कुछ विचारने और आचरण करने का पक्षपात रखता है। उसका यह पक्षपात भी केवल सत्य पर ही आश्रित है।

अनेकान्त के जीवन का अर्थ है—उसके आगे पीछे और भीतर सर्वत्र सत्य का यथार्थ प्रवाह। अनेकान्त केवल कल्पना ही नहीं है, अपितु वह एक तत्त्व-ज्ञान भी है, और आचरण का विषय होने से यह धर्म भी है। अनेकान्त की सार्थकता इसी में है, कि वह जैसे दूसरे विषयों को सब ओर से तटस्थ रूप से देखने, विचारने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार वह अपने स्वरूप और जीवन के विषय में भी मुक्त मन से ही विचार करने के लिए तैयार रहता है। कल्पना, तत्त्व-ज्ञान और धर्म, ये तीनों मानव-जीवन की ऐसी विशेषताएँ हैं, जो दूसरे किसी के जीवन में नहीं मिलती। परन्तु ये तीनों वस्तुएँ एक ही कोटि की या एक तरह के मूल्य वाली नहीं हैं। कल्पनाओं की अपेक्षा तत्त्व-ज्ञान का स्थान ऊँचा है। इतना ही नहीं, परन्तु यह स्थायी और व्यापक भी है। धर्म का स्थान तो तत्त्व-ज्ञान की अपेक्षा बढ़कर है, क्योंकि धर्म तत्त्व-ज्ञान का परिणाम—फलमात्र है। विभिन्न व्यक्तियों में क्षण-क्षण में नयी-नयी कल्पनाएँ

नए रूप में उद्भव होती है। ये सभी कल्पनाएँ स्थिर तथा सच्ची नहीं होती हैं। अतएव कल्पना करने वाला व्यक्ति भी अनेक बार अपने द्वारा आदृत तथा पुष्ट कल्पनाओं को फेंक देता है, उन्हें बदलता भी रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को सत्य की कसौटी पर कसे बिना उनका सेवन तथा पोषण करता रहता है, तो उन कल्पनाओं को न तो दूसरे लोग अपनाते हैं, और न उन्हें स्वीकार ही करते हैं, इसे दुर्नय कहते हैं।

इसके विपरीत यदि कोई कल्पना सत्य की कसौटी पर कसे जाने पर ठीक उतरती है और उसमें भ्रान्ति भी नहीं रहती, तो वह कल्पना चाहे जिस काल, चाहे जिस देश और चाहे जिस जाति में उत्पन्न हुई हो, फिर भी वह अपनी सत्यता के कारण सर्वत्र स्वीकृत की जाती है, और स्थायी बन जाती है।

ऐसी स्थिर कल्पनाएँ ही तत्त्व-ज्ञान स्वरूप गिनी जाती हैं और वे ही कही सीमाबद्ध न रहकर सार्वजनिक या बहुजन ग्राह्य सम्पत्ति बन जाती हैं, इसी को सुनय कहते हैं। मानवीय परीक्षण शक्ति जिस तत्त्व-ज्ञान को कस करके सत्य रूप से स्वीकार करती है, वही तत्त्व-ज्ञान वाद में क्रमशः धीमी या तीव्रगति से मानव के आचरण का विषय बनता है, और जो तत्त्व-ज्ञान विवेक पूर्वक आचरण में आता है, वही मानव वश का सच्चा विकासप्रद धर्म बन जाता है। जैन-धर्म वैज्ञानिक धर्म है, उसमें काल्पनिक विचारों और काल्पनिक आदर्शों के लिए जरा भी स्थान नहीं है।

सोमिल ब्राह्मण—भगवान् महावीर से प्रश्न करता है कि भगवन् ! क्या आप यात्रा भी करते हैं ?'

भगवान् ने उत्तर दिया—'हाँ, सोमिल ? मैं यात्रा करता हूँ ।' सोमिल ने तुरन्त पूछा—कौन-सी यात्रा ?

सोमिल बाह्य जगत में विचर रहा था । भगवान् अन्तर्जगत में विचरण कर रहे थे ।


भगवान् ने उत्तर दिया—'सोमिल ! जो तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान, और आवश्यक आदि योग की साधना में यतना है—प्रवृत्ति है, वही 'मेरी यात्रा है।' कितनी सुन्दर यात्रा है ? इस यात्रा के द्वारा जीवन का कल्याण होना निश्चित है । जैन-धर्म की यात्रा का पथ जीवन के अन्दर में से है, बाहर से नहीं । अनन्तानन्त साधक इसी यात्रा के द्वारा मोक्ष में पहुँचे हैं, और पहुँचेंगे । सयमी साधक के लिए जीवन की प्रत्येक शुद्ध प्रवृत्ति यात्रा है, मोक्ष का मार्ग है । भगवान् का यह कथन एवभूत-नय की दृष्टि से है ।

भगवान् पार्श्वनाथ के शासन का प्रसार करने वाले 'कालास्यवैश्य पुत्र' नामक अनगार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य स्थविर भगवन्तो ने कहा—“वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही-सामायिक है । सामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप आत्म-तत्त्व की प्राप्ति ही है ।” यह कथन भी एवभूत-नय की दृष्टि से ही समझना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं । उसके एक धर्म को

देखकर निश्चय कर लेना, और अन्य धर्मों का विचार न करना ही एकान्तवाद है ।

आदि के तीन नय—स्व-सिद्धान्त, पर-सिद्धान्त, और उभय-सिद्धान्त, इन तीनों को मानते हैं । ऋजुसूत्र-नय—स्व-सिद्धान्त और पर-सिद्धान्त, इन दोनों को मानता है, उभय सिद्धांत को नहीं, क्योंकि उभय सिद्धांत में जो स्व अश है, वह स्व-सिद्धान्त में गर्भित है और जो पर अश है, वह पर-सिद्धान्त में । इस प्रकार उभय सिद्धांत जैसी कोई वस्तु नहीं है ।

तीनों शब्द-नय केवल स्वसिद्धान्त को मानते हैं, पर-सिद्धान्त और उभय सिद्धांत को नहीं ।



वस्तु-धर्मो ह्यनेकान्तः,
प्रमाण-नय साधितः ।
अज्ञात्वा दूषणं तस्य;
निज-बुद्धेर्विडम्बनम् ॥

— अनेकान्त व्यवस्था

अर्थात्—‘वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और वह प्रमाण एव नय से सिद्ध होती है । जो व्यक्ति उसके रहस्य को बिना समझे ही दूषण देता है, यह उसकी बुद्धि की विडम्बना है ।’

उपसंहार

जावइया वयण-पहा,
तावइया चव होन्ति णय-वाया ।
जावइया णय-वाया ;
तावइया चव पर-समया ॥

— सन्मति तर्क—४७,

‘जितने प्रकार के वचन-मार्ग हैं, उतने ही प्रकार के नय-वाद है। और, जितने प्रकार के नय-वाद हैं, उतने ही प्रकार के पर-समय अर्थात् मतान्तर हैं।’

अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः,

प्रमाण-नय-साधनः ।

अनेकान्तः प्रमाणात् ते;

तदेकान्तोऽर्पितात् नयात् ॥

— स्वयंभू-स्तोत्र, १०३१

अनेकान्त भी एकान्त नहीं है, अर्थात् वह अनेकान्त भी है, और एकान्त भी है । प्रमाण-गोचर अनेकान्त है, और नय-गोचर एकान्त है ।

उपसंहार

“सत्त नया जिरोहिं भणिया, जे सहहता सम्मदिट्टी ।
एगे पुण न सहहन्तो, मिच्छा दिट्टी उ नायव्वा ॥”

अर्थात्—जो समुदिन सप्त नयो पर श्रद्धा करता है, वह सम्यक्त्व-सम्पन्न है, और जो एक नय को तो मानता है, वेप छह नयो को नहीं मानता या छह नयो को मानता है किन्तु एक नय को नहीं मानता तो वह मिथ्या दृष्टि है ।

प्रश्न—जब प्रत्येक नय मे सम्यक्त्व नहीं है, तब समुदित हो जाने पर उसमे सम्यक्त्व कैसे हो सकता है ?

जबकि बालु के प्रत्येक कण मे तेल का सर्वथा अभाव है, तब उन कणों के समुदित हो जाने पर भी उन मे तेल का सर्वथा अभाव ही रहेगा । इसका समाधान क्या है ?

उत्तर—दृष्टान्त एक-देशी होता है, सर्व-देशी नहीं । जैसे एक परमाणु मे कोई सस्थान नहीं होता है, किन्तु उनके स्कन्ध मे संस्थान का आविर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार अव्यवस्थित रूप से खडे हुए अनेक व्यक्तियों मे

पक्ति का अभाव है, किन्तु यदि वे सब व्यक्ति क्रम-वद्ध खडे हो जाएँ तो तत्काल ही पक्ति का आविर्भाव हो जाता है ।

पोदीना, अजवाइन और कपूर—इन तीनों के पृथक्-पृथक् रहने पर उनमें तरलता नहीं होती है, परन्तु तीनों को एक शीशी में बन्द कर के यदि धूप में रख दिया जाए, तो उनका पानी बन जाता है, जिसको अमृत धारा कहते हैं ।

मशीन के समस्त कल-पुर्जे अव्यवस्थित तथा अलग-अलग पडे हो, तो किसी भी कल पुर्जे से तज्जन्य कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता, और बन्द मशीन से भी कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता । हाँ, यदि सभी कल पुर्जे यथास्थान व्यवस्थित हो, और साथ ही क्रियावान् भी हो, तो उस मशीन से तज्जन्य कार्य निष्पन्न हो सकता है । विष की सभी किस्में पीडोत्पादक और मारक होती हैं, किन्तु सुवैद्य उनको मिलाकर एक सजीवनी औषधि बना देता है ।

जैसे वैदूर्य-मणियाँ नीलत्वादि गुणयुक्त तथा विष घातक तो हैं, किन्तु वे मणियाँ महामूल्यवान् होते हुए भी यदि अव्यवस्थित पडी हो, तो उन्हें रत्नावली हार नहीं कहा जाता, किन्तु एक सूत्र में पिरौने से ही रत्नावली हार कहा जाता है ।—१

प्रत्येक नयेषु मिथ्यात्वेऽपि समुदितेषु सम्यक्त्वस्य रत्नावली दृष्टान्तेन समर्थनम्

इसी विषय को एक अन्य दृष्टान्त के द्वारा समझिए । जैसे बीज शुद्ध हो, खेत भी उपजाऊ हो, मौसम बीज बोने की हो, कृषिक सुनिपुण हो, खाद भी डाली जाय, समय-पर वृष्टि भी होती रहे, वायु भी ठीक हो, सूर्य और चन्द्र का शीतोष्ण योग भी हो, भाग्य भी साथ दे रहा हो, तो इन सभी के योग से हर प्रकार की फसल बहुत अच्छी हो सकती है । यदि इनमे से एक कारण भी कम हो जाय तो कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता ।

जैसे समस्त असाधारण कारण मिलकर व्यापारवान् होने से ही कार्य सिद्ध होता है, वैसे ही जो विचार किसी एक नय से ओत-प्रोत है, किन्तु अन्य छह नयों का उसमें निषेध नहीं है, अर्थात्—कोई भी नय दूसरे नयों से निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सभी नय परस्पर सापेक्ष हैं, तो सत्य सिद्ध होता है । जो विचार सप्त नयों की परख में ठीक उतर गया, वह विचार सिद्धान्त के रूप में परिणत हो जाता है ।

सर्वे नया अपि विरोधभृतो मिथस्ते ।

सम्भूय साधु-समय भगवन् । भजन्ते ॥

“भूपा इव प्रतिभटा भुवि सार्वभौम-

पादाम्बुज प्रधन-युक्ति-पराजिता द्राक् ॥” —१

भगवन् । जिस प्रकार परस्पर विरोध रखने वाले राजा लोग, चक्रवर्ती के चरण सरोज की नत-मस्तक होकर सेवा करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, उसी प्रकार ये सातो

नय परस्पर विरोध धारण करते हुए भी जब आपके पवित्र शासन की एकीभूत होकर सेवा करते हैं, तब, ये सभी शान्त भाव को धारण कर लेते हैं। क्योंकि आपकी वाणी अनेकान्त का द्योतक “स्यात्” अव्यय पद से अलकृत है, जो परस्पर विरोध को मिटाने वाली है।

अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़कर राजागण चक्रवर्ती के चरण कमलो की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सातो नय आपके शासन की सेवा करते हैं, अर्थात्—सातो नयोका समूह आपका मुख्य सिद्धान्त है जोकि जिज्ञासुओं और साधकों के लिये मार्ग-प्रदर्शक है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने द्वात्रिंशिका स्तोत्र में कहा है —

“उदधाविव सर्व-सिन्धवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ । दृष्टय ।

न च तासु भवान् प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरत्स्ववोदधि ।”

हे नाथ ! जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं, वैसे ही विश्व के समस्त दर्शन आपके शासन में आकर मिल जाते हैं। जैसे भिन्न-भिन्न नदियों में समुद्र नहीं दिखाई देता, वैसे ही भिन्न-भिन्न दर्शनो में आप दिखाई नहीं देते, अर्थात्—आपके शासन में सभी दर्शनो का समावेश हो जाता है। परन्तु आपका दर्शन सभी दर्शनो में समाविष्ट नहीं हो सकता। यह आपके दर्शन की विशेषता है।

वर्गीकरण

(१) आदि के चार नय द्व्यर्थिक हैं, और पीछे के

तीन नय पर्यायार्थिक । यह पक्ष आगम का है ।

(२) आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के मत में व्यवहार नय तक द्रव्यार्थिक है, और पीछे के चार नय पर्यायार्थिक कहलाते हैं ।

(३) पहला नय दूसरे नय से अधिक विषय वाला है, इसी क्रम से उत्तरवर्ती नय की अपेक्षा पूर्ववर्ती नय अधिक अधिक विषय वाला है ।

(४) पहले चार नय अर्थ-प्रधान हैं, और शेष तीन नय शब्द प्रधान ।

(५) पहले चार नय चारों निक्षेपों को स्वीकार करते हैं, शेष तीन नय केवल भाव-निक्षेप को ही स्वीकार करते हैं । इनकी मान्यता है कि पहले तीन निक्षेप अवस्तु है, केवल भाव ही वस्तु है ।

(६) पहले नय में दूसरे नय अधिक विशुद्ध है । इसी क्रम से मातो ही नय उत्तरोत्तर विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम है ।

(७) नैगम से लेकर व्यवहार-नय पर्यन्त व्यवहार नय है । और ऋजुसूत्र से निश्चय नय का आरम्भ होता है, जो एवभूत तक है, यह मत आचार्य सिद्धसेन का है ।

(८) नैगम से ऋजुसूत्र तक व्यवहार-नय है, शब्द से एवभूत तक निश्चय-नय है, यह मान्यता आगम की है ।



सम्यक् श्रुतस्य मिथ्यात्वं,
मिथ्यादृष्टि-परिग्रहतात् ।
मिथ्याश्रुतस्य सम्यक्त्वं ;
सन्यग् दृष्टिग्रहादतः ॥

— नयामृत तरंगिणी

अर्थात् मिथ्या दृष्टि द्वारा परिग्रहीत सम्यक् श्रुत भी मिथ्यात्व मे परिणत हो जाता है, और सम्यग् दृष्टि के द्वारा परिग्रहीत मिथ्या श्रुत भी सम्यक्त्व मे परिणत हो जाता है ।

प
रि
शि
षे

ग्रन्थ हुआ सम्पूर्ण, किन्तु कुछ
फिर भी कहना बाकी है ।
यह परिशिष्ट चूलिका इसमें,
शिष्ट सत्य की भाँकी है ॥

दृष्टान्त-त्रयी

१—प्रदेश-दृष्टान्त

(१) नैगमनय—यह नय छहो द्रव्यो के प्रदेश मानता है, जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश, स्कन्ध-प्रदेश और देश-प्रदेश ।

(२) संग्रह नय—इस नय की मान्यता है कि पाँच के प्रदेश हो सकते हैं, छह के नहीं, क्योंकि देश-प्रदेश तो स्कन्ध का ही अवयव है । जैसे किसी सेठ के दास ने एक खर खरीदा, तब सेठ ने कहा—दास भी मेरा है और खर भी मेरा । इस न्याय से 'दास' और 'खर' दोनो सेठ के ही हुए । इसी प्रकार स्कन्ध से देश अपना कोई भिन्न अस्तित्व नहीं रखता, अतः सिद्ध हुआ कि—प्रदेश पाँच के है ।

(३) व्यवहार नय—यह नय संग्रह-नय से कहता है, कि पाँचो के प्रदेश हैं—ऐसा मत कहो, क्योंकि धन, धान्य, सुवर्ण, एव चाँदी —ये चारो द्रव्य पाँचों धनिक मित्रों के हैं', इस वाक्य से कई अर्थ ध्वनित होते हैं । जैसे कि

इन चारो द्रव्यो मे पाँचो का साभा है, या ये चारो द्रव्य अलग-अलग पाँचो के पास हैं । अतः यह कहना चाहिए कि प्रदेश पांच प्रकार के होते हैं, अर्थात्—धर्म के प्रदेश, अधर्म के प्रदेश आदि ।

(४) ऋजुसूत्र नय—यह नय व्यवहार-नय से कहता है—‘ऐसा मत कहो कि प्रदेश पाँच प्रकार के हैं, क्योंकि उक्त कथन से यह भी आशय निकल सकता है कि पाँचो के प्रदेश पाँच-पाँच प्रकार के हैं । इस तरह कहने से तो पच्चीस प्रदेशो की सभावना हो सकती है । अतः यह कहना चाहिए कि प्रदेशो की भजना है । जैसे कि कथञ्चित् धर्म-प्रदेश, कथञ्चित् अधर्म-प्रदेश, कथञ्चित् आकाश-प्रदेश, यावत् कथञ्चित् स्कन्ध-प्रदेश ।

(५) शब्द-नय—यह नय ऋजुसूत्र से कहता है—‘आपके कहने से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो प्रदेश धर्म का है, वह कदाचित् अधर्म का भी हो सकता है । और जो प्रदेश अधर्म का है, वह कभी आकाश का भी हो सकता है । परन्तु ऐसा कहने से अनवस्था दोष उपस्थित हो जाएगा । अतः इसके स्थान पर इस प्रकार कहना चाहिए—“धम्मे पएसे”—धर्म-प्रदेश , अर्थात्—‘धर्मात्मक प्रदेश ।

प्रश्न—यह धर्म-प्रदेश अखण्ड धर्मास्तिकाय से भिन्न है, या अभिन्न ?

उत्तर—‘से पएसे धम्मे’, अर्थात् धर्म सप्रदेश धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है । धर्म-प्रदेश सकल धर्मास्तिकाय

से भिन्न नहीं है; अतः धर्म-प्रदेश धर्मात्मक ही है ।

प्रश्न—जैसे जीव के एक प्रदेश को भी 'जीव' कहते हैं, वैसे ही धर्म के एक प्रदेश को 'धर्म' क्यों नहीं कहा जाता ?

उत्तर—एक जीवास्तिकाय में जीव-द्रव्य परस्पर भिन्न तथा अनन्त है । वह प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय एक देश होने से जीवात्मक है । ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि नो-जीव में 'नो' गन्ध देशवाची है, अर्थात्—एक जीव सकल जीवास्तिकाय का एक देश है । जो एक जीवद्रव्यात्मक प्रदेश है, वह अनन्त जीवद्रव्यात्मक समस्त जीवास्तिकाय में कैसे रह सकता है ? इसी प्रकार नो-स्कन्ध को भी समझ लेना । क्योंकि स्कन्ध द्रव्यों के अनन्त होने से एक देशवर्ती को 'नो-स्कन्ध' कहते हैं ।

(६) समभिरूढ-नय—यह नय शब्द-नय को संबोधित करते हुए कहता है कि—तुम्हारा कथन भी पूर्ण सत्य नहीं है । क्योंकि 'धर्म-प्रदेश' इस समस्त पद में दो समासों की सभावना हो सकती है—तत्पुरुष और कर्म-धारय । यदि 'धर्म' शब्द से सप्तम्यन्त पद ग्रहण किया जाय, तो 'धर्म-प्रदेश,' यह वाक्य सप्तमी तत्पुरुष का आरम्भक बन जाता है । जैसे—'वने हस्तीति वनहस्ती,' इस पद में भेद-वृत्ति है । अर्थात्—'वन में' यह पदार्थ भिन्न है, और 'हस्ती' यह पदार्थ भिन्न । जैसे—'वनहस्ती,' पद में भेद स्पष्टतया मालूम होता है, वैसे ही 'धर्म-प्रदेश' पद से भी यही अर्थ सिद्ध होता है कि—'धर्म' में प्रदेश है । यहाँ धर्म 'आधारः' है, और प्रदेश 'आधेय' । आधार और आधेय में

‘कुण्डे वदराणि’ भेद के समान अनुभव-सिद्ध है । यदि यह कहो कि—अभेद मे भी सप्तमी देखी जाती है । जैसे—‘घटे रूप, कण्ठे कालः, धर्मं प्रदेशः’—घट मे ‘रूप,’ कण्ठ मे ‘कालापन’ एव धर्म मे ‘प्रदेश’ । तब तो यहाँ भेद मे सप्तमी है या अभेद मे ? यह दोषापत्ति उपस्थित हो जाएगी ।

यदि कहो कि—धर्म-प्रदेश मे ‘कर्म धारय’ समास है, तो यह ठीक न होगा । क्योंकि कर्मधारय उसे कहते है, जो समानाधिकरण हो । जैसे—नीलच तद् उत्पलम्—‘नीलोत्पलम्’ यहाँ विगेष्य विशेषण का अधिकरण समास है । अस्तु ‘धर्मश्चासौ प्रदेशश्च धर्म-प्रदेश’ । यहाँ ‘धर्म’ और ‘प्रदेश’—दोनों प्रथमा है, तो इनमे कौन-सा पद विगेष्य है और कौन-सा विशेषण ? अत यह ‘कर्मधारय समास’ भी नहीं हो सकता । इसलिए इसे ‘धर्म-प्रदेश’ न कहो, क्योंकि ऐसा कहना दोषपूर्ण है ।

‘धर्मश्च सप्रदेशश्च-इति धर्म-सप्रदेश’ । इन दो पदों में समानाधिकरण हो जाने से ‘कर्म-धारय’ समास बना । इस प्रकार सप्तमी आशका के अभाव से ‘तत्पुरुष समास’ की निवृत्ति हुई ।

प्रश्न—‘यह प्रदेश समानाधिकरण होने से सकल अर्थात्—अखण्ड धर्मास्तिकाय से अव्यतिरिक्त—अभिन्न है, या एक देश-वृत्ति है ? जैसे कि जीवास्तिकाय का एक देश-वृत्ति जीव-प्रदेश ।

उत्तर—इसके समाधान मे ‘समभिखुड कहता है कि ‘से पएसे धम्मे’—सप्रदेशो धर्मः, अर्थात्—अखण्ड धर्मास्ति-

काय सप्रदेश कहलाता है, एक प्रदेश का धर्मास्तिकाय नहीं कहते हैं ।

(७) एवंभूत-तृतीय—यह तृतीय समभिरूढ-तृतीय को इंगित करते हुए कहता है कि—‘सप्रदेशो धर्म’, अर्थात्—‘धर्मास्तिकाय सप्रदेश’ है, यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं है । यदि तुम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हो, तो तुम्हें यह भी मानना चाहिए कि ये सभी देश-प्रदेश की कल्पना से रहित हैं, कृत्स्न और परिपूर्ण हैं । एक होने से निरवशेष, निरवयव तथा एक है । अतः देश-प्रदेश मेरे सिद्धान्त में तो अवस्तु ही है ।

इसके साथ-साथ एवंभूत-तृतीय, समभिरूढ-तृतीय से यह भी पूछता है कि—प्रदेश और प्रदेशी में भेद है या अभेद ? यदि पहला पक्ष स्वीकार करोगे, तो भेद की उपलब्धि नहीं होती । यदि अभेद कहोगे, तो ‘धर्म-प्रदेश’—इन दोनों शब्दों का एक अर्थ होने से इन शब्दों को पर्यायता ही प्राप्त हुई । और दो पर्याय-वाचक शब्दों का एक साथ उच्चारण नहीं हो सकता, केवल एक शब्द का ही उच्चारण हो सकता है, दूसरे की व्यर्थता तो स्वयं सिद्ध है । अतः देश-प्रदेश रहित वस्तु को ही ‘धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल तथा जीव’ कहते हैं ।

२—प्रस्थक दृष्टान्त

‘प्रस्थक’—धान्य मापने के एक भाजन-विशेष को कहते हैं, जो काष्ठमय होता है ।

एक बढई कुल्हाड़ी लेकर अटवी की ओर जा रहा था । उसे देखकर किसी ने पूछा कि—श्रीमान् जी, कहाँ जा रहे हैं ?

उसने उत्तर दिया—मैं प्रस्थक लेने जा रहा हूँ ।

काष्ठ छेदते समय भी किसी ने उससे पूछा—क्या छेद रहे हो ?

बढई ने उत्तर दिया—मैं प्रस्थक छेद रहा हूँ ।

इसके बाद प्रश्न-कर्त्ता ने पूछा—यह क्या बना रहे हो ?

बढई उत्तर देता है—मैं प्रस्थक बना रहा हूँ ।

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर की दृष्टि से बढई ने पहला उत्तर 'अविशुद्ध नैगम' के अनुसार दिया और अन्तिम उत्तर 'विशुद्ध नैगम' से दिया है ।

इस सम्बन्ध में सग्रह-नय यह मानता है कि—जब प्रस्थक को धान्य की राशि पर धान्य मापने के लिए रखा जाए, तभी उसे 'प्रस्थक' कहना चाहिए । परन्तु व्यवहार-नय यह मानता है कि—जब वह 'प्रस्थक' कहीं घर में रखा हो या अन्यत्र कहीं भी, अर्थात्—उससे काम नहीं लिया जा रहा हो, तब भी लोक-व्यवहार से उसे 'प्रस्थक' ही कहेंगे ।

अन्त में ऋजुसूत्र-नय बोलता है कि—प्रस्थक को तो 'प्रस्थक' कहते ही हैं, किन्तु जो धान्य प्रस्थक से मापा गया है, उसे भी 'प्रस्थक' कहते हैं । जैसे पसेरी को तो 'पसेरी' कहते ही हैं, किन्तु उस पसेरी से तुले हुए धान्य को भी 'पसेरी' कह सकते हैं, क्योंकि तुलाई के लिए वह भी एक माप है । इसी प्रकार विवक्षित भाजन और उससे मापा

हुआ धान्य, दोनो ही 'प्रस्थक' कहलाते है ।

अग्रिम तीन शब्द-नयो की यह सयुक्त मान्यता है—प्रस्थक के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति 'प्रस्थक' कहलाता है । और जिसका उपयोग 'प्रस्थक' मे लगा हुआ है, वह व्यक्ति उतने समय तक 'प्रस्थक' कहलाता है, क्योकि उपयोग ही जीव का असाधारण लक्षण हे । ये तीन नय तो केवल भाव-निक्षेप ही मानते हैं । अतः इन्हे 'भाव-प्रधान नय' भी कहते है । भाव-प्रधान होने से 'भाव-प्रस्थक' को ही चाहते है । भाव-प्रस्थक उपयोग रूप ही होता है, अर्थात्—जिस विषय मे उपयोग परिणत हो रहा है, उससे भिन्न जीव का कोई अस्तित्व नही है । जब उपयोग भाव-प्रस्थक मे लगा हुआ होगा, तभी कर्त्ता 'प्रस्थक' बना सकता है, अन्यथा नही ।

उनका यह भी कहना है कि—'सर्वं वस्तु स्वात्मन्येव वर्तते' ; अर्थात्—समस्त पदार्थ आत्मा मे ही है । जिसका जिस समय और जिस वस्तु मे उपयोग लगा हुआ है, वह उस समय उसी वस्तु के रूप मे माना जाता है, क्योकि अन्य वस्तु का आधार अन्य वस्तु नही हो सकता । साथ ही प्रस्थक निश्चयात्मक मान है, और निश्चय ज्ञान रूप होता है, अतः वह ज्ञान जड-रूप काष्ठ के भाजन मे कैसे अनुभूत हो सकता है ? क्योकि 'चेतन' और 'अचेतन'; इन दोनो का अधिकरण समान नही हो सकता । अतः प्रस्थक मे उपयुक्त आत्मा भी 'प्रस्थक' ही कहलाता है । इसी प्रकार आगम मे उपयुक्त आत्मा भी 'आगम' कहलाता है, और चारित्र मे उपयुक्त—चारित्रात्मा, ज्ञान मे उपयुक्त—ज्ञानात्मा,

और दर्शन मे उपयुक्त—दर्शनात्मा ।-

३—वसति-दृष्टान्त

नैगम-नय के तीन भेद हैं—(क) अविशुद्ध नैगम, (ख) विशुद्धाविशुद्ध नैगम, और (ग) विशुद्ध नैगम । इन तीनों को स्पष्टतया समझने के लिए आगम मे वसति को दृष्टान्त दिया गया है । जैसे—

किसी व्यक्ति ने किसी आगन्तुक मनुष्य से पूछा—आप कहाँ रहते है ?

आगन्तुक ने उत्तर दिया—श्रीमान् 'मैं लोक मे रहता हूँ, प्रश्न—लोक तो वस्तुतः तीन ही है—ऊर्ध्व, पाताल तथा तिर्यक् । क्या, आप तीनों मे रहते है ?

उत्तर—मैं तिर्यक् लोक मे रहता हूँ ।

प्रश्न—तिरछा लोक तो जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक असख्यात द्वीप समुद्र रूप है । क्या, आप सब मे रहते है ?

उत्तर—मैं जम्बू-द्वीप मे रहता हूँ ।

प्रश्न—जम्बू-द्वीप मे तो दस क्षेत्र है, जैसे भरत, ऐरावत हैमवत, इंरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यक्वर्ष, देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह । तो क्या, आप इन दसो क्षेत्रों मे रहते है ?

उत्तर—मैं भरत-क्षेत्र मे रहना हूँ ,

प्रश्न—भरत-क्षेत्र भी तो दो विभागों मे विभक्त है, जैसे कि—दक्षिणाहर्ष, और उत्तराहर्ष । तो क्या, आप दोनों

विभागो मे रहते हैं ?

उत्तर—मैं दक्षिणाद्ध में रहता हूँ ।

प्रश्न—दक्षिणाद्ध भरत मे भी तीन खण्ड है । तो क्या, आप तीनों खण्डों मे रहते है ?

उत्तर—मैं मध्य खण्ड मे रहता हूँ ।

प्रश्न—मध्य खण्ड मे भी प्रनेक गाम, नगर, और नगरियाँ है, तो क्या, आप उन साँ मे रहते है ?

उत्तर—मैं पाटलीपुत्र मे रहता है ।

प्रश्न—पाटलीपुत्र नगर मे ता हजारों घर है, तो क्या आप उन नव मे रहने है ?

उत्तर—मैं देवदत्त के घर मे रहता हूँ ।

प्रश्न—देवदत्त का घर तीन मजिल का है । तो क्या, आप तीनों मजिलो मे रहते है ?

उत्तर—मैं बीच की मजिल मे रहता हूँ ।

उपयुक्त प्रश्नोत्तर मे सबसे पहला उत्तर 'अविगुद्ध नैगम' मे दिया है । अन्तिम उत्तर 'विशुद्ध नैगम' से, और गेप सभी उत्तर 'विगुद्धाविगुद्ध नैगम मे समझने चाहिए' । क्योंकि 'पूर्व' की अपेक्षा 'पर' नैगम विगुद्ध है, और 'पर' की अपेक्षा 'पूर्व' नैगम प्रविगुद्ध है । इसी कारण इसे 'विशुद्धा-विगुद्ध नैगम' कहते है ।

सग्रह नयानुयायी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इमरे मे व्यापक रूप से नही रह सकता, अत ऐसा कहना चाहिए कि—मैं अपनी शय्या मे रहता हूँ !

इस पर व्यवहार नयानुसारी कहता है कि इस विषय

मैं जो नैगमोक्त है, वह मेरे सम्मत है । जैसे—मकान मालिक जिस कमरे में रहता हो, व्यवहार से यही कहना पड़ता है कि—वह अमुक नम्बर वाले कमरे में रहता है । चाहे वह कार्यवश ग्रामादि में ही गया हुआ हो, फिर भी पूछने वाले को यही उत्तर दिया जाता है—इस कमरे में रहता है । पोस्टमैन भी कार्ड, लिफाफा आदि किवाड़ों के छिद्र से अन्दर डाल देता है, और बाहर से मिलने वाले भी वही पहुँचते हैं । अथवा—

शय्या में जितने स्थान को शरीर रोकता है, कोई भी व्यक्ति वस्तुतः उतने ही स्थान में रह सकता है । शय्या का शेष स्थान खाली ही पड़ा रहता है ।

इस सम्बन्ध में ऋजुसूत्र-नय की यह मान्यता है कि—आत्मा जिन आकाश प्रदेशों का अवगाहन कर रहा है, उन्हीं प्रदेशों में वह रह रहा है ।

गव्द, समभिरूढ, और एवभूत—इन तीनों को 'शब्द-नय' कहते हैं । इन तीनों का मन्तव्य है कि—समस्त पदार्थ आत्म-भाव में अवस्थित हैं, और आत्मा अपने में अवस्थित है, किसी अन्य द्रव्य में नहीं ।



पञ्च संवर

अत्यन्त-निशित-धारं,
दुराशदं जिन-वरस्य नय-चक्रम् ।
खण्डयति धार्यमाणं ;
मूर्धानं भटिति दुर्विदग्धानाम् ॥

— आचार्य अमृतचन्द्र

“जिन भगवान् के नय-चक्र को समझना सरल नहीं है, क्योंकि वह अत्यन्त तीक्ष्ण धार वाला है। जो अज्ञ-जन बिना समझे-बूझे ही इसको धारण करने का दुस्साहस करेगा, वह अपना हित साधने में सर्वथा असफल रहेगा।”

अहिंसा

(१) नैगम-नय

नैगम-नय की दृष्टि से अहिंसा के निम्नलिखित सात प्रकार हैं—

(क) मोह-जन्य अहिंसा—मजातीय को न मारना, और-आपत्ति काल में उसकी रक्षा करना ।

(ख) लोभ-जन्य अहिंसा—लोभ के वशीभूत होकर किसी को न मारना, या किसी की रक्षा करना ।

(ग) काम-जन्य अहिंसा—वानना के वशीभूत होकर किसी को न मारना, या उसकी रक्षा करना ।

(घ) नीति-जन्य अहिंसा—राज-दण्ड के भय से किसी को न मारना, या किसी की रक्षा करना ।

(ङ) क्षमा-जन्य अहिंसा—क्षमा माँगने के पश्चात् अपराधी को न मारना, या उसकी रक्षा करना ।

(च) शरणागत-जन्य अहिंसा—शरण में आए हुए की रक्षा करना या शरणागत को न मारना ।

(छ) दौर्बल्य-जन्य अहिंसा—प्रत्येक अवस्था में अपने आप को दुर्बल जानकर सशक्त निरपराधी, या अपराधी को न मारना ।

(२) संग्रह-नय

संग्रह-नय की दृष्टि से अहिंसा के निम्नलिखित दो भाव हैं—

(क) मैत्री भाव—त्रस जीवों की रक्षा के निमित्त सहानुभूति एवं समवेदन प्रकट करना, और आततायियों तथा गिकारियों से किसी सतप्त प्राणी की रक्षा करना ।

(ख) अनुकम्पा भाव—अनाथालय, वृद्धालय, वनिता आश्रम, चिकित्सालय खोलना, तथा—गौशाला, धर्मशाला, पिजरापोल, आदि जन-हिताय एवं पशु-पक्षी हिताय सस्थाओं का सुव्यवस्थित संचालन करना । यथाशक्य अपना सुख छोड़ कर दूसरे दुखी प्राणियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, तथा—अपना तन-मन-धन अनुकम्पा-भाव से अर्पण करना ही सच्ची अहिंसा है । अहिंसा की यह सक्षिप्त परिभाषा 'संग्रह-नय' की दृष्टि से समझना चाहिए ।

(३) व्यवहार-नय

स्थूल प्राणातिपात का त्याग करना भी अहिंसा है, अर्थात्—चलने-फिरने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पचेन्द्रिय, इन जीवों को निरपराध मान कर निश्चित सकल्प के द्वारा न मारना ही सच्ची अहिंसा है । इस अहिंसा

का साधक यदि गृहस्थ होता है, तो वह गृहस्थावस्था में रहते हुए भी विश्व-मैत्री और विश्व-प्रेम को अपनाते का यथाशक्य प्रयास कर सकता है ।

माथ ही उमकी यह मान्यता भी रहती है कि—किसी भी जीव को सताना, दम्भ करना, धोखा देना, चुगली करना, निन्दा करना, गाली देना, किसी का बुरा चाहना, तथा किसी पर कलक चढाना आदि भी हिंसा है । दबे हुए कलह को उखाडना, किसी पर अन्याय होते देखकर खुश होना, अथवा शक्ति होने पर भी अन्याय को न रोकना भी हिंसा है । धूर्तता से किसी को वचन-वद्ध करना, या किसी को बुरी तरह बाँधना भी हिंसा है । क्रोधवश किसी को बुरी तरह पीटकर घायल करना या किसी भी जीव का कोई अंग-उपाङ्ग काट डालना भी हिंसा है ।

किसी मजदूर पर, किसी पशु पर, या किसी कुली पर अधिक भार लादना भी हिंसा है । किसी पर कर्जे का अधिक भार लादना भी हिंसा है । कन्या-पक्ष पर अधिक दहेज तथा बहु-सख्यक वर-यात्री ले जाने आदि का अधिक भार लादना भी हिंसा है । अपने आश्रित मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जो भी हों, उन्हें भूखे-प्यासे रखना, दास-दासियों को समय पर खाने-पीने की सुविधा न देना, और श्रमजीवी को समय पर न्यायोचित पारिश्रमिक न देना भी हिंसा है । शक्ति होने पर भी अन्याय को न रोकना और आलस्य में पडे रहना भी हिंसा है । बडो की विनय न करना और छोटे से प्रेम न करना भी हिंसा है । इन सभी से यथाशक्ति वचना ही

सच्ची अहिंसा है।

(४) ऋजुसूत्र-नय

तीन करण और तीन योग से हिंसा का सर्वथा त्याग करने वाले साधक, फिर भले ही वह प्राणी सूक्ष्म हो अथवा वादर, त्रस हो या स्थावर, किसी भी प्राणी-भूत जीव-सत्व की हिंसा न तो स्वयं अपने मन-वचन-काय के द्वारा करनी, न दूसरे से ही करवानी, और साथ ही हिंसा करने वाले का समर्थन भी मन-वचन-काय से न करना, ऐसी पवित्र विचार-धारा या ऐसे आदर्श जीवन को ही वास्तविक अहिंसा कहते हैं।

निषेध-रूप अहिंसा का पालन व्यापक रूप से किया जा सकता है, और विधि-रूप अहिंसा का पालन व्याप्य रूप से। अतः अहिंसा महाव्रत के धारक को चाहिए कि—वह उपयोग पूर्वक गमनागमन करे। यतना से किया जाने वाला गमनागमन, सकोचन एव प्रसारण, आसन एव शयन, उत्थान एव निपोदन आदि, क्रिया करने से पट् काय की रक्षा होती है और उनकी रक्षा होने से आत्मा भी पापों से सर्वथा रक्षित हो जाती है।

मन से किसी भी पापकारी, अधर्मकारी, वध, बन्धन, क्लेश-जनक एव भय-जनक तथा क्रूरता एव निर्दयता के दुष्परिणाम प्रदर्शित न करना, अर्थात्—सभी प्रकार के पापों से मन को सर्वथा वग मे करना, और किसी भी पाप में मन को प्रवृत्त न करना ही सच्ची अहिंसा है।

किसी भी पाप-कर्म में प्राणी को प्रवृत्त न करना ही

वाणी का वास्तविक समय है, जिसे वचन-गुप्ति भी कहते हैं। वस्तुतः निरवद्य वाणी ही अहिंसा से श्रोत-प्रोत होती है।

१६ प्रकार के उद्गम दोष, १६ प्रकार के उत्पादन दोष, १० प्रकार के एषणा दोष तथा ५ प्रकार के माण्डले के दोष—इन ४७ दोषों से सर्वथा मुक्त होकर और देव-भाल कर प्रकाश-युक्त स्थान में ही आहार करे। और वह आहार भी शरीर पुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि समय यात्रा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म-चिन्तन के लिए, सेवा कार्य के लिए, ईर्या-समिति ओघन के लिए, तथा क्षुधा वेदना की शान्ति के लिए ही आहार करना चाहिए।

पीठ, फलक, गय्या, सथारा, वस्त्र, पात्र, कवल, प्रावरण, रजोहरण, चोलपट्टक, मुख-वस्त्रिका, आदि उपकरण समय निर्वाह के लिए ही रखना चाहिए। और इन उपकरणों को भी मर्यादा से अधिक ग्रहण न करना चाहिए। इन उपकरणों में मूर्च्छा-भाव न रखे, उनकी प्रतिलेखना व प्रमार्जना यतना पूर्वक प्रतिदिन उभय समय करे, अर्थात्—प्रत्येक उपकरण को यतना से ही ग्रहण करे, यतना से ही रखे, और यतना से ही वापिस करे, तभी वास्तविक अहिंसा का ठीक रूप में पालन हो सकता है। इस प्रकार अहिंसा महाव्रत की परिभाषा, ऋजुसूत्र-नय की अपेक्षा से है—

(५) शब्द-नय

यह ठीक है कि अहिंसा का पूर्णतया पालन केवल विरक्त ही कर सकता है, अन्य नहीं। और वह भी अप्रमत्त

अवस्था मे ही सम्भव है, क्योकि अप्रमत्त अवस्था ही वास्तविक अहिंसा है। इस सम्बन्ध मे प्रश्न-व्याकरण सूत्र मे अहिंसा के साठ नाम भगवान् ने प्रतिपादन किये है, जिनमे अप्रमत्त भी उसी का अपर नाम है। जहाँ-जहाँ प्रमत्तता है, वहाँ बहुत से सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। और जहाँ आश्रव है, वहाँ कर्म-बन्धन चालू रहता है। अत अप्रमत्तता ही वास्तविक अहिंसा है।

(६) समभिरूढ-नय

अप्रमत्त गुण-स्थानो मे तो मोहनीय कर्म का उदय भी रहता है। और जहाँ मोहनीय का उदय है, वहाँ अध्यवसाय विशुद्ध नही होते। अध्यवसाय की विशुद्धि के बिना अहिंसा का पालन विशुद्ध नही होता। अत ऐसा कहना चाहिए कि सच्ची अहिंसा तो वीतराग अवस्था मे ही है, और यथाख्यात चारित्र मे है।

(७) एवंभूत-नय

वीतराग अवस्था मे भी वचन-योग और काय-योग रहता है। और जहाँ योग है, वहाँ ईर्या-पथिक क्रिया अनिवार्य है। अत. ऐसा कहना चाहिए कि—सच्ची अहिंसा अयोगी केवली मे है, अलेशी मे है, और अक्रिय मे है, क्योकि वही अवस्था पूर्णतया अवन्धक है।

सत्य

(१) नैगम-नय

ससार भर में जितने भी मत-मतान्तर हैं, उनमें यत् किंचित् सत्य अवश्य है। सत्य के बिना किसी भी मत का आविष्कार नहीं हो सकता, फिर चाहे वह सत्य सिद्धान्त रूप में हो, उपदेश रूप में हो, या इतिहास रूप में ही क्यों न हो। सत्य बोलने के लिए सभी मत प्रवर्तकों ने लेखों के द्वारा और भाषणों के द्वारा आज्ञा प्रदान की है। अपने अनुयायी जनो के हितार्थ सत्य की शिक्षाएँ दी जाती हैं और सत्यवादियों के लिए पारितोषिक भी दिये जाते हैं। सत्य का समर्थन सभी मतानुयायी करते हैं, सभी मत-मतान्तरों के ग्रन्थों में सत्य की महिमा, सत्य के गीत, सत्य की स्तुति, सत्य की शिक्षाएँ, सत्य की आराधना, सत्य की पूजा, और सत्य का सहर्ष समर्थन आदि के लिए पुरजोर आज्ञा प्रदान की गई है।

धार्मिक सभ के अतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र में भी सत्य का स्थान बहुत ऊँचा है। सभी राज्याधिकारियों और कर्मचा-

रियो को सत्य बोलने के लिए विशेष रूप से सतर्क किया जाता है । असत्यवादियों को दण्डित किया जाता है और सत्य बोलने वालों को पदक दिया जाता है ।

व्यावसायिक क्षेत्र में भी सत्य का बहुत सम्मान किया जाता है । सत्य के द्वारा या सत्य की ओट में भूठ के द्वारा निस्सकोच व्यापार किया जाता है । खालिस भूठ पर रहकर कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर साइनबोर्ड लगाए, जिस पर लिखा हो—“मेरी दुकान पर भूठ बोलकर व्यापार किया जाता है”, फिर देखना कितने ग्राहक आएंगे । जब सत्य की ओट में रहकर भूठ बोलते हैं, तो उस समय सत्य अपने प्रभाव से भूठ को भी मीठा बना देता है । परन्तु भूठ स्वयं तो विषैला ही है, अतः विष में मीठा मिला देने से विष अमृत नहीं हो सकता । वस्तुतः माधुर्य अन्य वस्तु है, और विपत्त्व उससे भिन्न दूसरी वस्तु । निस्सदेह समन्वयवादी भी इसी नय का सहारा लेकर सर्व-धर्म-सम्मेलन का आयोजन करते हैं । इस नय के प्रवर्तक सर्वप्रिय और प्रतिष्ठित बन जाते हैं । उनका कहना यह होता है कि—सभी धर्मानुयायी मेरे हैं, और मैं सब का हूँ । मुझ में और इन्हों में सत्याश की दृष्टि से कोई भेद नहीं है ।

(२) संग्रह-नय

जो कोई व्यक्ति धन की इच्छा से, किसी को प्रसन्न करने की इच्छा से, मंत्र सिद्ध करने की इच्छा से, वरदान

की इच्छा से, सर्वस्व नष्ट होने की आगका से, मारण तथा उच्चाटन के लिए, विद्या-सिद्धि के लिए हिंसाकारी, अनर्थकारी कलहकारी वैर-वर्द्धक सत्य बोलने से या अन्य किसी भी सासारिक उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जो भी सत्य बोला जाता है, तो वह सत्य किसी को भी ससार से पार करने में विलकुल असमर्थ है। उससे आत्मोन्नति और आत्म-विकास नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसे सत्य का कोई महत्त्व नहीं है, ऐसे सत्य की आराधना मिथ्या-दृष्टि भी करते हैं, फिर भी आगमकारों ने उसे परलोक का आराधक नहीं माना।

यद्यपि वह सत्य भी बोलता है, तदपि वह वचन असत्य ही है। क्योंकि मिथ्यात्व का अर्थ है—असत्यपन, अर्थात्—जिसकी दृष्टि ही असत्य है, उसकी भाषा में सच्चाई कहाँ से आए ? उसके मन और कर्म में भी सत्य कहाँ से आए ? क्योंकि जिसका रक्त अत्यन्त विकृत हो रहा हो, उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। मिथ्यात्व का उदय होने पर सत्य भी मिथ्यात्व रूप में परिणत हो जाता है। जैसे घने अँधेरे में लाल, पीली और सफेद रंग की वस्तु भी नजर नहीं आती, वैसे ही मिथ्यात्व के उदय भाव में सत्य

अतः ऐसा कहना युक्ति-संगत होगा कि सम्यक् दृष्टित्व परमार्थ रूप से सत्य है, और सम्यक्दृष्टि ही सम्यग्वादी हो सकता है, मिथ्या-दृष्टि नहीं। यह कथन सग्रह-नय की दृष्टि से युक्ति-युक्त है।

(३) व्यवहार-नय

जिस व्यक्ति का जीवन राज-नीति और धर्म-नीति से मिश्रित हो, और जिसका गृहस्थ जीवन राज-नीति तथा धर्म-नीति की दृष्टि से आदर्शमय हो, अर्थात्—जो कन्या के लिए, पशु के लिए तथा भूमि के लिए झूठ नहीं बोलता, किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, किसी पर झूठा आरोप नहीं चढ़ाता, किसी की रहस्यपूर्ण वार्ता का भडाफोड नहीं करता, अपनी स्त्री की गुप्त-वार्ता प्रकाशित नहीं करता, झूठ बोलने का उपदेश नहीं देता, खोटा लेख नहीं लिखता, झूठे दस्तावेज नहीं बनाता, नशा नहीं करता, कुसंगति में नहीं रहता, खेल-तमांगे नहीं देखता, अश्लील बातें नहीं करता, गाली नहीं देता, गप्पे नहीं हाँकता, विकथा नहीं करता, असभ्य एवं कठोर वचन नहीं बोलता, निन्दा और चुगली नहीं करता, मौख्य वचन भी नहीं बोलता, अभक्ष्य सेवन नहीं करता, और जो पहले तोले फिर बोले, वितराग वाणी में सदा अनुरक्त रहे, नियमित स्वाध्याय करे, भगवान् का स्मरण करे, विवेक की ज्योति को जागृत करे, निरतिचार प्रतिज्ञा पाले, वास्तव में इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला ही सत्यवादी कहलाता है। यह है व्यवहार-नय की दृष्टि से सत्य की सक्षिप्ति परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ऋजुसूत्र-नय की दृष्टि से सत्य के निम्नलिखित पाँच

प्रकार है—

(क)—जो व्यक्ति गुस्से का निमित्त होने पर भी गुस्मा नहो करता, उसी का जीवन सत्य कहलाता है। क्योंकि क्रोध के वश भूठ बोला जाता है, चुगली खाई जाती है, कठोर वचन बोला जाता है, कलह हो जाता है। और परस्पर युद्ध छिड़ जाता है, गान्धि और क्षमा का भग होता है तथा नियम एवं उपनियमों में भी दोष लग जाते हैं, और प्रतिज्ञा भी भंग हो जाती है।

(ख)— जो व्यक्ति लोभ का निमित्त होने पर भी लोभ नहीं करता, वह सत्यवादी हो सकता है, अर्थात्—किसी स्थान-विशेष के लिये भूठ बोला जा सकता है, अन्न-पानी के लिए भी भूठ बोला जाता है। और पट्टा-चीकी के लिए, वस्त्र-पात्र के लिए शिष्य आदि के लिए लाभ और सत्कार के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त के लिए, अथवा अन्य किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए भी भूठ बोला जा सकता है। अतः सत्यवादी को हर समय सतोपी बनना अनिवार्य है।

(ग)—जो व्यक्ति जितना निर्भीक होगा, उतना ही वह सत्यवादी बन सकता है। क्योंकि भय से भी भूठ बोला जाता है, भयभीत व्यक्ति ही भूतो सेपकड़ा जाता है, वह स्वयं डरता है और दूसरों को भी डरता है। भय से तप, सयम, भक्ति और उपासना आदि सब कुछ छूट जाता है, भयभीत व्यक्ति सत्पुरुषों का अनुसरण भी नहीं कर सकता। अतः सत्य की आराधना के लिए निर्भीक होना नितान्त आवश्यक है,

क्योंकि निर्भीक व्यक्ति ही व्याधि, रोग, जरा, मृत्यु आदि से भय नहीं करता ।

(घ)—जो व्यक्ति किसी की हँसी-मजाक नहीं करता, वह सत्यवादी बन सकता है । दूसरो की हँसी करने से अवहेलना और अपमान होता है, आपस में लडाई भी हो जाती है । यहाँ पर यह लोकोक्ति अक्षरशः चारितार्थ हो जाती है 'रोग का मूल खाँसी, और लडाई का मूल हाँसी ।' जब तक शब्द में झूठ की पुट न दी जाए, तब तक मजाक की भूमिका नहीं बनती , अतः हँसी-मजाक में झूठ बोला ही जाता है । प्रायः सत्यवादी के लिए हँसी-मखोल वाले मनोरजन का परित्याग करना आवश्यक है ।

(ङ)—जो व्यक्ति, प्रत्येक विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर बोलता है, वह सत्यवादी बन सकता है । जब भी बोले तब अच्छी तरह सोच-समझ कर बोले, और साथ ही शीघ्रता, चपलता, कटुता आदि दोषों से मुक्त होकर बोले । "सत्यपूत शास्त्रपूतच वदेद् वाक्यम्," अर्थात्—जिससे सत्य का शील का, और विनय का हनन हो, वैसा वचन कभी न बोले । और जो हाथ, पाँव, नयन तथा मुख , इन कर्मेन्द्रियों को वश में कर लेगा, वह सत्यवादी बन सकता है ।

उपर्युक्त समस्त उपायों को जो अपना लेता है, अर्थात्—जिससे सत्य को पुष्टि हो, उसमें प्रवृत्ति करना, और जिससे सत्य की हानि हो, उससे निवृत्ति करना ही सत्यवादिता है । सत्य की यह परिभाषा ऋजुमूत्र-नय की है । यदि कोई

व्यक्ति सत्य की परिभाषा ऊपर कथित तरीको से करता है, तो वह ऋजुमूत्र-नय की अपेक्षा से समझनी चाहिए ।

(५) शब्द-नय

इस नय के मतानुसार आगम में चार प्रकार का सत्य बतलाया है, जैसे—(क) नाम-सत्य, (ख) स्थापना-सत्य, (ग) द्रव्य-सत्य, और (घ) भाव-सत्य ।

इनमें शब्द-नय को केवल 'भाव-सत्य-ही अभीष्ट है । नाम-सत्य, स्थापना-सत्य, द्रव्य-सत्य ये तीन प्रकार के सत्य सर्वथा अस्वीकृत हैं ।

भाव-सत्य की मान्यता भी केवल अप्रमत्त तथा कल्पातीत अवस्था में ही है । प्रमत्त अवस्था में तो वह भाव-सत्य भी दोष-पूर्ण है, मात्तिचार है और अशुद्ध है ।

अप्रमत्त अवस्था में भी भाव-सत्य वर्द्धमान परिणाम और अवस्थित परिणाम में पाया जाता है । हायमान परिणाम में वही भाव-सत्य निर्दोष नहीं है । सत्य के विषय में ऐसा निरूपण शब्द-नय की दृष्टि से समझना चाहिए ।

(६) समभिरूढ-नय

जहाँ तक साम्परायिक क्रिया का सम्बन्ध है, वहाँ तक परिणाम चाहे वर्द्धमान हो, और चाहे अवस्थित हो, भाव-सत्य सदोष है । क्योंकि जहाँ तक मोहनीय कर्म का उदय सूक्ष्म रूप से भी चालू है, वहाँ तक सत्य पूर्ण विकसित एवं निर्दोष नहीं हो सकता । अतः ऐसा कहना चाहिए कि—जो भाव-सत्य वीतरागता में पूर्णतः विकसित होता है और

जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों से सर्वथा रहित भी हो, वही सत्य निर्दोष हो सकता है। इस प्रकार सत्य की सक्षिप्त परिभाषा समभिरूढ-नय की दृष्टि के समझनी चाहिए।

(७) एवंभूत-नय

वीतरागता तो ग्यारहवे और बारहवे गुण-स्थान में भी होती है, परन्तु वहाँ पर भी एकान्त सत्य-योग नहीं होता। उन गुण स्थानों में भी ये चार योग पाए जाते हैं—असत्य मन-योग, मिश्र मन-योग, असत्य वचन-योग, और मिश्र वचन योग। अतः सत्य की परिभाषा इस प्रकार करनी चाहिए—

घातिया कर्मों के सर्वथा क्षीण हो जाने से ही सत्य का सर्वाङ्गीण विकास होता है। सर्वाङ्गीण विकास का अर्थ है—जिसके आगे और कोई दूसरा विकास न हो—“यत्सत्यान्नापर सत्यम्”, अर्थात्—कुछ न्यून सत्य को भी एवंभूत-नय सत्य नहीं मानता, केवल पूर्ण एवं अखण्ड सत्य को ही सत्य मानता है। और वह अखण्ड सत्य तो केवल ज्ञान के साथ ही प्रकट होता है। सर्व प्रथम—“त सच्च खु भगव” — यह पाठ तभी चरितार्थ होता है, जब कि वह आत्मा अखण्ड सत्यमय हो जाता है। वस, वही अवस्था भगवत्पदवी की है, यह कथन एवंभूत-नय की दृष्टि से अभिप्रेत है।



अस्तेय

(१) नैगम-नय

जिमका जीवन नैतिकता और व्यावहारिकता से ओन-प्रोन हो, जिमकी कीर्ति एव प्रतिष्ठा विश्व भर मे बहुत बढी-चढी हो, जो अनेक सस्थाओ का स्तम्भ एव सरक्षक भी हो, जो राष्ट्र-सेवा, देश-सेवा, समाज-सेवा, ग्राम-मुधार तथा नगर-मुधार आदि का महान् उत्तरदायित्व भी अपने कन्धो पर लिए हो, जो अपना तन, मन और धन राष्ट्र-सेवा मे वलिदान करता हो, जो वीर अपनी मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता, मुट्ढता और समृद्धि के लिए निरन्तर कटिबद्ध हो, और अपनी कमाई मे से यथागक्य जन-हिताय दान भी करता हो, इत्यादि शुभ लक्षणो से जाना जाता है कि—वह अचौर्य व्रत का पालक है। फिर चाहे वह मिथ्या-दृष्टि भी क्यों न हो, किन्तु नैगम-नय की दृष्टि से तो वह अचौर्यव्रत पालक ही है। क्योंकि जो मनुष्य तथा कथित गुणो से सम्पन्न है, वह कभी भी चोरी नहीं करता। इसी लिए वह अचौर्य-व्रत प्रतिपालक कहलाता है। फिर चाहे वह गृहस्थ ही

क्यो न हो, किन्तु अचौर्य के विषय में इस प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत करना, यह नैगम-नय का दृष्टिकोण है।

(२) संग्रह-नय

जो व्यक्ति राज-दण्ड के भय से, जाति-बिरादरी के भय से, किसी बलवान् आदमी के द्वारा प्राणों की हानि के भय से, अथवा अपने परिवार की बेइज्जती के भय से चोरी नहीं करता, और पराई वस्तु का हरण भी नहीं करता, उसे अचौर्य-व्रत प्रतिपालक नहीं कहा जा सकता है। फिर चाहे वह महात्मा या सन्यासी ही क्यो न हो, जब तक उसके मन और मस्तिष्क में मिथ्यात्व प्रकृति का प्रभाव है, तब तक वह अचौर्य-व्रत का प्रतिपालक नहीं हो सकता। इस व्रत की आराधना केवल सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है, अर्थात्—जिसकी दृष्टि सम्यक् हो, सत्य हो, और जो चोरी को पाप समझ कर स्वयं छोड़ देता है। और इस कार्य में किसी प्रकार के भय से, या प्रलोभन से प्रभावित नहीं होता, वही अचौर्य-व्रत का धारक हो सकता है।

परन्तु जिसकी दृष्टि केवल बाह्य जगत में उलझी हुई हो, वह चाहे कितना ही पंडित हो और कितना ही ज्ञानी भी क्यो न हो—वह मिथ्या-दृष्टि कहलाता है। वस्तुतः मिथ्यात्व अविवेकता एवं अविद्या का 'अपर नाम' है। अविवेकता में आत्मा के विशिष्ट गुण प्रकट नहीं हो सकते क्योंकि अचौर्य आत्मा का विशिष्ट गुण है और विशिष्ट गुण ही आत्मा की उन्नति तथा सर्वतोमुखी विकास में परम सहायक

हो सकता है। आत्मा के जो नागान्त्य गुण हैं, उनका मिथ्यात्व के उदय में भी हास और विकास होता ही रहता है। यह अनादि नियम है। व्रत पर वस्तु के हरण को पाप समझ कर परित्याग करना ही अचौर्य है। अचौर्य के विषय में इन प्रकार की व्याख्या समग्र-नय की दृष्टि से समझनी चाहिए।

(३) व्यवहार-नय

दृष्टि सम्यक् होते हुए भी यदि अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय होता है, तो पाप को पाप समझते हुए भी अचौर्य-व्रत का आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टि ठीक होते हुए भी प्रकाश के बिना अन्धेरे में भटकना ही पडता है। अतः दृष्टि ठीक होते हुए भी जिस प्रकार प्रकाश की अत्यावश्यकता रहती है, उसी प्रकार दृष्टि सम्यक् होते हुए भी यदि अप्रत्याख्यानावरण कपाय चतुष्क का उदय होता है, तो वह कपाय चतुष्क, स्वच्छ गगन-युक्त अमावस्या रात्रि के तुल्य समझना चाहिए। अतः स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि—अरिहत भगवान् ने गृहस्थों के लिए जिस मोटी चोरी का त्याग बतलाया है, उसका त्याग कम से कम दो करण और तीन योग से होना चाहिए, अर्थात्—ऐसी मोटी चोरी न तो स्वयं अपने ही मन, वचन और काय से करे, और न दूसरों के मन, वचन और काय से कराए जैसे—किसी के घर में या दूकान में सेन्ध न लगाना, किसी की गाँठ न कतरना, किसी को घूर्तता से न ठगना,

मार्ग में आते-जाते किसी मुसाफिर को न लूटना, पडी हुई वस्तु न उठाना, चुराई हुई वस्तु न लेना, चोर आदि को सुविधा पूर्ण सहयोग न देना, और जो राज्य-विधान प्रजा के लिए हितकर है उसका भंग न करना, जैसे—चुंगी-कर न देना, इनकम टैक्स तथा विक्री टैक्स न देना, ब्लैक मार्केट करना, रिश्वत खाना, जूआ खेलना, बिना लाईसेन्स के हथियार रखना, सिगरेट-बीडी पीना, शराब पीना, पर-स्त्री गमन, आदि दुर्व्यसनो में लिप्त रहना। राज्य-विधान को भंग करना भी एक प्रकार की चोरी है। अतः राज्य विरोधी आचरण न करना, न्यूनाधिक न तोलना और न न्यूनाधिक मापना ही चाहिए। अमलो वस्तु में नकलो वस्तु मिलाकर लोगो की आँखो में धूल डालना भी चोरी है, अतः यह वर्जित होना चाहिए। किसी पर अकारण आक्रमण भी न करना चाहिए। जिस प्रान्त में जो पुस्तके जप्त हो चुकी हैं, उसी प्रान्त में उन पुस्तको को रखना और उन्हें पढना भी चोरी है। क्योकि वे किताबे छिपाकर ही रखी जाती हैं और छिपकर ही पढी जाती हैं, मन में सदैव खटका ही बना रहता है। गाय, भैंस, बकरी आदि का स्वार्थ वश अधिक दूध दोहना भी चोरी है, क्योकि स्वार्थपरता के कारण दोहन किया अधिक दूध पशु के बच्चे का ही न्यायोचित भाग है। अतः इस प्रकार की स्वार्थ पूर्ति न केवल चोरी ही है, बल्कि पशु के बच्चे को भूखा मारने की दुस्साहसिक अनैतिकता भी है। और यह अनैतिकता अहिंसावादियो के लिए, गौ-रक्षको के लिए तथा जीव-रक्षा-व्रत पालको के

के लिए एक प्रकार की चारित्र्य सम्बन्धी जिथितता है ।
आश्रयदाता की सम्पत्ति का हर्षण करना भी चोरी है ।

सत्सग मे जाने से श्रीर जिन-वाणी के नृनने मे जी चुगना भी चोरी है । अवकाश होते हुए भी सामायिक का नित्य-नियम न करना भी चोरी है । किमी न्कल म. कॉलिज मे, मीटिंग मे, कार्यालय मे अधवा व्याग्यान मे विलम्ब से पहुँचना और समय समाप्त होने ने पहले उठकर चले जाना भी चोरी है । धर्मार्थ द्रव्य को अपने ही किमी काम मे व्यय करना भी चोरी है । विरादरी के हितार्थ बनाए गए नियमो को तोडना भी चोरी है । खोटा भिक्का दान-पात्र मे डालना भी चोरी है । किसी निम्तान रिस्तेदार को सम्पत्ति को हस्तगत करने की चेष्टा भी चोरी है । पन्थिम थोडा करना और पारिश्रमिक अधिक लेना भी चोरी है । श्रम-जीवी से श्रम तो अधिक लेना और पारिश्रमिक बहुत कम देना भी चोरी है ।

इस प्रकार की मोटी चोरियो का परि त्याग और सूक्ष्म चोरियो का विवेक रखने मे ही अचौर्य व्रत की सच्ची आराधना हो सकती है । इस व्रत के आराधक पचम गुण-स्थान वाले 'देग-व्रती श्रमणोपासक' होते है, अर्थात्—जिसका जीवन गृहस्थ अवस्था मे राज-नीति और धर्म-नीति की दृष्टि से आदर्शमय हो, उसे जैन-परिभाषा मे 'श्रमणोपासक' कहते है । जहाँ तक व्यवहार-नय का विषय है, वहाँ तक तो गृहस्थ अचौर्य-व्रत की आराधना ही करता है । वस्तुत व्यवहार-नय राज-नीति और धर्म-नीति, दोनो से मिश्रित है ।

अस्तु, यह नय देश-व्रत का ही अनुसरण करता है ।

ऋजुसूत्र-नय

बिना दी हुई जो भी वस्तु है या जिस वस्तु को ग्रहण करने की आज्ञा नहीं ली गई, उसे ग्रहण करना भी चोरी है । उसे तीन करण और तीन योग से ग्रहण न करना ही अचौर्य महाव्रत है । इस नय की पूर्ण दृष्टि छठे गुण-स्थान पर पडती है, अर्थात्—छठे गुण-स्थान में जितने भी अचौर्य महाव्रत के आराधक हैं, वे सब इसी नय की परिधि में हैं ।

इस नय का मुख्य विषय अचौर्य महाव्रत है, अर्थात्—साधक चाहे किसी ग्राम में हो, नगर में हो, या अटवी में हो, और कोई वस्तु थोड़ा हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल, सजीव हो या निर्जीव, बिना दी हुई कोई भी और कैसी भी वस्तु क्यों न हो, उसे न तो स्वयं ही ग्रहण करना, न दूसरे से ग्रहण करवाना, और न ग्रहण करते हुए की अनुमोदना (समर्थन) मन-वचन-काय से करना, इस प्रतिज्ञा को जीवन पर्यन्त ग्रहण करना और तदनुरूप उसका पालन करना ही अचौर्य महाव्रत पालन को सार्थकता है ।

जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं है अथवा कोई भूल गया हो, ऐसी वस्तु किसी भी कारण से चारित्रवान् ग्रहण न करे । ककड और कनक (स्वर्ण) को एक-सा जानकर निष्परिग्रही बने । दाँत शोधन मात्र तिनके को भी बिना आज्ञा लिए न उठाए । अचौर्य महाव्रती साधक के लिए अरिहत भगवान् ने प्रतिपादन किया है कि—‘सयमी साधु सर्वकाल में अप्रतीतिकारी घर में प्रवेश न करे, अप्रतीतिकारी

आहार-पानी गहरा न करे, एव अप्रतीनकारी पाट-पाटला, मकान, घाम-फुम, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजोहरण, चोल-पट्टा, मुखवस्त्रिका अथवा अन्य किसी प्रकार की उपलब्धि जिसके लेने ने लोक में निन्दा हो, यदि ऐसी वस्तु कोई देने लगे, तो वह वस्तु भी कदापि नहीं लेनी चाहिए। मुकृत करते हुए को अन्तराय न डाले और दान देते हुए को न हटाए। यदि कभी किसी वस्तु का वेंटवारा करना पड़े, तो निष्पक्ष एव निस्वार्थ वेंटवारा करे। आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु न रखे, परिमाण से अधिक भोजन न करे, जब नव लोग आराम कर रहे हों, तब जोर-जोर से न पड़े और न जोर-जोर से बोले भी। जिस दरवाजे पर 'प्रवेग-निषेध' का साइनबोर्ड लगा हो, वहाँ बिना आज्ञा लिए प्रवेग न करे। दूसरो के किये हुए श्रेष्ठ कार्य को कभी न छिपाए।

द्रव्य, क्षेत्र और काल के अनुकूल होने पर भी तप न करना चोरी है। एक वस्तु में दो व्यक्तियों का साम्ना है और उनमें से एक नहीं देना चाहता, तो वह वस्तु लेना भी चोरी है। किसी की वस्तु देखकर या सुनकर उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना भी चोरी है। जिस वस्तु में सब का साम्ना है, उसमें ने कोई हिस्सेदार अगर अपने हिस्से से अधिक लेता है, तो वह भी चोरी है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को बहकाकर अपना बनाना भी एक प्रकार की चोरी है।

किसी क्षेत्र में या परिपद में व्याख्यान का समय नियत

किया गया है, उससे अधिक समय लेना भी चोरी है। आज्ञा लिए बिना किसी वस्तु को परोक्ष रूप में देख लेना भी चोरी है। समय के मार्ग में उद्यम न करके आलस्य और प्रमाद प्रकट करना, बार-बार विषयो का सेवन करना, तप में अरुचि प्रकट करना, और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न करना भी चोरी है। दीक्षित साधु को समय के पथ से भ्रष्ट करना भी चोरी है।

कृतघ्नता भी एक प्रकार की चोरी है। जादू-टोना और धागा-तावीज बनाना भी चोरी है। किसी खेल-तमाशे को या किसी काम-वर्द्धक वातावरण को छिपकर देखना भी चोरी है। किसी की कविता में या किसी के निबन्ध में अपना नाम जोड़ना भी चोरी है। अपने पास आवश्यकता से अधिक उपकरण होते हुए दूसरे को अत्यन्त आवश्यकता होने पर न देना भी चोरी है। दान देते हुए को अन्तराय देना भी चोरी है। जितनी भूमि की आज्ञा ली है, उससे अधिक अपने काम में लेना भी चोरी है। चतुर्विध श्री सघ की समृद्धि के लिए बनाए गए विधान को तोड़ना भी चोरी है। आचार्य, गुरु या रत्नाधिक की बिना आज्ञा से किसी पदार्थ को प्राप्त करना, और उसे बिना दिखाए सेवन कर लेना भी चोरी है। रसोईघर में रसोईया प्रायः क्या रियाँ बनाकर मर्यादा बनाता है, उस मर्यादा का उल्लंघन करके अन्दर जाना भी चोरी है।

उपर्युक्त सभी प्रकार की चोरियों से निवृत्ति प्राप्त कर लेना ही अचौर्य महाव्रत का परिपूर्ण पालन है।

(५) शब्द-नय

जो व्यक्ति दूसरे की यग-प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार एवं मान-सम्मान को स्वयं प्राप्त करना चाहता है, वह महाव्रती भी चोरी के दोष से अछूता नहीं है। जैसे कि चोरी पाँच प्रकार की होती है—

(क) तप-चोर—तप कोई दूसरा करे और तपस्वी आप कहलावे—गुप्त रूप में खाना खाए और प्रकट रूप में तपस्वी कहलावे। कोई दर्शनार्थी किसी दुर्बल मुनि को देखकर भाव प्रवण गद्दो में ऐसा बोले—घनना मुनि की तरह दुष्कर करनी करने वाले आप ही हैं क्या ? और उत्तर देते हुए यदि ऐसा कहे—साधु तो सदा ही तपस्वी होते हैं। तपस्वी न होते हुए भी तपस्वी की प्रतिष्ठा लूटने से महामोहनीय कर्म बन्धता है। अतः जो 'तप चोर' होता है, वह किन्विपी देवता बनता है।

(ख) वय-चोर—दो मुनि विचर रहे हैं। एक वय में युवक है किन्तु पर्याय में ज्येष्ठ, और दूसरा मुनि वय में वृद्ध है किन्तु पर्याय में कनिष्ठ। दर्शनार्थी श्वेत केश देखकर यह पूछे कि—बड़े महाराज क्या आप ही हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहे कि—साधु तो हमेशा बड़े ही होते हैं, अर्थात्—बड़े साधु की प्रतिष्ठा आप स्वयं प्राप्त करना। इसे 'वय चोर' कहते हैं।

(ग) रूप-चोर—एक जैसा रूप, एक जैसा डीलडौल, एक जैसा नाम, एक जैसा वेष दो मुनियों का है। उनमें एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित है, और दूसरा अप्रसिद्ध एवं अप्रतिष्ठित

भर में फँस रही है ? ऐसा सुनकर मौन धारण करे या ऐसा कहे—साधु तो लब्ध-प्रतिष्ठ होते हैं । ऐसा गोलमोल जवाब देना कि जिससे पूछने वाले को ऐसा प्रतीत हो कि यह वही है जिनके दर्शन में करना चाहता था । इसे 'रूप चोर' कहते हैं ।

(घ) आचार-चोर—शुद्धाचारी न होते हुए भी अपने आपको शुद्धाचारी कहे, गुप्त रीति से अनाचार सेवन करना किन्तु जनता के समक्ष क्रिया-पात्र बनना और चौथे आरे के आचरण का प्रदर्शन करना । इसे 'आचार चोर' कहते हैं, अर्थात्—चारित्र्य विहीन होते हुए भी शुद्ध चारित्र्य की प्रतिष्ठा लूटना ।

(ङ) भाव-चोर—चोरी से ज्ञान सीखना, मायाचारी से ज्ञान सीखना, जिन-जिन आगमधरो से सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, उनका नाम और उपकार छिपाना । किसी के पूछने पर यह उत्तर देना—'मैंने श्रुत-ज्ञान स्वयमेव प्राप्त किया है ।' ऐसा उत्तर देने वाला 'भाव चोर' कहलाता है ।

तीर्थङ्कर की आज्ञा भंग करना और निषिद्ध क्रिया का आचरण करना भी चोरी है । कोई भी महाव्रती यदि उक्त क्रिया करता है, तो वह शब्द-नय की दृष्टि से चोर है । रोगी, ग्लान या महा तपस्वी के नाम से लाए हुए आहार को स्वयमेव सेवन कर लेना भी चोरी है । अतः ऐसा कहना चाहिए कि—जो अप्रमत्त है, वस्तुतः अर्चौर्य महाव्रत के प्रति-पालक वै ही है । प्रमत्त-दशा में तो सूक्ष्म अदत्ता दान का दोष लगता ही रहता है ।

(६) समभिरूढ-नय

प्रमत्त अवस्था में लगे हुए दोषों की आलोचना और निन्दना ग्रहण न करना भी एक प्रकार की चोरी है। और जब तक मोह एवं लोभ का उदय है, तब तक अप्रमत्त अवस्था में भी अदत्तादान के दोष से अछूता नहीं रहा जा सकता, अर्थात्—दसव गुण-स्थान तक अदत्तादान (चोरी) का दोष लगता है। पीतरागता में अर्चय्य दोष नहीं लगता। यह कथन समभिरूढ-नय की अपेक्षा से समझना चाहिए।

(७) एवभूत-नय

जहाँ तक कोई भी जीव छद्मस्थ और अनपज्ञ है, वहाँ तक चोरी के दोष से अछूता नहीं रहता। सर्वज्ञ होने पर ही अर्चय्य महाव्रत पूर्ण विकसित होता है। घातिया कर्मों के सर्वथा क्षय होने से ही दुर्गुणों का विलय होता है।

दोषों का मूल कारण मन ही है। तेरहवें गुण-स्थान में मन सक्रिय नहीं होता। 'चौर्य' यह दोष घातिया कर्मजन्य है। अघातिया कर्मों से आत्मा में किसी प्रकार भी विकार नहीं होता। अतः जहाँ अर्चय्य की परिभाषा उक्त शैली से की जाए, वहाँ एवभूत-नय की अपेक्षा से ही समझनी चाहिए।

निहितं वा पतितं वा,
सुविस्मृतं वा पर-स्वमविसृष्टम् ।
न हरति यन्न च दत्ते,
तदकृश चौर्यादुपारमणम् ॥

—रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ३, ५७,

किसी की रखी हुई, पडी हुई भूली हुई तथा बिना दी हुई वस्तु को न स्वयं ग्रहण करना और न दूसरे को देना—यह अस्तेयव्रत है ।

ब्रह्मचर्य

(१) नैगम-नय

काम और राग की प्रेरणा से दो प्राणियों के संयोग से होने वाले वैपयिक सुख को 'मैथुन' कहते हैं। मैथुन क्रीडा न करना, इसे 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं। जो व्यक्ति अवोध अवस्था में, लज्जा अवस्था में एव वार्द्धक्य में स्वास्थ्य रक्षा के लिए, बल-वृद्धि के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए (ब्रह्मचर्येण विद्या, विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्) तथा राज-भय से, समाज-भय से, अपयश के भय से, किसी लौकिक कार्य में व्यग्र-चित्त रहने से, धन नष्ट होने के भय से, समय और स्थान की प्रतिकूलता से, विवेक न होने से, दवाइयों के द्वारा वीर्य रोकने से, उपशान्तता से, कार्य की सफलता के उद्देश्य से, परवशता से, आयु, यौवन, रूप एव स्वर—इन सभी की रक्षा के लिए, रोग के भय से (भोगे रोग भयम्) आदि उद्देश्य से जो मैथुन क्रीडा नहीं करता है, इस नय की दृष्टि से वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है।

ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाला सम्यक्-दृष्टि हो, मिश्र-दृष्टि हो या मिथ्या-दृष्टि हो, उसे ब्रह्मचारी कह सकते हैं।

(२) संग्रह-नय

सम्यक्-दृष्टि ही ब्रह्मचर्य के वास्तविक महत्त्व को जानता है। मिथ्या-दृष्टि ब्रह्मचर्य का पालन तो करता है, परन्तु उसका दृष्टिकोण ठीक न होने से वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। क्यों कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय भाव में किसी भी धर्म के अंग को वास्तविक रूप में नहीं जाना जा सकता, और बिना ज्ञान के किसी भी क्रिया का कोई महत्त्व नहीं है।

आत्मा का ध्येय ससार के जन्म-मरण आदि दुखों से सर्वथा छूट कर मोक्ष प्राप्त करना है। इस ध्येय को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब सम्यक्त्व हो, दृष्टिकोण ठीक हो, विवेक हो, और शरीर एवं मन स्वस्थ हो (शरीर माद्यं खलु धर्म-साधनम्), जैसे वायु के चलने से वृक्ष के पत्ते हिलने लग जाते हैं और वायु के न चलने से पत्ते भी नहीं हिलते। पत्तों के हिलने से छोटी डालियाँ हिलती हैं, उनके हिलने से बड़ी डाली हिलती है और बड़ी डाली के हिलने से समुच्चय वृक्ष हिलने लग जाता है। इसी प्रकार काम वासना पैदा होने से वीर्य की नाडी में कम्पन होता है। त-पश्चात् अन्यान्य नाडियों में और समुच्चय सर्वाङ्ग में कम्पन होने लग जाता है। तब मन, बुद्धि और शरीर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। उस अस्वस्थता का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य ही है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य मानव-धर्म का एक प्रधान अङ्ग है, अतः प्रधान अङ्ग की रक्षा करने से उसके सहचारी उपाङ्गों की रक्षा स्वयमेव हो जाती है। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इनके स्वस्थ रहने से

विचार भी शुद्ध एवं उच्च रहने है। अतः यह सिद्ध हुआ कि सम्यक्त्व-पूर्वक जो मदाचार पालन किया जाता है, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के विषय में मगह-नय का यह दृष्टि-कोण है।

(३) व्यवहार-नय

श्रेष्ठ आचरण को ही मदाचार कहते हैं। आत्मा के किमी भी एक प्रधान गुण को अपनाते से उसके सहचारी अनेक गुण अनायाम ही स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। उनको अपनाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे किमी सम्राट् को अपने अनुकूल करने से अन्य सभी राज्याधिकारी स्वयमेव अनुकूल हो जाते हैं, वैसे ही अकेले ब्रह्मचर्य के आश्रित अनन्त गुण स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। जितने अंगों में ब्रह्मचर्य का ठीक-ठीक पालन होता जाएगा, उतने ही अंश में आत्मा का कल्याण होता जाएगा।

जो सवथा अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, फिर भी दुराचार में सन्तोष धारण करना चाहता है, तब विवाह की रस्म अदा करनी पडती है. अर्थात्—जो विवाह किया जाता है वह मदाचार की रक्षा के लिए है, न कि भोग की पूर्ति के लिए। जिम प्रकार स्त्री का पति-व्रत धर्म है, वैसे ही पुरुष का भी पत्नी-व्रत धर्म है।

‘विवाह’ पुरुष और स्त्री के आजीवन साहचर्य का नाम है। यह साहचर्य ही काम वासना की द्रवा है, और ब्रह्मचर्य के समीप पहुँचने का सहज साधन है। यह साहचर्य तभी

निभता है, जबकि एक दूसरे के स्वभाव, गुण, आयु, बल-वैभव तथा सौन्दर्य आदि को दृष्टि में रखा जाए ।

व्यवहार-नय का मन्तव्य है कि—जो सम्यक्-दृष्टि ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा नहीं लेता, वह चाहे सारी उम्र भर मैथुन न करे, फिर भी वह ब्रह्मचारी नहीं कहला सकता, क्योंकि सकल्प हीन कार्यों में सन्देह रहता है । प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेने पर कार्य में विघ्न डालने वाली बाधाओं को सहने की शक्ति पैदा हो जाती है और मन में दृढता रहती है । साथ ही इस बात का भय भी रहता है कि प्रतिज्ञा भ्रष्ट न हो जाऊँ । बिना प्रतिज्ञा किए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन में परलोक का आराधक नहीं हो सकता । जिसने स्व-पत्नी पर, अथवा स्व-पति पर आजीवन के लिए सन्तोष धारण कर लिया, वह भी सदाचारी ही है । इस व्रत का नाम स्व-दार सन्तोष व स्व-भर्ता सन्तोष है स्व-दार रमण नहीं है । क्योंकि स्व-दार रमण में स्वच्छन्दता को स्थान है, परन्तु स्व-दार सतोष में स्वच्छन्दता को स्थान नहीं है । 'स्व-दार' उसे कहते हैं—जिसके साथ लोक और समाज की प्रचलित रीति से विवाह हुआ है । उसके सिवाय सभी पर-स्त्री है, अथवा पर-पुरुष है । किन्तु उस एक पर भी अत्यासक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान-बूझकर रोग को पैदा नहीं किया जाता । यदि कभी रोग पैदा हो जाए, तो उसका इलाज किया जाता है । परन्तु वासना को स्वयं नहीं जगाना चाहिए, बल्कि उद्दीप्त वासना का सामाजिक मर्यादा में शमन करना भी सदाचार कहलाता है ।

दोनों (पति, पत्नी) में से एक के मरण हो जाने पर, या विदेश जाने पर, या अन्य किसी कारण से थोड़े काल के लिए किसी को धन देकर समागम करना प्रथम 'अतिचार' है। अविवाहिता, गणिका, विधवा या पति-परित्यक्ता से समागम करना दूसरा 'अतिचार' है। स्त्रियों के नग्न नाच देखना, त्याग वाले दिन मैथुन के अलावा स्पर्शनेन्द्रिय सुख भोगना, काम-सेवन के लिए जो प्राकृतिक अङ्ग है, उनके सिवाय शेष सब अङ्ग काम-सेवन के लिए अनङ्ग हैं—जैसे हस्त-मैथुन, गुदा-मैथुन आदि तीसरा 'अतिचार' है।

इसी प्रकार दूसरों के पुत्र और पुत्रियों का पुण्य समझकर विवाह करना या दूसरों का रिश्ता छुड़ाकर अपने साथ करना भी 'अतिचार' है। चौथा व्रत धारण करने के पश्चात् अनेक शादियाँ करना, भी अतिचार है। क्योंकि आनन्द श्रावक की तरह अपनी स्त्री का नाम लेकर ही यह व्रत धारण किया जाता है। केवल उसी स्त्री पर सन्तोष किया जाता है, प्रतिज्ञा करने से पहले जिसके साथ विवाह हो गया हो। जैसे स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं, वैसे ही पुरुष को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है। पुनर्विवाह करना चौथा 'अतिचार' है।

काम-वासना की तीव्र अभिलाषा प्रकट करना, पशुओं पर भी नीयत विगाडना, विषय-वर्द्धक दवाइयाँ खाना, या स्व-पत्नी के साथ भी आवश्यकता से अधिक समागम करना पाँचवाँ 'अतिचार' है। अतिचार से सदाचार दूषित हो जाता है और देव रूप से खडिन भी हो जाता है। इन पाँच

प्रतिचारों को जानना तो अवश्य चाहिए, परन्तु इन्हे आचरण में कदापि नहीं लाना चाहिए। यह है व्यवहार-नय के अनुसार ब्रह्मचर्य की सक्षिप्त परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के दो उपाय हैं—एक ज्ञान-मार्ग, और दूसरा क्रिया-मार्ग। क्रिया-मार्ग ब्रह्मचर्य के विरोधी सस्कारों को रोकता है, और ज्ञान-मार्ग अब्रह्मचर्य के सस्कारों को निर्मूल कर देता है।

ज्ञान-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण होता है, परन्तु क्रिया-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण नहीं होता। ज्ञान-मार्ग उत्तम उपाय है और उसमें अन्तरङ्ग कारण है।

क्रिया-मार्ग में बाह्य नियम एवं उपनियमों का समावेश हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सम्भोग में वीर्य का नाश न करते हुए उपस्थ इन्द्रिय का सयम रखना ही नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। अतः उपस्थ इन्द्रिय के सयम के साथ-साथ अन्य इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है।

प्रस्तुत नय उमी को ब्रह्मचारी मानता है, जिस व्यक्ति ने तीन करण और तीन योग से अब्रह्मचर्य का सर्वथा त्याग कर दिया हो। इस व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बनलाई गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

पहली भावना—जिस जगह स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हो, उस जगह नहीं ठहरना, अर्थात्—जिस स्थान में

ठहरने से घर में बैठी हुई स्त्री दिखाई दे, द्वार में आती-जाती दिखाई दे, आगम में, भ्रूरोम्बे में, चौबारे में, कोठी में, महल में, या पीछे के स्थान में स्त्रियाँ दिखाई दे, या उनकी बातें सुनाई देती हों, जहाँ स्त्री-शृङ्गार की कथा होती हो, उनके हँसने-रौने की आवाज आती हो, गाने और क्रीडा की आवाज आती हो, उन जगह कदापि नहीं ठहरना । फिर चाहे वह स्थान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वहाँ ठहरना ब्रह्मचर्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है ।

जिस प्रकार त्रिल्ली के निवास स्थान के पास चूहों का रहना असंगत है, उसी प्रकार स्त्रियों में रहने वाली जगह में ब्रह्मचारी पुरुष का रहना सर्वथा असंगत एवं हानिकारक है । क्योंकि वहाँ रहने से उसके ब्रह्मचर्य में हानि पहुँचने की संभावना रहती है । —(उ० अ० ३२, गा० १३)

भले ही मन, वचन और काया रूप तीन गुणितियों से गुप्त ऐसे समर्थ मुनि, जो वस्त्रा भूषणों से सुशोभित एवं मनोहर देवाङ्गनाओं द्वारा भी ब्रह्मचर्य व्रत में डिगाये न जा सकते हो, तो भी उन के लिए एकान्त हितकारी जानकर विविक्त वास, अर्थात्—स्त्री, पशु, और नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करना ही प्रशस्त बनलाया है ।

—(उ० अ० ३२, गा १६)

दूसरी भावना—स्त्रियों की परिपद् में बैठकर विचित्र प्रकार की हास्य, शृङ्गार और मोह को पैदा करने वाली कथा न कहे । स्त्रियों के सौभाग्य और दुर्भाग्य तथा ६४ कलाओं का वर्णन, अमुक देश की स्त्रियों का वर्णन, विवाह आदि का

वर्णन; उनकी जाति, कुल, रूप, नाम, वेष, अलंकार आदि का वर्णन—इत्यादि सहित कथाएँ न तो कहे, न सुने, न पढे और न चिन्तन ही करे। अल्लील कथाएँ कहना, सुनना, पढना और उनका चिन्तन करना भी ब्रह्मचर्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दूसरी भावना का पालन करना अत्यावश्यक है।

तीसरी भावना—स्त्रियो को देखना। उन का हँसना, बोलना, चेष्टा करना, और उनका हाव-भाव, कटाक्ष, चाल, विलास, खेल, नृत्य—तमाशा, सौन्दर्य, हाथ-पाँव, नयन, लावण्य, रूप, यौवन, पयोधर, वस्त्र, अलंकार, अधरोष्ठ, गुप्त-स्थान आदि जोकि तप, सयम और ब्रह्मचर्य के उपघातक है, उन्हें न तो कभी देखे, न वचन से कभी प्रार्थना करे, और न मन से कभी देखने की अभिलाषा ही करे।

जो श्रमण तपस्वी है, वे स्त्रियो के रूप, लावण्य, विलास, हास्य तथा मधुर वचनों को, ड गित, इशारा या विविध प्रकार की शारीरिक चेष्टा, अर्थात्—कटाक्ष, विक्षेप आदि को अपने चित्त में स्थापित करके उन्हें अनुराग-पूर्वक देखने का प्रयत्न कभी न करे।

—(उ० अ० ३२, गा० १४)

सदा ब्रह्मचर्य में अनुरक्त रहने वाले तथा धर्म-ध्यान में तल्लीन रहने वाले साधुओं के लिए स्त्रियो के अङ्ग-उपाङ्ग आदि को राग-पूर्वक न देखना, उनकी इच्छा न करना, उनका चिन्तन न

करना, आसक्ति पूर्वक उनके रूप आदि का गुण कीर्तन भी न करना परम हितकारी है ।

—(उ० अ० ३०, गा० १५)

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए तीसरी भावना का पालन भी अनिवार्य है, ऐसा महर्षियों का अभिमत है ।

चौथी भावना—ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करने के पूर्व गृहस्थ अवस्था में किये हुए भोग-विलास, एवविषय-सुख को तथा श्वशुरालय में, उत्सव में, खेल-तमाशे में वेप-भूषा सहित स्त्री-क्रीडा, आलाप-सलाप, विकार-जनक वृत्तान्तों को स्मृति पथ में न लाए, उनका कभी स्मरण भी न करे । क्योंकि उनका स्मरण करना ब्रह्मचर्य महाव्रत के लिए घातक है, अतः चौथी भावना का भी नतर्कना-पूर्वक पालन करना चाहिए ।

पाँचवी भावना—काम-वर्द्धक आहार न करे, अर्थात्—दूध, दही, घृत, तेल, गुड शकर, मिश्री, मिठाई आदि पौष्टिक तथा रसीले पदार्थों का आहार न करे । एक दिन में अनेक बार भोजन न करे, सदैव सरस आहार न करे । दाल, शाक, अचार, चटनी, मिर्च आदि का अधिक सेवन न करे । लहसुन, प्याज का सेवन भी वर्जित है । आहार ऐसा करना चाहिए जिससे शरीर का निर्वाह भी हो सके और समय तथा ब्रह्मचर्य व्रत की यात्रा भी समाधि पूर्वक ठीक होती रहे, अर्थात्—काम उद्दीप्त न हो, और इन्द्रियाँ उत्तेजित न हो ।

कहा भी है—दूध, घृत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रायः रस मनुष्यों में

कामाग्नि को दीप्त करते हैं। उद्दीप्त मनुष्य की ओर काम वासनाएँ ठीक वैसे ही दौड़ती हैं, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी दौड़कर आते हैं।

—(उ० अ० ३२, गा० १०)

जिस प्रकार बहुत ईंधन वाले घने वन में लगी हुई वायु-सहित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी (विचित्र प्रकार के रस युक्त पदार्थों को भोगने वाले) किसी भी ब्रह्मचारी की इन्द्रिय रूपी अग्नि शान्त नहीं होती और वह उसके लिए हितकारी भी नहीं होती।

श्रीपथियों से दवाई हुई व्याधियों की तरह, अर्थात्—जिस प्रकार उत्तम श्रीपथियों से पराजित को हुई व्याधि फिर आक्रमण नहीं करती, उसी प्रकार स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित स्थान तथा आमन आदि का सेवन करने वाले तथा इन्द्रियों को दमन करने वाले पुरुषों के चित्त को राग रूपी शत्रु दवा नहीं सकता।

—(उ० अ० ३२, गा० १२)

विकारमय स्पर्श न करना, विकारमय आसन पर न बैठना, विकारी दृष्टि न रखना, विकारी वातावरण से दूरी रहना, विकारी शब्द और कथा न सुनना, श्लथिल शब्द न बोलना, रसना पर समय रखना, विकारोत्पादक स्मरण भी न करना, सदैव विचारों को पवित्र रखना—यह उपाय क्रिया-मार्ग से ब्रह्मचर्य की रक्षा का है। यदि इन पाँचों भावनाओं को समतोल रूप में वज्र में रखे, तो ब्रह्मचर्य की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। एक भावना में ढील आ जाने से ब्रह्मचर्य महाव्रत भंग होने में कोई सन्देह नहीं रहता।

आत्म-कल्याण की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी पुरुष के लिए शरीर की शोभा, स्त्री का ससर्ग, पीष्टिक्त पाहार, ये सब तालपुट नामक उग्र विष के समान हैं, अर्थात्—जिस प्रकार तालपुट नामक विष तालु में लगते ही प्राणों का हरण कर लेता है, उसी प्रकार शरीर के विभूषण आदि दुर्गुण भी साधु के चारित्रिक गुणों को नष्ट कर देते हैं ।

—(दशवै०, अ० ८ वाँ)

यह है ऋजुसूत्र-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की परिभाषा ।

(५) शब्द-नय

‘ब्रह्म’ का अर्थ है—वेद तत्त्व और तप । (वेदस्तत्त्व तपो ब्रह्म इत्यमर) दशवैकालिक सूत्र के ९वें अध्ययन के चौथे उद्देश में “वेयमाराह्यइ”, अर्थात्—विनय समाधि का उल्लेख करते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने प्रतिपादन किया है कि—‘वेद की आराधना कर ।’ इस स्थल पर वेद का अर्थ—श्रुत-ज्ञान किया है । ‘चर्य’ का अर्थ होता है—तदनुरूप आचरण , अर्थात्—उपयोग पूर्वक श्रुत-ज्ञान का अध्ययन करना, इसे ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं ।

‘तत्त्व’ का अर्थ है—आत्मा । चैतन्य आत्मा का मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन करने को भी ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं ।

तप के बारह भेद हैं । जिसका सम्बन्ध प्रत्येक तप से हो और जो उन सब का केन्द्र हो, उसे ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं ।

“तवेसु वा उत्तमवम्भचेर”, अर्थात्—जिसका चित्त निरन्तर श्रुत-ज्ञान में, आत्म-चिन्तन में और तप में सलग्न है, उस क्रिया को ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं । ब्रह्मचर्य का अर्थ है—सभी

‘इन्द्रियो’ और सम्पूर्ण ‘विकारो’ पर पूर्ण अधिकार करना । ब्रह्मचर्य—मन, वचन और कार्य से होता है । प्राकृतिक नियम के अनुसार इन्द्रियाँ मन के अधीन है । मन बुद्धि के, और बुद्धि आत्मा के अधीन है । जब बुद्धि आत्मा की सहायिका होती है, तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानता है । अतः अपने स्वरूप को पहचानना ही ‘ब्रह्मचर्य’ है । यह है शब्द-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की परिभाषा ।

(६) समभिरूढ-नय

शब्द-नय सातवे, आठवे, और नौवे गुण-स्थान के छह भागों में से पहले पाँच भागों में, अर्थात्—इन तीन गुण-स्थानों में रहने वाले साधकों में ‘ब्रह्मचर्य’ मानता है । जब कि नौवे गुण-स्थान तक वेद मोहनीय का उदय रहता है, अतः उसे हम अवेदी नहीं कह सकते हैं । वस्तुतः अवेदी को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है, सवेदी को नहीं । ब्रह्मचर्य के तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, और जघन्य ।

वासना को पैदा न होने देना—इसे ‘उत्तम’ ब्रह्मचर्य कहते हैं । सुलगती हुई वासना को तप और सयम के द्वारा उपशान्त करना—यह ‘मध्यम’ श्रेणी का ब्रह्मचर्य है । मर्यादा से बाहर भड़की हुई वासना को भी निष्फल कर देना, अर्थात्—निमित्त मिलने पर भी भड़की हुई वासना को पूर्ण न करना, इसे ‘जघन्य’ श्रेणी का ब्रह्मचर्य कहते हैं । इन तीनों में उत्तम श्रेणी का ब्रह्मचर्य ही इस नय को अभीष्ट है । और वह अवेदी तथा वीतराग में ही पाया जाता है, सवेदी में नहीं ।

(७) एवभूत-नय

जब तक घातिया कर्मों का उदय या सत्ता विद्यमान है, तब तक सादि अनन्त अवेदी नहीं बन सकता । क्योंकि—साधक ग्यारहवें उपशान्त मोहनीय गुण-स्थान से च्युत होकर पहले गुण-स्थान तक भी आ सकता है । फिर वह अवेदी कहाँ रहा ? इस नय की सादि-सान्त अवेदी पर कोई श्रद्धा नहीं है । जब तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण विकास नहीं होता, तब तक केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता । घातिया कर्मों के सर्वथा क्षय होने पर ही सादि अनन्त अवेदी बनता है । यही अवस्था ब्रह्मचर्य की व्यापकता की है । यह है एवभूत-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की सक्षिप्त परिभाषा ।



(२) वास्तु—तलघर, हर्म्य, प्रासाद, कोठी, हवेली नौहरा, मकान, दुकान, गाम, नगर, छावनी, तबेला आदि, इन सब का अन्तर्भाव 'वास्तु-परिग्रह' में हो जाता है।

(३) हिरण्य—चाँदी के बर्तन, चाँदी के उपकरण, चाँदी के भूषण, चाँदी के सिक्के आदि, ये सभी 'हिरण्य-परिग्रह' के अन्तर्गत हैं।

(४) स्वर्ण—स्वर्ण के बर्तन, भूषण, सिक्के तथा अन्य उपकरण आदि, इन सब का अन्तर्भाव 'स्वर्ण-परिग्रह' में हो जाता है।

(५) धन—टिकिट, नोट, सिक्का, मणि-माणिक्य वज्र, रत्न, हीरक, प्रवाल, मौक्तिक त्रपुप, लोह, सीसा, पाषाण, फैंट्री, शख, तिनिग अगुरु, चन्दन, वस्त्र, काष्ठ, चर्म, दत, रूई, कपास बाल, गध द्रव्यौषधि एव रत्न की चौबीस जातियाँ, पण्य, गुड, शक्कर, आदि, इन सभी वस्तुओं का अन्तर्भाव 'धन-परिग्रह' में हो जाता है।

(६) धान्य—गेहूँ, जौ, चावल, कोद्रव, कँगु, तिल, मूँग, माष (उरद), अलसी, राजमाष, मसूर, कुलत्थ, सरसो, कलाय ब्रीहि, मक्कई, चणक आदि, चौबीस प्रकार के धान्य-विशेष 'धान्य-परिग्रह' में समाविष्ट हैं।

(७) द्विपद—स्त्री, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, मित्र, नाती, गोती, स्वजन, सम्बन्धी, दास-दासी, शुक, मीन, मोर, चकोर, कबूतर, हँस आदि; ये सब दो पाँव वाले प्राणी हैं। अतः इन सब का समावेश 'द्विपद-परिग्रह' में हो जाता है। उपलक्षण

से दो पहिए वाले यान भी इसी परिग्रह में समाविष्ट है । जैसे—सार्डकिल, मोटर सार्डकिल आदि ।

(८) चतुष्पद—गौ, वृषभ, महिषी (भैंस), हाथी, घोडा, खच्चर, ऊँट, भेड, बकरी आदि; ये सब चार पाँव वाले हैं । उपलक्षण से चार पहिए वाले जितने भी यान हैं । अर्थात्—टैक्सी जीप, मोटर ठेला, गाडी, आदि, सब का समावेश 'चतुष्पद-परिग्रह' में हो सकता है, क्योंकि इनके चार पहिए होते हैं । दो पहिए वाले या चार पहिए वाले, इन सभी का समावेश 'घन-परिग्रह' में भी हो सकता है ।

(९) कुप्य—उक्त परिग्रह के सिवाय जितनी भी शेष वस्तुएँ हैं, उन सब का समावेश 'कुप्य-परिग्रह' में हो जाता है । इन सब का अन्तर्भाव 'दो' में भी हो सकता है, जैसे—'चल सम्पत्ति' 'अचल सम्पत्ति' । 'सचित्त-परिग्रह' और 'अचित्त-परिग्रह', अथवा 'कनक-परिग्रह' और 'कामिनी-परिग्रह' ।

पाँच इन्द्रियो के विषयो में आसक्त रहना भी 'परिग्रह' है । जिसका परिचय इस प्रकार है—

(१) कर्ण—जो व्यक्ति जिस इन्द्रिय के विषय में अत्यासक्त होगा और उस इन्द्रिय के जितने भी विषय हैं, उनके साधन एवं उपकरणों को रखने की भी अवश्य कोशिश करता है । जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है—'सुनना', अर्थात्—जो सुनने में अधिक व्यग्र रहता है, वह रेडियो, टेलिफोन, टैली-ग्राम, टेलीविजन, टैलीप्रिन्टर, गाने-बजाने के साज, बोलने के उपकरण—माईक्रोफोन, ग्रामोफोन, वायरलैस,

आदि सभी प्रकार की वस्तुएँ रखता है।

(२) नेत्र—जो व्यक्ति चक्षुरिन्द्रिय में अत्यासक्त होता है, वह बारह प्रकार के खेल—कुश्नी, टूरनामेन्ट, ड्रामे, थ्येटर, तमाशे सर्कस, मिस्मरेज्म आदि। बत्तीम प्रकार के नाटक—सिनेमा, लीला, उत्सव, मेला, जलसा, जलूस, प्रदर्शनी, सजावट, जगमगाहट, सीन, चित्र, देश-देशान्तर पर्यटन, विशेष प्रकार के दृश्यो को देखना, इन्द्रजालिक कला आदि, इन सब का समावेश 'चक्षु' इन्द्रिय के विषय में हो जाता है, जोकि परिग्रह का ही रूप है।

(३) नासिका—जो व्यक्ति घ्राणेन्द्रिय में अत्यासक्त है, वह इन वस्तुओं को रखता है। जैसे पाँच प्रकार के फूल, फल, बीज, पत्र, जडी-बूटी, कस्तूरी, नस्वार, इत्र, फुलेल, केवडा, अँबर, आठ प्रकार की गन्ध, द्रव्य, घूप, अगरबत्ती आदि, अर्थात्—जो मुगन्धि युक्त द्रव्य है, वे सब घ्राणेन्द्रिय के विषय साधन है। अतः उन सभी वस्तुओं का संग्रह करना भी परिग्रह का हेतु है।

(४) जिह्वा—जो व्यक्ति रसनेन्द्रिय में अत्यासक्त होता है, वह इन वस्तुओं को रखता है। जैसे—खाने-पीने के समस्त पदार्थ और उनके उपकरण—जिससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे तैयार किये जाते हैं, जिसके द्वारा बनाए जाते हैं तथा पकाए जाते हैं, जिसमें वे पदार्थ संग्रह करके रखे जाते हैं, जिससे साफ किये जाते हैं, जिसमें रख कर सेवन किये जाते हैं, वे सभी 'परिग्रह' कहलाते हैं। माँस, अण्डा तथा शहद खाना, देसी व अँग्रेजी शराब पीना, और

सुलफा, भाग, गाजा, चरस आदि का पीना 'महापरिग्रह' कहलाता है ।

(५) त्वचा—जो व्यक्ति स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में अत्यासक्त होता है, वह इन वस्तुओं को रखता है । जैसे—बहुमूल्य वस्त्र पहनना, ओढ़ना, नाना प्रकार के भूषण धारण करना, सुकोमल विछोने पर गयन करना, सुखदायी आसनो पर बैठना, भोग-विलास के साधन—

गस्त्र-अस्त्र, पीउडर, साबुन तेल, औषधि वायस्लीन, क्रीम आदि यातायात के साधन घोडा गाडी साइकिल मोटर वायुयान हीटर, पखे, एअर कण्डीशड, रैफ्रीजेटर अगोठी इत्यादि वस्तुएँ रखना भी परिग्रह का ही रूप है ।

इस प्रकार इन्द्रियों के जो विषय है, उनके समस्त उपकरण रखना भी परिग्रह है, अर्थात्—जो जिस इन्द्रिय के विषय में अत्यासक्त है, वह उन उपकरणों के लिए अनेक प्राणियों का घात भी करता है, झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है, अन्य प्रकार के भी बहुत से से कुकर्म करता है । हर समय आर्त-ध्यान तथा रौद्र-ध्यान में लगा रहता है । सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार के वशीभूत होता है । कलह, निन्दा, चुगली भी करता है । दूसरो पर मिथ्या कलक भी चढाता है और मिथ्यात्व का सेवन भी करता है । जो सदा धर्म से विमुख और पापो के सम्मुख रहता है, वह जीवन-पर्यन्त किसी भी इन्द्रिय को वृप्त नहीं कर सकता और अन्त समय में मृत्यु प्राप्त कर दुर्गति में जा पहुँचता है । यह है महा परिग्रहियों की दुर्दशा

का-सक्षिप्त परिचय ।

लोभ मोहनीय के उदय से नव प्रकार के परिग्रह को प्राप्त करने के लिए इच्छा पैदा होती है । इच्छा से सग्रह-बुद्धि पैदा होती है । सग्रह से ममत्व-बुद्धि पैदा होती है, अतः सिद्ध हुआ कि मोह-कर्म परिग्रह सज्ञा का प्रवर्तक है । किसी भी वस्तु का ममत्व पूर्वक सग्रह करना 'परिग्रह' है । अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना, वस्तु मिलने पर सग्रह करना, प्राप्त वस्तु पर मूर्च्छा या ममत्व करना, ये परिग्रह के अन्तर्भूत हैं ।

अथवा अनधिकृत सामग्री को पाने की इच्छा करना 'इच्छा-परिग्रह' है । वर्तमान में मिलती हुई वस्तु को आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना 'सग्रह-परिग्रह' है । और सगृहीत सामग्री पर ममत्व करना, आसक्त होना, गृद्ध होना 'मूर्च्छा परिग्रह' है । परिग्रह-सज्ञा जीव को भौतिक-जगत् में भटकाती है ।

पाँचो इन्द्रियो के जो पाँच विषय हैं, उन में आसक्त होना भी परिग्रह है । पदार्थ स्वयं परिग्रह नहीं है, किन्तु जब उसे पाकर जीव में राग-द्वेष के परिणाम पैदा होते हैं, तब वही पदार्थ उपचार से परिग्रह बन जाता है । वस्तुतः जीव में राग-द्वेष रूप अध्यवसाय ही परिग्रह है । परिग्रह वृत्तियों में और मन में रहता है, वस्तुओं में नहीं । वस्तु 'पर' है, 'पर' में स्व की बुद्धि वनी कि फिर तुरन्त परिग्रह बन जाता है । मूलतः 'मूर्च्छा परिग्रह' है और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ भी परिग्रह हैं । वस्तु के बिना जीवन नहीं चलता, अतः परिग्रह पीठ के पीछे रहना चाहिए, मुँह के सामने नहीं । अथवा

असयम, अविवेकितता और अज्ञानता, इन तीनों से संयुक्त जो बाह्य वस्तु है, उसे 'परिग्रह' कहते हैं ।

जिम पदार्थ का उपयोग व उपभोग, ग्रहण व संग्रह व्यक्ति में मूर्च्छा, ममत्त्व या अन्य विकार भाव लाए वह 'परिग्रह' है ।

जो पदार्थ सामूहिक रूपेण समष्टि में विपमता पूर्ण दुर्व्यवस्था पर अधिकार, हरण, शोषण, दुःख एवं विनाश की प्रवृत्तियों को जन्म दे, वह 'परिग्रह' कहलाता है । कर्म-जन्य विकार को भी 'परिग्रह' कहते हैं । यही परिग्रह का संक्षिप्त विवेचन है ।

नैगम-नय

“न परिग्रह इत्यपरिग्रह”, अर्थात्—परिग्रह के अभाव को 'अपरिग्रह' कहते हैं । अपरिग्रह शब्द समस्त-पद है, इसमें नञ् समास हो रहा है । नञ् समास दो प्रकार का होता है—एक प्रसज्य निषेधक, और दूसरा पर्युदास निषेधक । इनमें प्रसज्य निषेध सर्व-निषेधक होता है, और पर्युदास निषेध आंगिक निषेधक होता है ।

जिसके बिना गृहस्थ जीवन की यात्रा, सामाजिक मर्यादा, दान तथापुण्य-क्रिया । एवं धर्म-क्रिया निर्विघ्नता पूर्वक न चल सके, अर्थात्—जो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में साधन रूप हो, उसे 'आवश्यकता' कहते हैं । आवश्यकता से अधिक परिग्रह न रखना भी 'अपरिग्रह' है ।

वह अपरिग्रह भी चार प्रकार का होता है, जैसे—द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, और भाव से । इनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) द्रव्य से अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक न रखना आर्य-कर्म, आर्य-वाणिज्य, आर्य-कला, आर्य-शिल्प से द्रव्योपार्जन करना, अधिक कर न लगाना, मामला (हाडा) अधिक न लगाना, रिश्वत न लेना, ब्लैक मार्कीट न करना, किसी पर भूठा दोषारोपण करके न लेना, हिंसा, भूठ चोरी का अवलंबन लेकर द्रव्योपार्जन न करना, दुराचार करके द्रव्योपार्जन न करना, शोपण वृत्ति न रखना 'द्रव्य-अपरिग्रह' है ।

(२) क्षेत्र से अपरिग्रह—किसी भी क्षेत्र में, ग्राम, नगर, वन में, किसी भी स्थान में अन्याय और अनीति का अनुसरण न करना । जिस क्षेत्र में रहे उसमें पूर्वोक्त नियमों का पालन करना 'क्षेत्र-अपरिग्रह' है ।

(३) काल से अपरिग्रह—दिन, रात्रि, सप्ताह, मास, वर्ष, आयु पर्यन्त किसी भी घड़ी में कितना ही सुनहरा अवसर अन्याय और अनीति से द्रव्योपार्जन का मिलता हो, उसे स्वीकार न करना 'काल-अपरिग्रह' है ।

(४) भाव से अपरिग्रह—प्रकृति से भद्रता, सुकोमलता विनीतता, कषाय की मन्दता, प्रशस्त लेश्या, शुभ अध्यवसाय, सन्तोष वृत्ति, ये सब 'भाव-अपरिग्रह' के भेद हैं ।

यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ परायण न होकर सिर्फ राष्ट्र की उन्नति के लिए, ग्राम-नगर एवं समाज सुधार के लिए, दीन-हीन की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए, धर्म-रक्षा के हेतु द्रव्योपार्जन की इच्छा करता है, तदर्थ द्रव्य का संग्रह करता है । अपना तन-मन-धन सर्वस्व मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान करता है, तो वह व्यक्ति भी अपरिग्रही है,

क्योंकि महापरिग्रही उक्त क्रिया नहीं कर सकता ।

नैगम-नय

जो अपरिग्रह के स्वरूप को नहीं जानता है, न धारण ही करता है किन्तु पालता है, वह भी अपरिग्रही है । जानता नहीं, ग्रहण करता है और पालता भी है, वह भी अपरिग्रही है ।

संग्रह-नय

परिग्रह की संज्ञा ही परिग्रह की जननी है । जिसमे परिग्रह संज्ञा का बीज मात्र भी है, उसे अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता है । मनुष्य की जन्मजात अवस्था मे परिग्रह संज्ञा माता के दूध तक ही सीमित होती है । फिर गनै-शनै माता-पिता भाई, वहनों तक, फिर खिलीने से समवयस्क साथियो से खाने-पीने तथा पहनने की चीजों से विद्या से नम्बरो से डिडिजन से रुपये पैसो से, स्त्री से, वच्चो से, व्यापार, से मित्र और रिश्ते-दारो से उपकरणो से गाय भैस हाथी घोडा ऊँट बकरी आदि पशुओ से, युग-प्रयोग आदि से परिग्रह संज्ञा अपना घनिष्ठ सम्बन्ध जोड देती है । अन्ततोगत्वा परिग्रह संज्ञा सर्वलोक मे व्यापक हो जाती है । ज्यो-ज्यो परिग्रह संज्ञा बढती जाएगी, त्यो-त्यो दु:ख की मात्रा भी वढती ही जाएगी । प्रस्तुत हुई परिग्रह संज्ञा को मिथ्या-दृष्टि वस्तुत नही समेट सकता है । सम्यक्त्व लाभ से परिग्रह संज्ञा कम हो जाती है, और सम्यक्-ज्ञान से उसके स्वरूप को जाना जा सकता है ।

विवेक से तीव्र रस से मन्द-रस कर दिया जाता है, सम्यक्त्व सम्यक्-ज्ञान और विवेक , इन तीनों का क्रिया-काल और

निष्ठाकाल युगवत् ही होता है, क्रमशः नहीं। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से मोहनोय कर्म की सात प्रकृतियाँ जड-मूल से नष्ट हो जाती हैं, जिनको क्षय करने की फिर कभी आवश्यकता नहीं रहती। वे सात प्रकृतियाँ अनन्त ससार वर्द्धक हैं, दुखों की परम्परा बढ़ाने वाली हैं। उन सात प्रकृतियों के क्षय होने से परिग्रह सजा बहुत ही अल्प मात्रा में रह जाती है।

नैगम-नय की मान्यता है कि मिथ्या-दृष्टि भी अपरिग्रही हो सकता है। परन्तु सग्रहनय का कहना है कि जो परिग्रह के स्वरूप को जानता ही नहीं, वह अपरिग्रही नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिसके स्वरूप को जानता ही नहीं, वह चाहे धारण और पालन भी करे, फिर भी वह परलोक का आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके स्वरूप को जानता ही नहीं। अतः कहना चाहिए कि जो अपरिग्रह के स्वरूप को भली-भाँति जानता है, वह अपरिग्रही हो सकता है। वास्तविक न्याय-नीति का स्वरूप भी सम्यक्दर्शन पूर्वक सम्यक्ज्ञान से ही समझा जा सकता है, मिथ्या-ज्ञान से नहीं। मिथ्या-दृष्टि वस्तु के बाह्य अङ्ग को समझ सकता है, जान सकता है, किन्तु भीतरी अंग को नहीं। जबकि सम्यक्दृष्टि बाह्य अंग को तो जानता ही है, साथ ही उसके भीतरी अंग को भी बहुत कुछ जान सकता है। जैसे पुस्तक के बाह्य अंग को अनपढ़ भी जानते हैं और देखते हैं, परन्तु विशिष्ट विद्वान् उसके भीतरी अंग को भी जानते हैं और देखते हैं।

(क) द्रव्यसे अपरिग्रह-अनासक्ति भाव से, न्याय-नीति से,

सन्तोष पूर्वक द्रव्योपार्जन करना, उदारता से देना 'अपरिग्रह' है।

(ख) क्षेत्र से अपरिग्रह—लोक का असत्यातवा भाग मात्र ही अपने उपभोग में लाना, इससे अधिक नहीं।

(ग) काल में अपरिग्रह—सम्यक्त्व काल पर्यन्त।

(घ) भाव से अपरिग्रह—सम्यक्त्व के पाँच लक्षण हैं, जैसे—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, और आस्तिक्य।

जब उक्त पाँचों में से किसी एक में भी सम्यक्त्वी का उपयोग सलग्न हो, तब वही परिणाम, वही अध्यवसाय 'अपरिग्रह' है। क्योंकि सम्यक्त्व अवस्था में मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कपाय चतुष्क, इन पाँच प्रकृतियों का बन्धन न होना ही 'अपरिग्रह' है।

क्षायिक सम्यक्त्व अवस्था में तो भावी काल में भी बन्ध नहीं होता।

सग्रह-नय का कहना है कि जो व्यक्ति अपरिग्रह का स्वरूप भली-भाँति जानता है, ग्रहण नहीं करता, परन्तु पालने का अभ्यास करता है, वह भी कथञ्चित् अपरिग्रही है। जो अपरिग्रह के स्वरूप को नहीं जानता उसका ग्रहण करना, और उसका पालन करना अवस्तु है। जैसे मिथ्या-दृष्टि का अपनाया हुआ अपरिग्रह आत्म-कल्याण में सहयोगी नहीं है, क्योंकि वह जानता नहीं है। अज्ञानी का किया हुआ कार्य अज्ञान वर्द्धक होता है, यह एक सिद्धान्त है।

व्यवहार-नय

जहाँ अपरिग्रह है—वहाँ सहानुभूति, अहिंसा, मैत्री, सत्य,

ईमानदारी और सदाचार है। जो अपनी इच्छाओं को सिर्फ आवश्यकताओं तक ही सीमित रखता है, अर्थात्—जिसने अपनी इच्छा और मूर्च्छा (ममता) पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसका गृहस्थ जीवन आदर्शमय, सन्तोषमय और सुखमय बनता है। आदर्श गृहस्थ अन्याय और अनीति से सम्पन्न द्रव्य को विष तुल्य समझता है। वह माया का गुलाम नहीं होता। उसका बल और शक्ति सहनशीलता एव न्याय के लिए होती है, प्रभाव के लिए नहीं। उसका अध्ययन ज्ञान के लिए, धन-दान के लिए, शक्ति-रक्षा के लिए, और तप-निर्जरा के लिए होता है।

आदर्श गृहस्थ परिग्रह को परिमित रखता है। वह भी सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए, न कि वृष्णा पूर्ति के लिए। मर्यादा से उपरान्त धन, माल, मिलकत, राजपाट, सत्ता, अधिकार मिलने पर भी “लद्धे विपिट्टी कुव्वइ” इच्छा और ममत्व का त्याग करता है। वह ऐन्द्रियक भोग भोगते समय अनासक्ति, परमात्मा और मृत्यु का ध्यान रखता है। बोलते समय सत्य का विनाश न हो जाए, इस बात का ध्यान रखता है। सोते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, खाते-पीते समय यतना को नहीं भूलता, उसका अन्त करण सतत जागृत ही रहता है। जागृत की परिभाषा है—जो पापों से आत्मा को रक्षा करता है। जीता वही है, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ कर उसे सफल बनाता है। उसीको आदर्श गृहस्थ कहते हैं, जिसको जैन-परिभाषा में ‘श्रमणो-पासक’ भी कहते हैं।

अपरिग्रह के बिना प्रहिंसा, सत्य, ईमानदारी श्रीर
दाचार अपाहिज है। वास्तव में अपरिग्रह त्याग-मूलक नहीं
है, बल्कि अग्रहण-मूलक है। अपरिग्रह का अर्थ ग्रहण करके
त्याग या दान करना नहीं है, बल्कि ग्रहण न करना ही वास्तव
में अपरिग्रह है।

स्थूलपरिग्रह विरमण-व्रत—ग्रहण-भूनाश श्रीर त्याग
मूलक दोनों प्रकार का है। स्त्री को उच्छ्रा परिमाण व्रत
भी कहते हैं।

(क) द्रव्य में अपरिग्रह—उपर्युक्त नव प्रकार के परिग्रह में
से मर्यादा से उपरान्त नभी प्रकार के परिग्रह में रहित होना
'अपरिग्रह' है।

(ख) क्षेत्र से अपरिग्रह—छह दिशाओं का परिमाण
करना, दिशावकाशिक व्रत की आराधना करना भी
'अपरिग्रह' है।

(ग) काल से अपरिग्रह—दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष,
यावज्जीवन पर्यन्त।

(घ) भाव से अपरिग्रह—जितना प्रतिदिन त्याग किया जा
सके, जितनी प्रतिदिन मर्यादित वस्तु को भी कम किया जा
सके, इच्छा को कम करना, सग्रह-बुद्धि को घटाना, ममत्व-
बुद्धि को कम करना 'जेममाइए मइ चयइ से चयइ ममाइय',
अर्थात्—जो ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व
को छोड़ सकता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क के
सर्वथा क्षय करने से जो भाव पैदा होते हैं, वह 'अपरिग्रह' है।

स्थूल परिग्रह केवल निवृत्यात्मक ही नहीं है, बल्कि

प्रवृत्त्यात्मक भी है। त्याग और अग्रहण निवृत्त्यात्मक है, क्योंकि इसमें निवृत्ति की प्रधानता है। किन्तु इस प्रकार का दान देना प्रवृत्त्यात्मक अपरिग्रह। स्थूल अपरिग्रह धर्म की त्रिमूर्ति। इच्छा को परिमित से भी परिमित करते रहना।

इच्छा परिमित होते हुए भी अन्याय और अनीति से सग्रह न करना, धर्म से अपना आजीविका चलाना "धम्मेण चैव विंत्ति कप्पेमाणो विहरइ", और न्याय-नीति से उपार्जित सम्पत्ति प्रवचन प्रभावना के लिए, चतुर्विध श्री सघ की समुन्नति के लिए, सहायता पहुँचाने के लिए, श्रुत सेवा के लिए। परिग्रह के ऊपर से ममत्व घटा कर दान देना भी 'अपरिग्रह' है। परन्तु जो व्यक्ति मर्यादा उपरान्त परिग्रह का त्याग और अणु-व्रत धारण कर लेता है, वह यदि दान देता है तो उसका महत्व अधिक है, बनिस्वत उसके जोकि अधर्म से द्रव्य उपार्जित करता है और फिर दान करता है।

राजा प्रदेशी 'जोकि पहले महारम्भी और महा-परिग्रही था, सम्यक्-दृष्टि होने के पश्चात् बारह व्रत केशीकुमार श्रमण के समक्ष धारण किये और उन्हीं की साक्षी से अपनी रमणीकता को स्थिर रखने के लिए उसने अपने राज्य की आमदनी का चौथा हिस्सा दान के लिए निकाला। यह सत्य है राजा प्रदेशी के मन में दान देने के दो लक्ष्य थे—एक अनुकम्पा, और दूसरा प्रवचन प्रभावना। सम्यक्-दृष्टि के अन्दर पाँच लक्षण पाये जाते हैं—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, और आस्था। सम्यक्-दृष्टि में अनुकम्पा का होना स्वाभाविक है। सम्यक्-दृष्टि में अनुकम्पा कारण

रूप में नहीं, बल्कि कार्य रूप में परिगणित हो जाती है। अनुकम्पा भाव से दान-शाला खोली, जिसमें दीन-हीन, अनाथ अपाहिज, रोगी, भूखे-प्यासे मुसा फर आदि सब की देख-रेख, रहन-सहन, औषधोपचार, विद्या-दान, खाने-पीने तथा रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया गया था। यह है अनुकम्पा का साकार रूप।

उसका दूसरा लक्ष्य था—प्रवचन प्रभावना का। जिससे जैनेतर जनता में भी जिन-धर्म के प्रति श्रद्धा सम्मान बढ़े तथा लोगों को भी मालूम पड़ जाए कि जब से राजा प्रदेगी श्रमणोपासक बना, तभी से दानवीर बना और गरीबों की देखभाल करने लगा। दयावीर, दानवीर, और शान्त वीर बना, राजा का अनुकरण प्रजा ने भी किया। “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत चारितार्थ हुई। यह है श्रमणोपासक बनने का पहला दिग्दर्शन।

सनत्कुमार इन्द्र ने पूर्वभवं में चतुर्विध श्री सघ को सहायता पहुँचाई, वह उनका हितेपी था, उन्हें धर्म में सुस्थिर किया, उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौच्छावर किया। वस्त्र-दान भोजन-दान औषधि-दान तथा विद्या-दान इत्यादि अनेक प्रकार से चतुर्विध श्री सघ को सहायता पहुँचाई। अनुकम्पा भाव से सहायता पहुँचाने का परिणाम यह निकला कि वह क्षायिक सम्यक्-दृष्टि, परित ससारी, सुलभ बोधि, आराधक और चरम शरीरी बना। यह है आध्यात्मिक क्षेत्र की सफलता, आगे चल कर वह चतुर्विध श्री सघ सेवक महद्दिक दीर्घायुष्क महा-सुखी, महाप्रतापी, महाप्रभावक, शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र, दोनों

इन्द्रो पर जिसका पूर्ण प्रभाव है, इत्यादि अनेक विशेषणों से सम्पन्न तीसरे देवलोक का इन्द्र बना । यह है पुण्यानुबन्धी पुण्य का फलादेश-जिसने क्रमशः पहले स्थूलप्राणातिपातविरणव्रत, स्थूल मृपावाद विरमणव्रत, स्थूल अदत्तादान विरमण-व्रत और स्वदारा सन्तोष-व्रत धारण कर लिए हों, तत्पश्चात् अपनी इच्छा को अनन्त पदार्थों से हटाकर मर्यादित कर ली है । आवश्यकता के अनुसार परिमित पदार्थों का संग्रह न्याय-नीति से करता है, उसके द्वारा दिया हुआ दान विशेष महत्त्व रखता है । वस्तुतः वही दान अपरिग्रह में सम्मिलित है, उसी को दूसरे शब्दों में त्याग भी कहते हैं । त्याग उसी वस्तु का हो सकता है, जिसके ऊपर से मूर्च्छाभाव हटा दिया हो । जो आशा रखकर दान दिया जाता है, वह त्याग नहीं गिना जाता । जो सिर्फ दान को ही अधिक महत्त्व देते हैं । त्याग और अग्रहण को उतना नहीं, वे अपरिग्रह का वास्तविक अर्थ नहीं जानते । अपरिग्रहता के बिना केवल दान का महत्त्व वैसा ही है, जैसे किसी को बीमार बनाकर फिर उसके लिए औषधि का प्रबन्ध करना । त्याग व अग्रहण अपरिग्रह तो विल्कुल मूले कुठार करने वाला है और दान ऊपर से ही कोपले नोचने जैसा है । त्याग खाने-पीने की दवा है, और दान सिर पर लगाने की सोठ है । त्याग से पाप का मूल-धन चुकता है, और दान से पाप का व्याज । त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है, और दान में नामवरी का लालच । त्याग का स्वभाव दयापूर्ण है, और दान का ममता पूर्ण । त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है, और दान

उसकी तलहटी पर । त्याग, संवर और निर्जरा का कारण है, और दान, पुण्य तथा निर्जरा का ।

जिस समय साधक यह समझ लेता है कि सब प्राणियों में आत्मा एक समान ही है, तब वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जिससे एक को दुख और दूसरे को सुख मिले । वह तो अपना मुख ज्ञान्ति के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता होगी, उतने ही लेगा, शेष दूसरों के लिए छोड़ देगा । यह है व्यवहार-नय की दृष्टि से अपरिग्रह की परिभाषा ।

ऋजुसूत्र-नय

छठे गुण-स्थान में अपरिग्रह धर्म विद्यमान है । क्योंकि पाँचवाँ महाव्रत है "सव्वाग्नो परिग्गहाग्नो वेरमण", तीन योग और तीन करण से सभी प्रकार से परिग्रह का परित्याग ही अपरिग्रह कहलाता है । जहाँ परिग्रह है, वहाँ अवश्य ही ममत्व भाव है । जहाँ ममत्व भाव है, वहाँ सभी प्रकार के पापों का समावेश है । जहाँ पाप है, वहाँ असंयम है । साधुता में असंयम का सर्वथा अभाव पाया जाता है, अतः कहना चाहिए कि साधुता ही अपरिग्रह है । गृहस्थ धर्म में अपरिग्रह सर्वाङ्गीण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रमणोपासक को भी परिग्रहिया क्रिया लगती है । साधुता में परिग्रहिया क्रिया नहीं लगती, एतदर्थ साधु अपरिग्रही हो सकता है, गृहस्थ नहीं । क्योंकि जब साधक साधुता अंगीकार करता है, तब अपरिग्रह व्रत धारण

करते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि से अल्प वा बहु वा, अणुं वा थूल वा चित्तमत वा अचित्तमत व नेवा सय परिग्गहं परिगिण्हज्जा, नेवन्नेहि परिग्गह परिगिण्हाविज्जा, परिगिण्हन्ते वि अन्ने न समणुज्जाणेज्जा जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मरोण वायाए काएण न करेमि, न कारवेमि करन्त पि अन्न न समणुजाणामि ॥ —१

‘मैं सब प्रकार के परिग्रह का परित्याग करता हूँ ।’ वह परिग्रह इस प्रकार है—अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचेतन अथवा अचेतन । परिग्रह को न मैं स्वयं ग्रहण करूँगा, न दूसरो से परिग्रह को ग्रहण कराऊँगा, और परिग्रह ग्रहण करने वाले दूसरो को भला भी न समझूँगा, आजीवन के लिए मन से, वचन से और काय से न स्वयं करूँगा न दूसरो से कराऊँगा और करते हुए दूसरो को भला भी नहीं समझूँगा ।

यहाँ परिग्रह से तात्पर्य है—क्षेत्र-वास्तु-हिरण्य-स्वर्ण-धन-धान्य-द्विपद-त्र्युपद-और कुप्य धातु । वह नव प्रकार का परिग्रह अल्पादि छह हिस्सो में विभक्त हुआ है । वह नव प्रकार का परिग्रह ही अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में, अथवा अल्प-सख्या में या बहुसख्या में होता ।

अणु और स्थूल का अर्थ है—वह नव प्रकार का परिग्रह मूल्य में अणु और महान्, अथवा परिमाण में अणु और महान्, अथवा वजन में अणु और महान्, अथवा सूक्ष्म रूप

और वादर रूप तथैव सचित्त और अचित्त, इस प्रकार का परिग्रह साधु न स्वयं रख सकता है, न दूसरो से रखवा सकता है। और न रखते हुए को भला ही समझता है। यह है साधु का अपरिग्रह धर्म।

द्रव्य से अपरिग्रह

चाँदी, सोना, रत्न, मणि, मोती, सीप, शख, प्रवाल, लोहा, ताँवा, सीसा, काँसी, पीतल, आदि धातुएँ, क्षेत्र-वास्तु, छत्र, कमण्डल, पगरखी पखा मेज कुर्मी सिंहासन पाषाण चर्म सींग दास दासी प्रेपक, हाथी घोडा, गाय, भैंस, बकरी, भेड, आदि पशु, रथ, यान, विमान, पोत, गाडी, जहाज, वगैरा वस्त्र, सरकारी सिक्का नया पोस्टकार्ड, पोस्टेज लिफाफा टिकिट, नोट स्टाम्प आदि सभी द्रव्यों को ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग कर दिया जाता है, वह अपरिग्रह है।

क्षेत्र से अपरिग्रह

ग्राम में, नगर में, या अरण्य में किसी भी स्थान विशेष में ममत्वपूर्णा अपना किसी भी प्रकार का अधिकार न जमाना, अर्थात्—ममत्व क्षेत्र से बाहर होना अपरिग्रह है।

काल से अपरिग्रह

प्रतिज्ञाबद्ध अमुक काल तक समय निरपेक्ष न होना, अर्थात्—जीवन के अन्तिम क्षण तक एक भी क्षण-समय निरपेक्ष न व्यतीत करना अपरिग्रह है।

भाव से अपरिग्रह

प्रत्याख्यानावरण कषायचतुष्क के क्षय होने से जो आत्मा

मे. अर्धवसाय पैदा होते हैं। अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, वेद, अरति, रति, हास, गोक, भय, जुगुप्सा, इन १४ प्रकार के आभ्यन्तरिक परिग्रह से रहित होना अपरिग्रह है।

सयम में उपयोगी, आवश्यकता-पूर्ति के लिए और सयत जीवन के निर्वाह के लिए ४२ दोष टालकर आहार, वस्त्र, पात्र, स्थान, आदि सेवन करना भी अपरिग्रह है।

इस नय की दृष्टि से १०० प्रकार का शिल्प सीखना, ७२ कलाएँ सीखना, गस्त्र-ग्रन्थ बनाने की विद्या और चलाने की विद्या सीखना, राजनैतिक, एव व्यापारिक भाषाएँ सीखना, धन कमाने की विद्याएँ सीखना, खेती बाड़ी का काम सीखना, डाक्टरी विद्या सीखना, सब परिग्रह है।

पद पाने के लिए, पारितोषिक के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, यश-कीर्ति के लिए, जो कुछ भी सीखा जाए, पढा जाए, जप किया जाए, भक्ति की जाए, सेवा की जाए, मन्त्र-यन्त्र तन्त्र, डोरा, ताबीज वगैरा सिद्ध किया जाए, वह सब परिग्रह है। जो साधु या साध्वी असयम में सहयोगी अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त वस्तु पर आसक्ति, शिष्य शिष्या पर मूर्च्छा करते हैं, अपने अनुयायी वर्ग को धनाढ्य बनाने की चिन्ता, किसी के पास धनादि न होने पर चिन्ता करना, प्रसिद्धि की इच्छा करना, उपाधि प्राप्त करने के लिए अधिकारी या अनुयायियों द्वारा प्रयत्न कराना, लेख या पुस्तक अपने नाम से दूसरों के द्वारा लिखवाना, गृहस्थ के कार्यों में भाग लेना, गृहस्थों को अपने काम के लिए भोजना, बुलाना, बैठाना,

—उक्त क्रिया करने वाले माधु-साध्वी परिग्रही है ।

ममत्व बुद्धि से रखा हुआ उपकरण भी समय का उपकरण नहीं रहता, वह तो अधिकरण बन जाता है । अनर्थ का मूल कारण बन जाता है । वास्तव में अपरिग्रही वही माधु है, जो किसी पर मोह नहीं करता, किसी पर अपनापन का भाव नहीं लाता । खो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, अपहरण हो जाने पर आर्त-ध्यान नहीं करता ।

प्राणी को जिन ससारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वे पदार्थ—शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श हैं ।

प्रायः प्रत्येक पदार्थ की इच्छा इन्द्रिय और मन की विषय-लोलुपता से ही होती है । अतएव इन पाँच इन्द्रियों के इष्ट विषयो पर राग न करना और अनिष्ट विषयो पर द्वेष न करना ही समय है । क्योंकि ये विषय शान्ति के भेदक हैं, महाव्रत के भङ्गक हैं, केवलि-भाषित धर्म में भ्रष्ट करने वाले हैं, आत्म-बोध से दूर रखने वाले हैं, ससार में भटकाने वाले हैं, कर्म-बधक हैं, कपायो के जनक हैं, परिणाम में कटुक हैं, भव-रोग तथा पाप के वर्द्धक हैं ।

इन्द्रियों का स्वभाव है अपने-अपने विषय को ग्रहण करना, परन्तु उनमें राग, द्वेष, मोह, एवं ममता करना पाप है । किसी भी इन्द्रिय को नष्ट करना, फोड़ना अज्ञानता है । यह है ऋजु-सूत्र नय की दृष्टि से परिग्रह और अपरिग्रह की परिभाषा ।

शब्द-नय

अप्रमत्त गुण-स्थानों में विचरना, प्रशस्त ध्यान में तल्लीन

होना, आठ प्रवचन माता की आराधना करना, पूर्ण अहिंसा मय सत्यमय अचौर्यमय ब्रह्मचर्यमय एव जीवन को अपरिग्रह कहते हैं । इस नय की मान्यता है कि जो प्रमत्त गुण-स्थान है, उनमें विचरना परिग्रह है ।

क्योंकि बाह्यपरिग्रह का कारण आभ्यन्तरिक परिग्रह है । आभ्यन्तरिक परिग्रह के निवृत्त हो जाने से बाह्य परिग्रह की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है । ज्ञान ससार के बन्धनों से मुक्त करने वाला है, परन्तु यदि उसके कारण किञ्चित् भी अभिमान उत्पन्न हुआ है तो वह ज्ञान भी परिग्रह है । इसी प्रकार सयम और तप के विषय में भी समझ लेना चाहिए । इस लोक के उद्देश्य से, परलोक के उद्देश्य से, यश-प्रतिष्ठा और श्लाघा के उद्देश्य से जो कुछ भी शुभ क्रिया की जाती है, वह सब परिग्रह है । अपने वचन का मोह करना, पक्ष-पात करना, हठ करना, सविभाग ठीक न करना, किसी पदवी को पाने के लिए आगमो का अध्ययन करना भी परिग्रह है । १८ प्रकार के पाप-स्थानको से विरमण न करना भी परिग्रह है ।

समभिरूढ-नय

समस्त पापों से निवृत्त होना, साम्परायिक क्रिया का रुकना, हेय को छोड़ना, और उपादेय को ग्रहण करना, तप और सयम में विशुद्ध पराक्रम करना, क्षायिक भाव में रहना, देश-घाति और सर्व-घाति कर्मों से रहित होना, तेरहवें गुण-स्थान में प्रवेश करना, परम शुक्ल लेश्या में रहना, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बनना अपरिग्रह है ।

श्रीपशमिक भाव मे रहना, क्षायोपशमिक भाव मे रहना
श्रीदयिक भाव मे रहना, छद्मस्य दशा मे रहना,
साम्परायिक क्रिया मे रहना परिग्रह है ।

एवंभूत-नय

एवभूत का सिद्धान्त है कि वास्तविक अपरिग्रह १४ वे
गुण-स्थान मे होता है क्योकि वहाँ सवर और निर्जरा का
पूर्ण विकास हो जाता है, अन्य किसी गुण-स्थान मे उनका
पूर्ण विकास नही है । अतः कहना चाहिए कि १४ वाँ
गुण-स्थान ही अपरिग्रह है ।

१३ वे गुण-स्थान से निर्वाण नही होता, क्योकि वहा
श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर और वेदनीय आयु, नाम, गोत्र-
ये चार कर्म शेष है । आगम मे शरीर और कर्मों को परिग्रह
माना है इसलिए १३ वाँ गुण-स्थान अपरिग्रही अवश्य है,
किन्तु पूर्ण अपरिग्रही नही ।

पंचसंवर का षट्द्रव्यों में वर्गीकरण

अहिंसा का विषय छह द्रव्यो मे केवल जीवास्तिकाय तक ही
सीमित है । सत्य का विषय सर्व द्रव्यो तथा उनकी सर्वपर्यायो
मे विद्यमान हैं । जैसे भगवान् का ज्ञान सर्वव्यापक है, वैसे ही
सत्य भी, इसी कारण जैनागमो मे सत्य को भगवान् कहा
है । सत्य की आराधना के लिए सम्यक् श्रद्धा सम्यक् प्ररूपणा
और सम्यक् पालना आवश्यक है, तभी जीवन सत्यमेय बन
सकता है, अन्यथा नही ।

अस्तेय का विषय ग्रहण और धारणा की अपेक्षा सभी

द्रव्यो मे देश-रूप से है, सर्व-रूप से नहीं, अर्थात्—व्याप्य रूप से है, और व्यापक रूप से नहीं ।

ग्रहण का अर्थ होता है—खाने-पीने की वस्तु, पहनने-ओढ़ने की वस्तु, उठाने-रखने की वस्तु, प्रातिहार्य, वापिस करने की वस्तु, पढ़ने पढाने की पुस्तक आदि सामग्री आदि ये वस्तुएँ दाता के द्वारा हर्ष पूर्वक दो हुई निर्दोष वस्तु हैं जो कि समय जीवन के लिए उपयोगी है, आवश्यकतानुसार सन्तोष से ग्रहण करना और उसे यतना से बरतना । तथा विनय पूर्वक श्रुत-ज्ञान ग्रहण करना भी अस्तेय व्रत है ।

धारण का अर्थ होता है—अचार्य-प्रवर तथा सद्गुरु की आज्ञा होने पर ही तप-जप करना, स्वाध्याय करना, सामायिक आदि पट् आवश्यक करना, सहधर्मी ग्लान आदि की वैयावृत्य करना, अध्ययन-अध्यापन सलेखना आदि करना, अर्थात् साधुता की प्रत्येक क्रिया आज्ञा से करना । महानिर्गन्थो ने जिन नियम-उपनियमों का पालन किया है, उन्हें आचरण में लाना और जो अनाचीर्ण हैं, उनका आचरण न करना, आज्ञा लिए बगैर कोई भी क्रिया न करना ।

जिन कवियों की कविताएँ; विचारको के विचार-ज्ञानियों की शिक्षाएँ, आगमधरो की धारणाएँ ग्रहण की हो उनका मदैव आभार मानना धारण अस्तेय-व्रत है ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है—रूप और रूप-सहगत पुद्गलो में अनासक्त होना ।

रूप और रूप-सहगत पुद्गल क्या है ?

इसका विवेचन निम्नोक्त है—

पुरुष की अपेक्षा से स्त्री और नपु सक विजातीय है ।

स्त्री की अपेक्षा से पुरुष और नपु सक विजातीय हैं ।

और नपु सक की अपेक्षा से पुरुष तथा स्त्री विजातीय है ।

पुरुष-पुरुष परस्पर सजातीय है, और, स्त्री-स्त्री भी परस्पर सजातीय हैं ।

(१) विजातीय अन्तर्वर्ती आकर्षक अङ्गोपाङ्ग को रूप कहते हैं, और सजातीय अन्तर्वर्ती मनोमोहक अङ्गोपाङ्ग को रूप-सहगत पुद्गल कहते हैं ।

(२) विजातीय लिंग को रूप कहते हैं, और उसके सहयोगी उद्दीपक समस्त अवयव और वेप-भूपा को रूप-सहगत पुद्गल कहते हैं ।

(३) विजातीय को रूप कहते हैं और जो वास्तविक रूप से विजातीय नहीं है, किन्तु वेप-भूपा में विजातीय प्रतीत होता हो, उसे रूप-सहगत पुद्गल कहते हैं ।

(४) मैथुन के प्रधान अङ्ग को रूप कहते हैं और तत्सदृश आकार वाली अन्य सभी वस्तुएँ रूप सहगत पुद्गल हैं ।

(५) विजातीय को नेत्र और मन का विषय करना रूप कहलाता है, और विजातीय का चित्र देखना, विजातीय मूर्ति का आलिंगन करना रूप-सहगत पुद्गल है ।

उपर्युक्त सभी आकर्षकों से आत्यन्तिक निवृत्ति पाना ही ब्रह्मचर्य है ।

इसका विषय सभी द्रव्यो में देग-रूप से है, सर्व-रूप से नहीं ।

अपरिग्रह का विषय सर्वाङ्गीण है ।

शका—जीव और पुद्गल , इन दो द्रव्यो मे ही परिग्रह समाविष्ट हो जाता है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल—ये चार द्रव्य अरूपी है, अमूर्त है, और इनसे सर्वथा निवृत्ति भी नही हो सकती । फिर इनकी गणना परिग्रह मे क्यों की गई ?

समाधान—जहाँ तक जीव और पुद्गल का सबध है, वहाँ तक उक्त चारो का सम्बन्ध नियमेन है , अर्थात्—जहाँ तक कर्मो के साथ सम्बन्ध है, वहाँ तक नियमेन छोहो द्रव्यो के साथ सम्बन्ध है । जो आत्मा आठ प्रकार के कर्मो से रहित है, वे अपरिग्रही हैं । आत्म-भाव को छोडकर शेष सभी द्रव्य-पर-भाव है । पर भाव-से सम्बन्ध विच्छेद करना ही वस्तुतः अपरिग्रह है । अपरिग्रह आत्म-भाव है पर भाव नही । विभाव परिणति को परिग्रह कहते है, और स्वभाव परिणति को अपरिग्रह ।

आश्रव और बन्ध परिग्रह है । सवर, निर्जरा और मोक्ष अपरिग्रह है । अपरिग्रह का पूर्ण विकास १४ वे गुण-स्थान मे ही होता है । वही अवस्था सादि अनन्त कहलाती है ।



